खण्ड-334, अंक-8
गुरूवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(31 अगस्त, 1978 ई0)

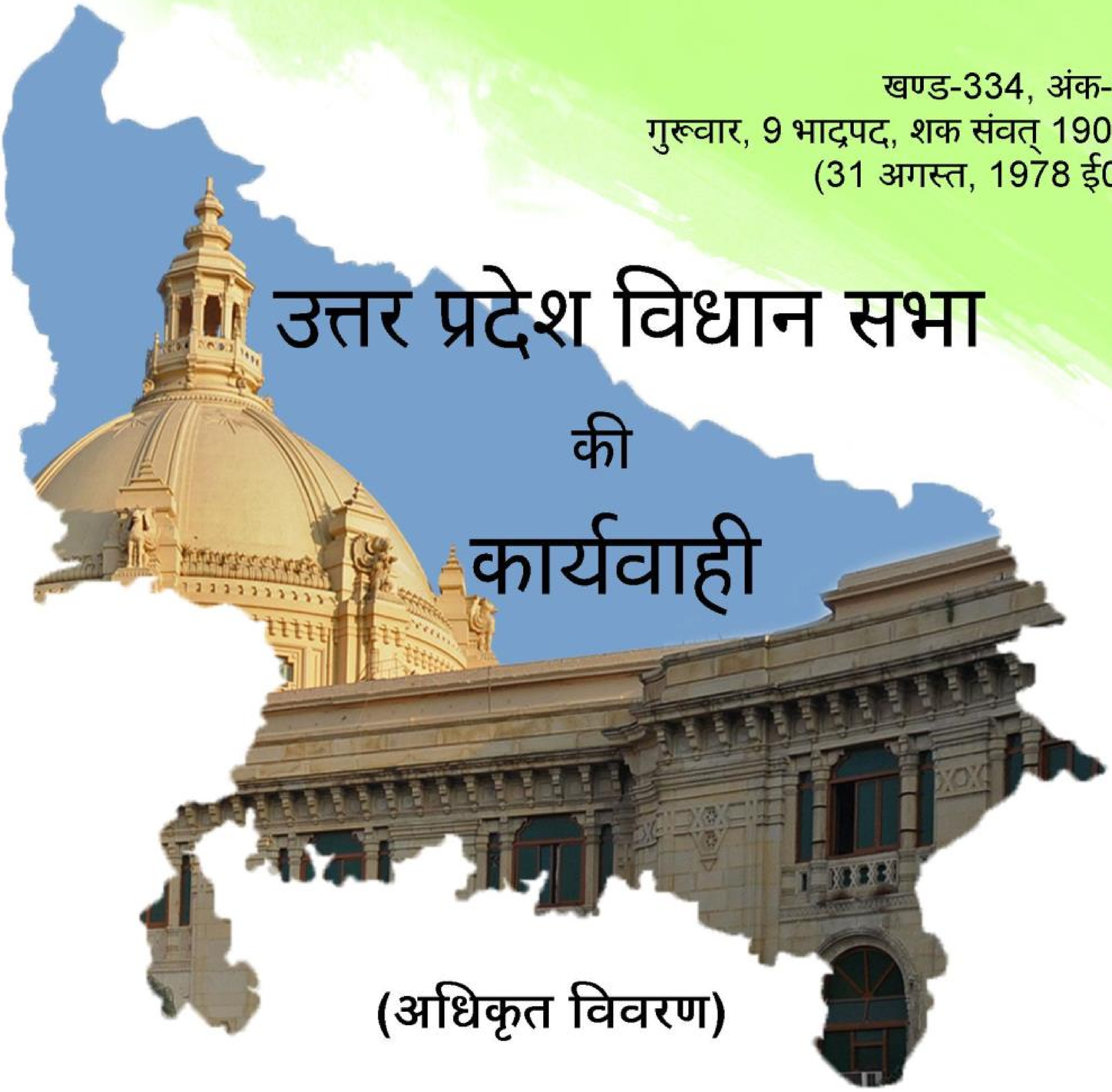

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	..१०९०-१०९४
प्रश्नोत्तर	..१०९५-११४४
व्यवस्था के प्रश्न	..
निर्वाचन क्षेत्र विधूना, इटावा में बाढ़ के कारण मलेरिया फ्लू आदि बीमारियों तथा फसलों की बीमारियों के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	११४४
राज्य सड़क परिवहन के हमीरपुर डिपो में कार्यशाला कर्मचारियों द्वारा बसों की मरम्मत में बर्ती गई अव्यवस्था के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..११४४-११४५
इलाहाबाद शहर में ट्रकों व बसों की तेज रफ्तार से चलने से दुर्घटनाओं के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	११४५
मथुरा जनपद में बढ़ती हुई अराजकता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	..११४५-११४६
रामेश्वर आयल मिल, इलाहाबाद के मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान कराने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	११४६
लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र विलम्ब से भेजे जाने से उनको छात्रवृत्ति न मिलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	११४७
गेस्ट हाउस, लखनऊ में कार्यरत स्वीपर श्री मुन्ना लाल की पुलिस द्वारा पिटाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..११४७-११४८
सब्जी विक्रेताओं द्वारा थाना हसनगंज, लखनऊ के सामने प्रदर्शन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	११४८
फतेहगढ़ जिले के ग्राम बाराबीकू में ४ व्यक्तियों को गोली मारे जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	..११४८-११४९
देहरादून में गन्ने में सरकोस्पोरा रोग के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	११४९
जिला बलिया में कोड़रहा राजकीय अस्पताल में डाक्टर न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	..११४९-११५०

विषय	पृष्ठ-संख्या
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया)	११५०
उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया)	११५०
उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	११५०
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	११५१
हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में प्रकाशित सिंचाई मंत्री, श्री बलवीर सिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न	११५१–११५४
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र देने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश	११५४
विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८–७९) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	११५४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं ..	११५५–११५६
कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा कई दूकानें लूटे जाने के कारण शहर के बाजार बन्द रहने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	११५६–११५८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	११५८
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	११५९–११७१
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित) ..	११७१–११७८
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	११७८–११८८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	११८८
लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों और बस वालों में हुए झगड़े की सूचना	११८८–११९०
इलाहाबाद शहर में जी० टी० रोड एवं जवाहर लाल रोड के क्रासिंग पर ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	११९१–११९३
अयोध्या में आयोजित जयगुरुदेव नामक साकेत महायज्ञ में सरकारी कोष से २ लाख रुपये व्यय किए जाने के विषय में २४ अगस्त, १९७८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ (नत्थी 'ख') के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	११९४–१२०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३१ अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३२९

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह,
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
ज्ञान लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री

बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अली खां, श्री उर्फ शम्भू खां
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री

राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बख्श वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३१ अगस्त, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नर्सों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में वर्दी उतारो आन्दोलन

**१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या चिकित्सा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि आज कल सम्पूर्ण प्रदेश में राजकीय अस्पतालों में कार्यरत नर्सें अपनी मांगों को लेकर 'वर्दी–उतारो' आन्दोलन कर रही हैं जिससे कि चिकित्सा सेवा प्रभावित है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी हां । परन्तु अपनी वर्दी उतार देने के बावजूद भी समस्त नर्सें अपनी विधिवत ड्यूटी दे रही हैं, जिसके फलस्वरूप चिकित्सा सेवा प्रभावित नहीं हुई है । उनकी मांगें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं :—

१—नर्सों के वेतनमान में वृद्धि की जाय ।

२—प्रशिक्षणार्थी नर्सेज का मासिक स्टाइपेन्ड बढ़ाया जाय ।

३—नर्सेस का यूनीफार्म एलाउन्स बढ़ाया जाय ।

४—नर्सिंग कौन्सिल में रजिस्ट्रार के पद पर किसी नर्स की नियुक्ति की जाय ।

५—नर्सेज के लिये एक अलग नर्सेज निदेशालय की स्थापना की जाय ।

६—आपरेशन थियेटर सुपरवाइजर के पद पर केवल नर्सिंग संवर्ग के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाय ।

७—नर्सेज की ड्यूटी की अवधि को कम किया जाय तथा अधिक अवकाश की सुविधा दी जाय ।

८—नर्सों को २५ प्रतिशत भवन भत्ता दिया जाय ।

९—कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के वेतनमान लागू किये जायं ।

१०—पुरुष नर्सों को प्रोन्नति के अवसर सुलभ कराये जायं ।

११—प्रोन्नति में हुई अनियमितताओं को दूर किया जाय ।

उपर्युक्त मांगे शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि काम करने के प्रति जो वर्दी उतारो की प्रतिक्रिया नर्सों में हुई है, इसलिये क्या नर्सों के

प्रतिनिधि से शासन की अथवा निदेशालय की कोई वार्ता हुई है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इन सब मांगों में प्रमुख मांग उनकी यूनिफार्म एलाउन्स की है। इनको १९४४ से ७२ रुपया के हिसाब से यूनिफार्म एलाउन्स मिल रहा था। शासन ने जब उनकी प्रमुख माग पर विचार किया, तो शासन इस बात से सहमत हुआ कि एलाउन्स कम है। इसलिये निर्णय शासन ने लिया कि ७२ रुपये से बढ़ाकर २४० रुपया प्रतिवर्ष कर दिया जाय। मान्यवर, इससे ६,३३,५५६ रु० का अतिरिक्त व्यय आयेगा और ४,११४ नर्सें इससे लाभान्वित होंगी। आज ही प्राप्त सूचना के अनुसार नर्सों ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है और शासन द्वारा उठाये गये इस कदम को स्वीकार करते हुये वे अपना यूनिफार्म उतारो अन्दोलन वापस ले लेगी और यूनिफार्म पहनकर काम करेंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन १-२ मांगों के सम्बन्ध में शासन ने अच्छा निर्णय लिया है, तो इसके अतिरिक्त जो मांगे शेष हैं, उनके सम्बन्ध में मन्त्री जी कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इनमें से अधिकांश मांगे ऐसी हैं, जिनमें वित्तीय प्रश्न निहित है, इसलिये उसके सम्बन्ध में निश्चित तारीख तो दे पाना सम्भव नहीं है, लेकिन निर्णय लिये जाने में शासन प्रयास कर रहा है कि विलम्ब न हो।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की संख्या कितनी है और कितनी इस वर्दी उतारो आन्दोलन में भाग ले रही हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन्, नर्सों की कुल संख्या ४११४ है। इनमें से अधिकांश वर्दी उतार कर ही काम कर रही थी। कुछ वर्दी पहनकर काम रही थीं। लेकिन जो शासन ने निर्णय यूनिफार्म के बारे में लिया है, उसके अलावा उनसे बातचीत चालू है। इसलिये मैं समझता हूं कि वर्दी उतारो अन्दलोन इससे समाप्त हो जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो संख्या पहले से अस्पतालों में निर्धारित थी, उससे वार्ड और बेड़े अधिक बढ़ गये, तो क्या वहां नर्सों की संख्या पहले की भांति है ? यदि हां तो क्या उसको भी मन्त्री जी बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

इसमें दो मत नहीं है कि इस प्रदेश में नर्सों की संख्या कम है और जैसे-जैसे नर्सें उपलब्ध होती जा रही हैं, वैसे-वैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि नर्स महिला और पुरुष दोनों में प्रोन्नत ग्रेड बनाने का शासन विचार कर रहा है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

बिजली की दरों में वृद्धि

**२--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) श्री राजव्रत राज सिंह (जिला खीरी) श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई), श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद), श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) तथा श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)--

क्या सरकार ने वर्ष १९७८ में गत वर्ष की तुलना में बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है ? यदि हां, तो कब से, कितना और क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

जी हां ।

दिनांक १ जुलाई, १९७८ से बिजली की दरों का पुनरीक्षण किया गया है और पुरानी और नई बिजली की दरें तथा दरों में बढ़ोत्तरी संलग्नक में दर्शाई गई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक १ मार्च, १९७८ से विद्युत उत्पादन, कोयले एवं तेल पर आबकारी शुल्क लगा दिय जाने के कारण एवं अन्य कारणों से राज्य विद्युत् परिषद् के आर्थिक दायित्वों में अधिक वृद्धि हो गई है, इन कारणों से विद्युत् दरों में दिनांक १ जुलाई, १९७८ से वृद्धि की गई है ।

चूंकि केन्द्रीय सरकार ने दिनांक १ मार्च, १९७८ से उपरोक्त आबकारी शुल्क लगाया है और बिजली की दरों का पुनः पुनरीक्षण दिनांक १ जुलाई, १९७८ से किया गया है, इसलिये उपरोक्त आबकारी शुल्क की वसूली हेतु दिनांक १ मार्च, १९७८ से उपभोक्ताओं के ऊपर २.५० पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है । यह अतिरिक्त चार्ज व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट, राजकीय नलकूप, पम्प कैनाल, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम (सिंचाई हेतु) तथा जनता सर्विस स्कीम कनेक्शनों के ऊपर नहीं लगाया गया है । दिनांक १ जुलाई, से पुनरीक्षित दरों के लागू होने पर उपरोक्त २.५० पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जायगा ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वे अन्य कौन-कौन कारण हैं, जिसके कारण बिजली की दरों में वृद्धि करना पड़ा है और वृद्धि करने से विद्युत् परिषद् को इस साल कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी और यह धनराशि गत वर्ष की अपेक्षा कितनी होगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, दरों के विभिन्न वृद्धि के कारण लगभग ३० करोड़ राजस्व की प्राप्ति की सम्भावना है । इसमें से साढ़े २२ करोड़ के लगभग हमें केन्द्रीय

*छापी नहीं गई ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सरकार को शुल्क के रूप में देना है। इसलिये कुल राजस्व की प्राप्ति हमें ७-८ करोड़ की होगी।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

अन्य कारण क्या थे यह नहीं बताया, क्या आप विधायकों की, तकनीकी लोगों की एक समिति बनाने का आश्वासन देंगे कि वह समिति विद्युत् परिषद् के क्रियाकलापों पर विचार करे और राय दे कि बिना दरों में वृद्धि के परिषद् का कार्य ठीक से चल सके ?

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न के बारे में बतायें। जहां तक दूसरा प्रश्न है, तो उसके लिये एक पब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी मौजूद है जो सदन द्वारा निर्वाचित है, वह इस कार्य को कर सकती है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, अन्य कारणों में ईंधन के मूल्य में वृद्धि तथा निजी नलकूप, जिसमें पहले छूट दे दी गयी थी, १५ से १२ किया गया था, उससे ८ करोड़ का घाटा आया। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है, भारत सरकार का, उसने भी कहा कि इस रेट पर बिजली का प्रसार नहीं होगा और उपलब्धियां नहीं होंगी। वह भी कारण था। पर्वतीय क्षेत्र में तथा बुन्देलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जो बिजली की राहत दी गयी है, ५० प्रतिशत बिलों पर नये उद्योग जो आयेंगे, तथा सामान्य क्षेत्रों में ३०० मीटर की जो एक नल-कूप से दूसरे नल-कूप तक छूट दी गयी है तथा वेतन-वृद्धि हुई है, ऐसे अनेक कारण हैं, जिनको संक्षेप में गिनाया गया है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री धर्मवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

हम तो अब सामने खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष--

मेरे लिये सभी सामने हैं।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते कि जो निजी नल-कूप किसानों के हैं वह ३-४ महीने वर्षा और दूसरे कारणों से नहीं चल पाते हैं, तो पुनः विचार करेंगे कि उनका रेट ३ पर हार्स पावर को काटकर १२ पर ले आयें ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, किसानों के नल-कूप के औसत कार्य के घंटे १५ सौ घंटे अनुमानित किये गये हैं, १२५ घंटे प्रतिमाह का औसत आया है। पिछले दिनों जब बिजली की दर शुरू में पुनरीक्षित की १९७४ के पहले तो किसान को ३ रुपया प्रति बी० एच० पी० प्लस १८ पैसे प्रति यूनिट उसे देना पड़ता था। जब इसकी

दर को पुनरीक्षित किया गया, तो यह पाया गया कि ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली का औसत ढाई घंटे आया प्रति दिन तो १५ रुपया निर्धारित किया गया और वह १९७४ में हुआ था। बिजली सुलभ न होने के कारण पिछले दिनों यह रेट घटाया गया था, इसलिए विद्युत् परिषद् ने बहुत विचार करके किया कि १५ के आगे बढ़ोत्तरी न हो।

एक सदस्य--

प्रश्नों के समय क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ? मैं उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था को न उठाया जाय। इसमें इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि जब दर को पुनरीक्षित किया गया तो क्या इस प्रश्न पर भी विचार किया गया या नहीं कि विद्युत् परिषद् के खर्चे को कम किया जाय, इंडस्ट्री वालों पर बकाया का २२ करोड़ रुपया वसूल किया जाय और करोड़ों रुपये के ट्रांस्फार्मर और सामान पड़ा सड़ रहा है और विद्युत् परिषद् की जो बिल्डिंग १० लाख लगाकर एयर कन्डीशन की गई है और हर साल उस पर ३ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, इन सब प्रश्नों पर विचार किया गया या नहीं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इन कुछ मूल प्रश्नों पर जिनका आपने उदाहरण दिया है, उस पर हमारा ध्यान है। हमने विचार भी किया है कि हम वसूली कैसे करेंगे। चाहे बड़े उद्योगों से, चाहे किसानों से, चाहे कारपोरेशन से, स्वायत्तशासी संस्थाओं से, लेकिन मैं निवेदन करूं कि रिकवरी सार्टिफिकेट का तरीका वसूली का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार शासन के साथ है। वहां से शासन से आता है और वसूली की जाती है। आडिट भी किया जा रहा है। जहां तक सामान्यतः प्रशासनिक खर्चों में कमी की बात है, जोर दिया जा रहा है कि २० प्रतिशत हमारी कटौती हो, लेकिन अगर वेतन वृद्धि होती है और आने वाले परचेजेज जिनकी ओर से हम आंख बन्द नहीं कर सकते और वसूली के भरोसे बन्द नहीं कर सकते और ट्यूबवेल जिनको हमें निर्देश करना है और नये उद्योगों को कनेक्शन देना है, जिससे विकास की गति हम तेज कर सकें। सामान की खरीदारी का पैसा साढ़े २२ करोड़ जो पावर हाउस के अन्दर हमारी कौन सी यूनिट कितने मिनियल यूनिट जनरेट करती है, इसपर केन्द्रीय सरकार से आबकारी ली जाती है। यह साढ़े २२ करोड़ रुपया हमको देना ही है। इन परिस्थितियों ने हमें रेट बढ़ाने के लिये विवश किया है।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने और उनका नाम न पुकारने पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या मुझे इजाजत नहीं मिलेगी ? ठीक है, मैं मौन व्रत धारण करूंगा १२ बजे तक, प्रश्न नहीं करूंगा।

श्री रामनरेश पांडेय--

मंत्री जी ने कहा ३० करोड़ रुपये की आमदनी होगी और उसमें से साढ़े २२ करोड़ सेन्टर को दे दिया जाएगा, तो क्या वह केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखेंगे कि इसमें छूट दे दी जाए ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

पत्र लिखने के सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् अपनी टिप्पणी मुझे भेज रहा है। मुझे लिखने में कोई एतराज नहीं है, किन्तु वह इससे एक रिजर्व फण्ड बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि विद्युत् की गति जो सारे देश में धीमी थी, उसमें वह गति देने के लिए साधारण बजट के अतिरिक्त यह फण्ड क्रिएट करना चाहते हैं।

श्री मित्र सेन--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत् उपभोक्ताओं-उद्योगपतियों पर कितना बकाया है और उसको वसूल करने के लिए उसे एज ए लैण्ड रेवेन्यु वसूली के कदम उठायेंगे तथा बढ़ी हुई दर के कारण जनता पर कितने प्रतिशत भार बढ़ेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उसे लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करने के लिए पहले से प्राविधान है। इसके लिए रोज बकाये के रिकवरी सर्टिफिकेट्स बनाकर भेजे जाते हैं और यह सूचना कि कितने-कितने परसेंट व्यवसायियों, किसानों और अन्य उपभोक्ताओं पर बढ़ा वह तो इससे सम्बन्धित नहीं है। उसकी इसमें तालिका संलग्न है, अलग-अलग आधार दिया है....

श्री अध्यक्ष--

आप टोटल बता दीजिए।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उपभोक्ताओं की कई श्रेणियां हैं जैसे घरेलू बिजली जो है, उस पर चार पैसे की इन्क्रीज हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रश्नकर्ता को प्रतिलिपि मिल चुकी है।

श्री गुलाब सेहरा --

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस वृद्धि के बाद कितनी आमदनी बढ़ी और कास्ट आफ जनरेशन प्रति यूनिट अब कितना आ रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है। यह घटता बढ़ता रहता है। सामान्यतः १५ से १७ पैसे के बीच में यह आती है। सही आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

इस वृद्धि से साधारण जनता को आघात लगा है और उसने यह समझा है कि पिछली सरकार ने जो कम कर दिया था, उसे इस सरकार ने पिछले वर्ष तो कम किया लेकिन इस वर्ष जनता सरकार ने काफी बढ़ा दिया है, तो क्या मन्त्री जी प्रदेश के किसानों पर से इस आघात को खत्म करने के लिए उनके ऊपर से यह भार हटाकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर ही इसे लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया, सदन के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, कोशिश इस बात की हो रही है कि अधिक से अधिक बिजली किसानों को सुलभ कराई जाए और उसके ठहराव का मतलब है इस पर खर्च का बढ़ाना। लाईन के निरीक्षण से लेकर बाकी सभी व्यवस्था पर खर्च होता है। इसके साथ ही, इसके अलावा परिषद् की ओर से किसानों को अनेक सुविधायें दी गई हैं, कितनी ही चीजों के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। हम किसानों को ठीक से इसकी आपूर्ति देते रहें तो वह देश और प्रदेश के हित में थोड़ा आर्थिक त्याग करने को तैयार रहते हैं और वह इस भार को स्वीकार कर लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने दरों के बढ़ने के आधार बताये हैं, एक तो ईंधन के मूल्य में महंगायी और दूसरे केन्द्रीय सरकार को देना है साढ़े २२ करोड़। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कास्ट आफ जनरेशन अभी नहीं कर पाये हैं, तो दरों में वृद्धि का औचित्य क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैंने ऐसा नहीं कहा कि अभी तक नहीं कर पाये हैं। इवर टु इयर होता है। पिछले वर्ष का है। उसकी पूरी तरह से अधिकृत सूचना इस समय मौजूद नहीं है। सामान्यतया १५-१७ पैसे के बीच में पड़ी है। ५१ करोड़ रुपये की व्यय वृद्धि हुई है। उससे कास्ट आफ जनरेशन बढ़ेगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

नियम ४९ में चर्चा का समय दें।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

इससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है या घटी है ? इस पर चर्चा का समय दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ में मैंने इसको स्वीकार कर रखा है।

कानपुर, नगर महापालिका द्वारा पंचसाला कर निर्धारण

**३--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका द्वारा वर्ष १९७८-८३ के लिए भवनों का पंचसाला कर निर्धारण

नगर महापालिका अधिकारी स्वविवेक से कर रहे हैं अथवा शासन द्वारा उन्हें कोई गाइड लाइन्स दी गयी है ? क्या यह सही है कि मकान मालिकों को जो नोटिस भेजे गए हैं उनमें गत पंचसाला की अपेक्षा चारगुना तथा छः गुना तक कर बढ़ाकर नोटिस दिए गए हैं जिसके कारण न केवल मकान मालिकों में व्यापक असन्तोष है वरन् भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी) --

कानपुर नगर महापालिका द्वारा वर्ष १९७८-८३ के लिए भवनों का पंचसाला कर निर्धारण उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है । शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई गाइड लाइन्स नहीं दी गई है । प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर ने कर निर्धारण का कार्य सुचारुरूप से सम्पन्न करने हेतु अपने अधिकारियों को कुछ गाइड लाइन्स दी है । प्राप्त सूचना के अनुसार इस कर निर्धारण से जनता में सामान्यतः कोई असन्तोष नहीं है ।

श्री बाबूराम शुक्ल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शासन द्वारा नहीं बल्कि प्रशासक, नगरमहापालिका, कानपुर ने अपने अधिकारियों को गाइड लाइन्स दी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासक ने अधिकारियों को जो गाइड लाइन्स दी है क्या उनमें यह भी गाइड लाइन है कि सभी प्रकार के भवनों पर कम से कम २५ प्रतिशत कर बढ़ा दिया जाय ? अगर यह गाइड लाइन है, तो जिनमें पिछले पांच वर्षों में कोई नया निर्माण नहीं हुआ है या किराये में वृद्धि नहीं हुई है, उन पर २५ प्रतिशत कर बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, शासन की तरफ से गाइड लाइन्स दो बातों की दी जाती हैं । एक, पंचसाला कर निर्धारण कराये । यह धारा २११ के अन्तर्गत अनिवार्य शासकीय कर्त्तव्य है । "शैल" लिखा है और "आर्डिनरिली" भी लिखा है । हम मानते हैं कि कोई इमर्जेन्सी नहीं है । सब सामान्य ढंग से कार्य कर रहे हैं । इस लिए हमारा यह लीगल आब्लीगेशन है, स्टेट्यूटरी अब्लीगेशन है, अनिवार्य कानूनी कर्त्तव्य है कि हम इसको करें । एक यह, गाइड लाइन तो नहीं है । दूसरे, जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है प्रशासक ने कुछ गाइड लाइन्स अपने अधिकारियों को दिया । उसमें जैसा कि मुझसे पूछा गया है, यह गाइड लाइन हरगिज नहीं है कि हर एक मकान के ऊपर २५ परसेंट आप बढ़ा दीजिये । तीन तरह की गाइड लाइन्स हैं । एक तो यह कि ३६० रुपये वार्षिक जिनका किराया आता है उनसे कुछ नहीं लेते हैं । दूसरे यह कि १९६८ तक के बने हुए मकान हैं रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में आते हैं, उनमें १९७२ में रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्दर २५ फीसदी बढ़ा दिया था और कानपुर नगरपालिका नहीं बढ़ा पायी थी । यह २५ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है । ६८ के बाद के मकान जो हैं, उनकी रेन्टल वैल्यू को देखते हुए ५० प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।

श्री बाबू राम शुक्ल--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह निर्देश दिया है कि १० जुलाई से ३० सितम्बर तक कर निर्धारण का काम पूरा कर लिया जाये ? लगभग ८० हजार मकान हैं, जिनका कर निर्धारण होना है। इसके लिए ४ अवकाश प्राप्त अधिकारियों की सेवायें भी ली गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिनकी सेवायें ली गयीं हैं, क्या शासन ने उनकी पुनर्नियुक्त की है अगर की है तो कब से और किन नियमों के अन्तर्गत ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर कानून के तहत १ अक्तूबर के पहले यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। ४ रिटायर्ड अधिकारी जो अपनी योग्यता और ईमानदारी के लिए प्रख्यात थे उनको एग्रीमेन्टेड सर्विस पर रखने के लिए शासन से आज्ञा प्राप्त कर के रखा गया है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व शासन का यह आदेश था कि करों का निर्धारण का जो कार्य है उसको स्थगित कर दिया जाये जब तक कि चुनाव न हो जाये ? यदि हां तो चुनाव की तिथि मालूम होने पर भी इसको क्यों किया जा रहा है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

ऐसा शासनादेश था लेकिन जब गौर किया गया तो यह महसूस हुआ कि उसमें तबदीली की जाये और हर एक आदमी को इम्प्रूव करने का अधिकार हो।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

यह जो कर निर्धारण की नीति है उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई नयी नीति बनावेंगे ?

श्री अध्यक्ष --

यह इससे नहीं उठता। यह प्रश्न नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि चूंकि समय पर शासन का काम पूरा नहीं हो रहा था इसलिए ४ अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की गयी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका, कानपुर ने इस तरह की शासन से कोई सिफारिश की थी या मांग की थी कि इस काम को पूरा करने के लिए अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाये ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति शासन की स्वीकृति से की गयी।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा प्रश्न दूसरा है। क्या नगरपालिका ने इस तरह की शासन से मांग की थी कि इतने अधिकारियों की नियुक्ति की जाये ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि मांग की थी।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

असेसमेंट जो चल रहा है उसमें जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें ५ गुना और ६ गुना बढ़ा कर प्रपोज किया गया है। जब मकान मालिक अधिकारियों के पास जाते हैं, तो वह रिश्वत लेकर पैसा कमा रहे हैं। तो जो गाइड लाइन्स हैं, उन्हीं के अनुसार नोटिस क्यों नहीं दिए जाते हैं।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि १९७२ के पहले जो सर्वे किया गया था, वह तारीख के पहले पूरा नहीं हो पाया था लिहाजा हम कोई कर बढ़ा नहीं पाये : यह बात सही है कि नोटिस में किसी जगह चार गुना, किसी जगह ५ गुना बढ़ा दिया गया लेकिन हर हफ्ते सूचना निकाली जा रही है कि नोटिस की ओर हरगिज-हरगिज ध्यान न दें बल्कि उस कमेटी के सामने उपस्थित हों और गाइड लाइन्स को सामने करके न स्वयं भ्रान्ति में पड़िए और न डालिए।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन मकान मालिकों पर टैक्स लगाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, उनको नोटिस के आधार पर सुनने का उचित मौका दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वे दे चुके हैं कि कमेटी के सामने आना चाहिए।

प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों और मान्टेसरी स्कूल व पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में असमानता

**४--श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा संचालित प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों एवं शिशु मंदिर और मान्टेसरी पद्धति से संचालित स्कूलों और पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में असमानता है जिससे प्रदेश के करोड़ों भावी बच्चों को समान पाठ्यक्रम की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और समाज की उन्नति तथा एकता में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी प्रकार के विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

वह सत्य है कि प्रश्न में उल्लिखित श्रेणियों के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में असमानता विद्यमान है और सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं है परन्तु इस असमानता को भारत सरकार के विचाराधीन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही दूर किया जा सकेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी शिशु मन्दिर, मान्टेसरी और अन्य स्कूलों में मान्यता सम्बन्धी शर्तों में यह उल्लेख करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है वह ही इनमें भी लागू होगा ? यदि नहीं, तो इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, जहां तक मान्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रश्न है, यह प्रि-प्रायमरी शिक्षा है । सरकार ने प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है जो कि ६ वर्ष तक और उसके ऊपर तक के बच्चों के लिए है । इससे नीचे तक के बच्चों की शिक्षा पूर्व प्राइमरी या प्रि-प्राइमरी शिक्षा के अन्तर्गत है जैसे मान्टेसरी और तरह-तरह की शिक्षा पद्धतियां हैं । इसके अन्दर शिशु मन्दिर भी है । जो जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है, प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को यह संस्तुति भेजी है कि संविधान की धारा ३०(१) जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाओं के लिए विशेष अधिकार दिए हुए है, उनका हनन न हो जाय, एक जैसा शिक्षा व एक जैसा पाठ्यक्रम हो जैसा कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पूर्ण विद्यालयों में लागू हो । वह पाठ्यक्रम सभी विद्यालयों में लागू हो सके, इसमें कोई विधिक कठिनाई न आ सके, इसके मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि इसमें मैं स्वतः भी प्रयत्नशील हूं कि इन सारे विद्यालयों में एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया जा सके ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे सभी विद्यालयों में समान शिक्षा और समान पाठ्यक्रम कब तक लागू कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है । मंत्री जी ने अभी कहा है कि केन्द्रीय सरकार को लिखा है और जो शिक्षा सम्बन्धी नीति है अपने संस्तुति की है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार की संस्तुति कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री काली चरण--

जुलाई में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में भारत के शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में हुआ

था, जिसमें इस प्रश्न पर विचार हुआ था कि सभी जगह शिक्षा का समान रूप हो जिस पर आम सहमति पायी गयी। एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया जाये, यह राय वहां व्यक्त की गयी। उस सम्मेलन की कार्यवाही सभी राज्यों को भेजी गयी, यहां भी आयी। उसमें एक शंका व्यक्त की गयी थी और वह थी संविधान के अनुच्छेद ३०(१) की। सबने कहा था कि उस पर विधिक राय ले ली जाय कि इससे किसी के हितों पर आघात तो नहीं होता है। हमारी तरफ से केन्द्र को पत्र भेजा जा चुका है और हम आशा यह करते हैं कि अगले माह तक उनका जवाब आ जायेगा, अगर नहीं आयेगा, तो हम उनसे पुनः अनुरोध करेंगे कि वे शीघ्र इस विषय पर अपने मार्गदर्शक सिद्धान्त हमें भेजें।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिये भी कोई सुनियोजित कार्यक्रम तैयार हो जिससे कि शिशु मन्दिरों और मान्टेसरी जैसी शिक्षा गांवों के बच्चों को भी दी जा सके ?

श्री काली चरण--

अभी तक तो प्राइमरी शिक्षा की ही जिम्मेदारी सरकार पर है। इसके पूर्ण निर्वहन के पश्चात् ही उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री गुलाब सेहरा--

मन्त्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विचाराधीन है, वह क्या है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, मैंने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो वही है जो इस समय चल रही है। अब इसमें एक समरूपता लाने के लिये परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुसार ८वीं कक्षा तक प्राइमरी शिक्षा, नवीं से १२वीं कक्षा तक माध्यमिक शिक्षा, १२वीं के बाद स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा। यह सिद्धान्त सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश हो जिससे विद्यार्थियों में श्रम करने की आदत बढ़े और श्रम के प्रति आदर की भावना जागृत हो।

इसके लिए एन० सी० आर० टी० ने कुछ विषयों के सुझाव दिये हैं और लगभग यह प्राइमरी शिक्षा से ही उसकी आदत डालने की बात कही गयी है। इन्टरमीडिएट में जाकर के उसके दो भाग करने की बातें हैं। एक पूर्ण रूप से सामान्य शिक्षा और एक व्यवहारिक शिक्षा। तो ये सारी शिक्षा नीति जिस पर विचार हुआ था, वह परीक्षण के अधीन हैं। मने बताया कि उनसे मार्गदर्शन सिद्धान्त आने के पश्चात् इसके कार्यान्वयन के बारे में विचार किया जायगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर्टिकिल ३१ का उन्होंने रिफ्रेंस दिया है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो कोई माइनारिटी मुस्लिम या सिक्ख या इसाई या कोई भी माइनारिटी है, उनको स्कूल चलाने के लिए इजाजत है

टू इस्टैब्लिश एन्ड एडमिनिस्ट्रेट इंस्टीट्यूशन आफ हिज स्वायस । क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि माइनारिटी की व्यवस्था को हटा दिया जाय ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जहां तक माइनारिटी का प्रश्न है उसमें मुसलमान, सिख, इसाई ही नहीं हिन्दू भी माइनारिटी में हैं । आर्टिकल ३१ को जहां बात कही गयी है, उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्प संख्यक दो शब्द हैं । श्रीमन् उत्तर प्रदेश में जहां हिन्दी भाषी या हिन्दू, ये माइनारिटी में नहीं आते हैं वहीं देश के कुछ दूसरे राज्यों में कम से कम भाषा की दृष्टि से हिन्दी भाषी वहां अल्प संख्यक माने जाते हैं । मैंने शुरू में ही कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हितों की रक्षा करते हुए जो अनुच्छेद ३० (१) में दिये हुये हैं, उनके अधिकारों पर आघात न करते हुए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था और एक जैसे पाठ्यक्रम की बात की संस्तुति की गयी है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए कि प्रदेश के अन्दर काफी तादाद में एसे मान्टेसरी स्कूल चलते हैं जो न मान्यता प्राप्त होते हैं और न किसी नियम के अन्तर्गत आते हैं और इन स्कूलों में बच्चों से बहुत भारी फीस ली जाती है और अध्यापक और अध्यापिकाओं को बहुत कम वेतन देकर उनके श्रम का शोषण किया जाता है । क्या इस सामाजिक शोषण को बन्द करने के लिए माननीय मंत्री जी कोई नियम या अध्यादेश लाने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जो न मान्यता प्राप्त हैं और न मान्यता लेते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर बनवा कर और बैठ कर, चाहे मुफ्त, चाहे पैसा लेकर किन्हीं बच्चों को पढ़ाना प्रारम्भ करता है और वह शासन से कोई मान्यता प्राप्त नहीं करता है, तो उसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्थानीय निकायों के चुनाव की मांग

*१—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), श्री ओंकार नाथ, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कब कराये जा रहे हैं ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रदेश में ९ फरवरी, १९७९ तक समस्त नागरीय स्थानीय निकायों का सामान्य निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है ।

मतदाता सूची तैयार करने तथा कक्ष परिसीमन में विलम्ब के कारण अभी तक स्थानीय निकायों का सामान्य निर्वाचन नहीं कराया जा सका । यह निर्णय

लिया गया कि स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं की न्यूनतम आयु २१ वर्ष से घटाकर १८ वर्ष कर दी जाय। तदनुसार मतदाता सूचियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है। संशोधित मतदाता सूची तैयार कराने में भी समय लगेगा। इसके अलावा महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया सम्बन्धी अधिनियमों में संशोधन करने पड़ेंगे।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी---

मान्यवर, मंत्री जी ने चुनाव के लिये बताया कि तीन काम कराये जाने हैं। मतदाता सूची तैयार कराना, कक्ष परिसीमन और संबंधित अधिनियमों में संशोधन करना, तो इन तीनों में से आपने अभी तक कोई काम शुरू कराया है ?

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्रश्न हो चुका है मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि चुनाव कब होंगे।

श्री अध्यक्ष---

यह स्वीकृत प्रश्न है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मान्यवर, निर्णय ले लिया गया है। अब यह सारे काम बहुत जल्दी प्रारम्भ होने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मतदाता सूची में परिवर्तन करने के लिये निश्चित राजाज्ञा जारी कर दी गई है। यदि जारी कर दी गयी है तो कब और अगर नहीं हुई हैं तो कब तक जारी हो जायगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान विधान सभा की जो निर्वाचन नियमावली है उसमें संशोधन का आदेश जारी हुआ है या नहीं, या नये रूप से सूची तैयार हो रही है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

वर्तमान जो मतदाता सूची है वह सन् १९७६ की है जिससे हम लोग चुन कर आये हैं। उस वक्त जो १९ वर्ष के होंगे अब २१ वर्ष के हो गये होंगे और अब तो १८ साल के लड़के भी शामिल कर लिये गये हैं। तो मतदाता सूची रिवाइज करना है, इलेक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने पूछा था कि राजाज्ञा जारी हुई है या नहीं अगर नहीं तो कब जारी होगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मान्यवर, यह तो अभी नहीं बतला सकता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, उत्तर सही नहीं आया, मैंने पूछा था राजाज्ञा जारी हुई या नहीं। उनको कहना चाहिये था कि नहीं जारी हुयी।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि १८ साल के लड़कों को शामिल किया है तो क्या लड़कियों को छोड़ देंगे ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष--

लड़कियां लड़कों में शामिल हैं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

मान्यवर, मंत्री जी ने घोषणा की कि फरवरी तक चुनाव करा दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी जो घोषणा कर चुके हैं उस पर कायम हैं या नहीं, फरवरी तक चुनाव हो सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कहा है तो आपको मानना चाहिये।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

उन्होंने कहा कि फरवरी तक चुनाव हो जायेंगे, सदन में कहा जा चुका है, प्रोसीडिंग आप देख लीजिये। आज क्या कारण है कि स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहे हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह क्या कुछ कम स्पष्ट है कि ९ फरवरी के पहले चुनाव हो जायेंगे। (हंसी)

श्री ओंकार नाथ--

मान्यवर, कक्ष परिसीमन का कार्य कब तक पूरा हो जायगा, मतदाता सूची और एक्टों में संशोधन इस काम की गति को देखते हुये को यह काम शुरू नहीं हुआ है तो क्या यह संम्भावना है कि चुनाव ९ फरवरी के आगे बढ़ाये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका अनुमान है, इसको इजाजत नहीं है।

श्री ओंकार नाथ--

कक्ष परिसीमन का काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री गणशदत्त बाजपेयी--

जो हमारे एल० आर० हैं उनकी देखरेख में कार्यकाल तथा तिथियां तय होंगी। इसके पहले वह मतदाता सूचियां देखेंगे, कक्ष परिसीमन करेंगे। इस सबको इलेक्शन डिपार्टमेंट करेगा अभी तिथियां निश्चित नहीं की गयी हैं, लेकिन जनवरी के पूरे महीने में हम चुनाव का सारा कार्यकाल और तिथियां तय कर लेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

शासन ने पिछली बार चार दफा घोषणा की थी कि ये चुनाव होंगे लेकिन नहीं हुए तो क्या इस बार ये चुनाव हर कीमत पर हो जायेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

उत्तर भारत में गुजरात एक तरफ तथा वेस्ट बंगाल दूसरी तरफ किसी भी स्टेट में हमारी जानकारी में स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा नहीं की गयी है। यह देखते हुए शासन बधाई का पात्र है।

श्री गुलाब सेहरा---

मतदाता की आयु १८ वर्ष की जा रही है तो जो कैंडिडेट हैं उनकी आयु की सीमा भी घटाने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

नगर प्रमुख की आयु क्या हो तथा दूसरों की आयु क्या हो इस पर विचार होना बाकी है।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)---

यह जो घोषणा की है कि ६ फरवरी तक स्थानीय निकायों के चुनाव हो जायेंगे, तो निश्चित रूप से चुनाव किस दिन होंगे क्या सरकार इसकी घोषणा कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)---

जब तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक के लिये क्या सरकार कोई पब्लिक की एडवायजरी समिति बना देगी ताकि कुव्यवस्था को दूर किया जा सके ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

६ महीने से अधिक समय होता तो अवश्य एडवाइजरी कमेटी बना देते लेकिन ३, ४ महीने चुनाव के रह गये हैं इसमें दो तीन महीने बनाने में ही लग जायेंगे, जिससे कोई लाभ नहीं होगा।

होम्योपैथिक कालेजों के प्रान्तीयकरण से संबंधित गठित समिति की रिपोर्ट

*२---श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई), श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ), श्री छेदी (जिला गोन्डा), श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा) तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष से चल रहे होम्योपैथिक छात्र आन्दोलन की प्रमुख मांग, गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों के प्रान्तीयकरण के सिलसिले में प्रक्रिया सम्बन्धी संस्तुतियों हेतु एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि प्राप्त हो गई है, तो रिपोर्ट क्या है और उस दिशा में शासन की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो शासन के विचाराधीन है। अभी इस स्तर पर रिपोर्ट का ब्योरा देना जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

२७ अप्रैल, १९७८ को इस सदन में यह बताया गया था कि प्रान्तीयकरण तथा उससे सम्बद्ध समस्त पहलुओं पर विचार करने तथा संस्तुतियों को देने हेतु समिति गठित कर दी गयी है, जिनके प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी तो क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? दूसरे, पिछले डेढ़ साल से यह आन्दोलन चल रहा है। डेढ़ हजार के लगभग शिक्षक तथा कर्मचारी हैं जिनमें भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी वेतन न मिलने के कारण तो उसके बारे में शासन की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

होम्योपैथी शिक्षक और छात्रों की समस्याओं को ले कर उनके समाधान हेतु एक समिति गठित की गई थी और मैंने सदन में अपने वक्तव्य में कहा था कि उस समिति की रिपोर्ट आने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जैसा कि मैंने निवेदन किया उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें जो संस्तुतियां की गई हैं, उनके ऊपर शासन विचार कर रहा है। आज इस स्तर पर उन संस्तुतियों के बारे में ब्योरा देना जनहित में न होगा। वे शासन के विचाराधीन हैं। उसमें एक-एक चीज संदर्भित की गई है।

श्री मंजूर अहमद--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को प्राप्त हुये कितने दिन हो गये हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि वह रिपोर्ट क्या है और उसका ब्योरा देने में क्या आपत्ति है ? वह तो आपको बतलाना ही होगा। उसका जनहित में क्या अहित होगा ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, शासन को यह रिपोर्ट ५ अगस्त, १९७८ को प्राप्त हुई है। उनमें जिन विषयों को संदर्भित किया गया था और जिन विषयों पर वह रिपोर्ट आयी हैं, उसमें कुछ विधिक कठिनाइयां है जिनको दूर कर दिया जाय तो जो प्राइवेट मैनेजमेंट है वह उसका दुरुपयोग कर सकता है और जिस दिशा में शासन आगे बढ़ना चाहता है उसमें हमारे न चाहते हुये भी व्यवधान हो सकता है। उससे एक प्रकार से होमियोपैथी को नुकसान ही पहुंचेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शासन को निर्णय लेने का मौका दें। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। जब निर्णय हो जायेगा तो वह आपको बता देंगे।

श्री राजनाथ सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शासन द्वारा नियुक्त ७ सदस्यीय समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें शासन द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि उक्त समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसको

मंत्री जी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ताकि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य भी अपने विचार व्यक्त कर सकें क्योंकि यह होमियोपैथी के विद्यार्थियों की नीति और व्यवस्था का प्रश्न है ? इस तरह की रिपोर्ट का यहां पर रखना नितांत आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है । विचार करने के बाद शासन उसे सदन के पटल पर रखेगा ।

श्री राजनाथ सिंह--

क्या होमियोपैथी के विद्यालयों के प्राध्यापकों को जो १४ महीने का वेतन बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पाया है, उसके सम्बन्ध में शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री कल्याण सिंह--

हमारी ओर से प्रयास हो रहा है कि चूंकि यह मामला बहुत दिनों से खिंच रहा है इसलिए इस पर शीघ्र निर्णय हो जाना चाहिये । इस दिशा में हम प्रयत्न-शील हैं । इसमें एक बड़ी वित्तीय धनराशि निहित है और साथ ही विधिक कठिनाई भी है जिसको पूरा करने के लिये कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन
नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत
प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत् परिषद् की भंडार प्रबन्ध पद्धति तथा लेखा पद्धति के सम्बन्ध में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद का सर्वेक्षण प्रतिवेदन

*१--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने १९७४ में विद्युत् राज्य परिषद् की भंडार प्रबन्ध पद्धति तथा लेखा पद्धति तथा लेखा पद्धति का विस्तृत सर्वेक्षण करके उसे प्रभावी बनाने के लिये कोई प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि तथा उस पर कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

प्रतिवेदन की एक प्रति मात्र सुलभ है । प्रतियां बनाकर सदन के मेज पर रख दी जायेंगी । तब तक माननीय सदस्य मेरे कक्ष में उसका अवलोकन कर सकते हैं ।

प्रतिवेदन के मुख्य विषयों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नांकित है :

नोट : [नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।]

(१) भंडार प्रबन्ध और नियंत्रण संगठन की स्थापना जिसके अन्तर्गत परिषद् में फरवरी १९७५ में एक पृथक भन्डार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन की स्थापना कर दी गई है ।

(२) भंडार सामग्री की खरीद हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रय समितियों का गठन जिसके अन्तर्गत परिषद् ने विभिन्न क्रय संमितियों का गठन कर दिया है ।

(३) प्री आडिट चेक (Pre-Audit check) का प्राविधान जिसके अन्तर्गत परिषद् ने डाइरेक्टर इन्टर्नल आडिट (Director Internal Audit) की नियुक्ति कर दी है । शेष संस्तुतियों के सम्बन्ध में बोर्ड कार्यवाही करने पर विचार करेगा ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा पृथक भण्डार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन की स्थापना

*२—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि क्या राज्य विद्युत् परिषद् ने फरवरी, १९७५ में एक पृथक भण्डार प्रबन्ध और नियन्त्रण संगठन की स्थापना के आदेश प्रसारित किए थे ? क्या मन्त्री जी उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि परिषद् के विभिन्न खण्डों ने इन आदेशों के प्रसारित होने के बाद भी बड़ी मात्रा में भण्डार सामग्री क्रय करना तथा उसे पास रखना जारी रखा ? यदि हां, तो सम्बन्धित खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने एक पृथक् भण्डार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन की स्थापना हेतु परिषदाज्ञा संख्या सी–९७/पी० ए० एम० सी०/एस० ई० बी०, दिनांक १० फरवरी, १९७५ द्वारा आदेश प्रसारित किये थे । इन आदेशों के अन्तर्गत कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर तथा मुख्य उत्पादन परियोजनाओं को मुक्त रखा गया था । तत्पश्चात् परिषदाज्ञा संख्या ४१३७–जी० एस० पी० ई० बी०/छः–७५, दिनांक १ जनवरी, १९७६ द्वारा प्रेषण खण्डों के भण्डारों को भी भण्डार प्रबन्ध एवं नियंत्रण संगठन की कार्य परिधि से मुक्त कर दिया गया था तथा वर्तमान स्थिति में यह संगठन मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण एवं प्रेषण व वितरण (६६ के० वी० तक) के लिए आवश्यक भंडार सामग्रियों के भण्डारण व वितरण के लिए जिम्मेदार हैं ।

उल्लिखित आदेश काफी विस्तृत हैं, अतएव माननीय सदस्य मेरे कक्ष में उनका अवलोकन कर सकते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सामान की खरीद

*३—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बाहर की किन–किन फर्मों से जुलाई, १९७७ के पश्चात् से ३१ मार्च, १९७८ तक दस हजार रुपये से ऊपर का सामान विद्युत् परिषद् द्वारा लिया गया है और क्या यह भी सही है कि अब

भी खरीदारी अनियमित तौर पर जारी है और निदेशक, उद्योग विभाग से कोटेशन रेट नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है ? यदि नहीं, तो पूरी स्थिति क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा जुलाई, १९७७ के पश्चात् से ३१ मार्च, १९७८ तक दस हजार रुपये से अधिक के क्रय आदेश प्रदेश के बाहर की ३४८ फर्मों को दिये गये जिनकी सूची बहुत लम्बी है । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मेरे कक्ष में देख सकते हैं । परिषद् द्वारा किसी भी सामान का क्रय नियमों के अधीन होता है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित क्रय पद्धति के अन्तर्गत निदेशक, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार एवं डाइरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिसपोजल (डी० जी० एस० एण्ड डी०), भारत सरकार द्वारा जिन-जिन फर्मों के रेट कन्ट्रेक्ट जिस सामग्री के लिये निर्धारित किये जा चुके हैं, वह सामग्री उन्हीं सम्बन्धित फर्मों से, यदि सामान उपयुक्त हो, तो स्वीकृत दरों पर क्रय की जाती है । अतः निदेशक, उद्योग विभाग से कोटेशन रेट लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

[बृहस्पतिवार, ३१ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दे ही, देवरिया के कर्मचारियों के वेतन की लूट

*१—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसही-देवरिया, जिला देवरिया के चिकित्साधिकारियों सहित समस्त कर्मचारियों का माह अक्तूबर, १९७५ का वेतन १ नवम्बर, १९७५ को डकैतों द्वारा लूट लिया गया और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ? क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों का उक्त माह का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतन का भुगतान करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, डकैती के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

डकैती के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है उनके वेतन को दुबारा आहरित करके भुगतान करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

लखनऊ नगर की बाराबिरवा से सुभाष नगर सड़क के निर्माण की मांग

*२—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित बाराबिरवा से सुभाष नगर (भोला खेड़ा) जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य विगत लगभग ३ वर्षों से शासन की स्वीकृति के बावजूद भी नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा न किए जाने का क्या कारण है तथा क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का आदेश देते हुए उक्त मार्ग को अविलम्ब निर्मित किए जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी--

शासन द्वारा इस कार्य की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, बल्कि नगरमहापालिका, लखनऊ स्वयं इस मांग को पक्का करने का प्रयास कर रही है और १,६९,००० रु० का आगणन भी बनाया है । किन्तु धनाभाव के कारण उसका निर्माण अभी तक नहीं करा सकी है । धन की प्राप्ति पर यह सड़क बनवा दी जाएगी ।

*३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

डा० एम० के० गुप्ता, लेक्चरर, रेडियोलाजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के वेतन का भुगतान

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज द्वारा रेडियोलाजिकल फिजिक्स में डिप्लोमा के लिए भावा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई को अपने जिन प्राध्यापकों को वर्ष १९७५ में भेजा गया था उनको वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७५ में डा० एम० के० गुप्ता, लेक्चरर, रेडियोलोजी विभाग, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय से एक वर्ष का अवकाश लेकर भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा आयोजित "हेल्थ फिजिक्स" स्नातकोत्तर कोर्स का अध्ययन करने गये थे । इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार डा० गुप्ता को अर्द्ध औसत वेतन पर दिनांक २० सितम्बर, १९७५ से अवकाश स्वीकृत कर दिया गया था और तदनुसार ही डा० गुप्ता को इस अवधि का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

राजकीय जन विश्लेषक कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों का मांग-पत्र

*५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जन विश्लेषक कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों का कोई मांग-पत्र उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित होकर १४ फरवरी, १९७८ को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो प्रमुख मांग क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत प्रयोगशाला के १७ जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंटों के प्रत्यावेदनों की कुछ प्रतियां शासन को प्राप्त हुई थीं । इनमें से एक प्रति प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक १३-२-७८ द्वारा अग्रसारित की गई थी । इनमें मुख्य मांग यह की गई थी कि प्रयोगशाला में तदर्थ रूप से कार्यरत उक्त १७ व्यक्तियों को आयोग के एक प्रतिनिधि की अध्यक्षता में विभागीय चयन समिति बनाकर नियमित कर दिया जाये और इन पर चयन हेतु आयोग द्वारा जो विज्ञापन किया गया है उसे वापस लिया जाये ।

दिनांक १ जनवरी, १९७७ से पूर्व की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित कर दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आयोग को दिनांक

२५ जुलाई, १९७८ को लिखा जा चुका है कि उक्त पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये ताकि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा बनाई जा रही नियमावली के प्राविधानों के अनुसार इन्हें नियमित किए जाने पर विचार किया जा सके ।

*६-७--श्री ऊदल--

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८-९ पर स्थानान्तरित ।]

*८--श्री रवीन्द्र सिंह--

[१ले गुरुवार में दिनांक २४-८-७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

मेसर्स हनुमान इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ के कर्मचारियों का बोनस

*९--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या श्रम मंत्री को इस बात की जानकारी है कि हनुमान इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ के कुछ कर्मचारियों को वर्ष १९७४-७५ का बोनस भुगतान आज तक नहीं किया है । यदि हां, तो भुगतान अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं तथा क्या मन्त्री जी अविलम्ब उन ऐसे अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को जो उस समय कार्यरत रहे हैं बोनस भुगतान किये जाने हेतु आदेश निर्गत करेंगे ?

श्रम एवं आबकारी मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मेसर्स हनुमान इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ के कर्मचारी स्वयं बोनस लेने नहीं गये । सेवायोजकों को निदेश दिये गये हैं कि सम्बन्धित कर्मचारियों को देय बोनस की धनराशि का भुगतान कर दें । सेवायोजकों ने सूचना पट पर एक नोटिस लगाकर यह सूचित कर दिया है कि जिन कर्मचारियों का लेखा वर्ष १९७४-७५ का बोनस अवशेष है वह आकर उसे प्राप्त कर लें ।

*१०--श्री राम दत्त जोशी--

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर, लखनऊ तथा बाराबंकी जिलों के चिकित्सा मुख्यालय के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

*११--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

प्रथम सत्र १९७८ के तीसरे गुरुवार, दिनांक १३ अप्रैल, १९७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधान एवं लेखा लिपिकों जिनका सेवाकाल पांच वर्ष से अधिक अवधि का हो गया है, क्या उनका स्थानान्तरण करने का निर्णय सरकार ने अभी हाल में लिया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? उपरोक्त के सन्दर्भ में सरकार यह भी बताएगी कि स्टेवार्ड और स्टोर कीपर के ५ वर्ष से अधिक अवधि से सेवारत कर्मचारियों का भी स्थानान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, ५ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत प्रधान एवं लेखा लिपिकों के स्थानान्तरण जनहित में करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया गया है ।

जी नहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं समझा गया ।

*१२--श्री राम दत्त जोशी--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४७ पर स्थानान्तरित ।]

बलरामपुर अस्पताल लखनऊ का जनरेटर

*१३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण राजकीय चिकित्सालय, बलरामपुर अस्पताल (लखनऊ) में शक्तिशाली जनरेटर के अभाव में विद्युत् आपूर्ति बन्द होने की स्थिति में रोगियों एवं परिचारकों को असाधारण कष्ट झेलने पड़ते हैं तथा उनका जीवन भी संकटापन्न है ? यदि हां, तो शीघ्र जनरेटर की व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है ।

बांदा जिले में स्टेडियम निर्माण हेतु नजूल भूमि का हस्तान्तरण

*१४--श्री देवकुमार--

क्या खेलकूद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या ४५०७--न/न--२--२८८न/७४, स्वायत्त शासन अनुभाग--२, दिनांक ४ मार्च, १९७७ के अनुसार नगरपालिका, बांदा का नजूल प्लाट नं० ३४ को स्टेडियम निर्माण हेतु स्थानान्तरित किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त स्टेडियम भूमि के कुछ भाग को सेन्ट्रल वेयर हाउस को गोदाम बनाने के लिए लिये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को रद्द किए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

यह प्रस्ताव था । अब नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में खेलकूद के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

*१५--श्री देवकुमार--

क्या खेलकूद मन्त्री कृपया बतावेंगे कि वर्ष १९७३--७४, १९७४--७५, १९७५--७६, १९७६--७७ व १९७७--७८ में बांदा जनपद के बालक/बालिकाओं के कौन--कौन से खेल प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के आदेश थे, वे सभी प्रशिक्षण शिविर हुए अथवा नहीं ? यदि हां, तो किन--किन तिथियों में, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष १९७८--७९ में बालक व बालिकाओं के प्रशिक्षण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कौन--कौन से खेलों की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७३--७४ से १९७७--७८ तक निम्नलिखित प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के आदेश थे :

१९७३–७४	१९७४–७५
१—बालीबाल (बालिका) ..	१—फुटबाल
	२—बालीबाल (बालिका)
	३—बास्केटबाल
	४—बालीबाल

१९७५–७६	१९७६–७७
१—फुटबाल ..	१—एथेलेटिक्स
२—टेबिल टेनिस ..	२—वेटलिफ्टिंग
३—बैडमिन्टन ..	३—बालीबाल
४—बालीबाल ..	४—फुटबाल

१९७७–७८
१—फुटबाल
२—हाकी
३—वेटलिफ्टिंग
४—बालीबाल
५—बैडमिन्टन (बालक, बालिका—दोनों)

कुल स्वीकृत १८ शिविरों में से १३ शिविर आयोजित हुए। ५ शिविर साजसज्जा एवं उपकरणों के रखने की व्यवस्था न होने तथा धनाभाव के कारण नहीं हो सके, वे पांच शिविर निम्नलिखित हैं:

१९७५–७६ ..	१—फुटबाल
	२—टेबिल टेनिस
१९७६–७७ ..	१—एथेलेटिक्स
	२—वेटलिफ्टिंग
१९७७–७८ ..	१—वेटलिफ्टिंग

आयोजित १३ शिविरों की तिथि निम्नवत् हैं:

१—बालीबाल (बालिका) ..	२४–७–१९७३ से १९–८–१९७३
२—फुटबाल ..	४–११–१९७४ से ३–१२–१९७४

३—बालीबाल (बालिका) .. २८-६-१९७४ से २७-१०-१९७४

४—बालीबाल .. २५-१-१९७५ से ३१-३-१९७५

५—बास्केटबाल .. २५-२-१९७५ से ३१-३-१९७५

६—बैडमिन्टन .. ७-५-१९७५ से ६-६-१९७५

७—बालीबाल .. १-११-१९७५ से ३१-१२-१९७५

८—फुटबाल .. १-८-१९७६ से ३०-९-१९७६

९—बालीबाल .. १-१-१९७७ से २८-२-१९७७

१०—हाकी .. १-४-१९७७ से ३०-६-१९७७
१-१०-१९७७ से २८-२-१९७८

११—बालीबाल .. १-४-१९७७ से ३०-६-१९७७
१-१०-१९७७ से २८-२-१९७८

१२—बैडमिन्टन (संयुक्त) .. १-४-१९७७ से २८-२-१९७८

१३—फुटबाल .. १-८-१९७७ से ३०-९-१९७७

जी हां, बालकों के निम्नलिखित तीन खेलों में प्रशिक्षण की योजना है :—

१—हाकी

२—बालीबाल

३—एथेलेटिक्स

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, के० जी० मेडिकल कालेज में एक्सरे प्लेट्स गायब होने के सम्बन्ध में कथित आडिट आपत्ति

*१६—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में लगभग २ लाख मूल्य की एक्सरे प्लेट्स के गायब होने का आरोप गत वर्ष के आडिट में लगाया गया है? यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि उक्त प्लेट्स सम्बन्धित डाक्टर ने अपनी निजी प्रैक्टिस में प्रयोग कर ली है? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कल्याण सिंह (स्वास्थ मन्त्री)—

जी नहीं। अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में गत वर्ष कोई आडिट आपत्ति नहीं की गई थी।

फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज नगरपालिका के अध्यक्ष पर बकाया विद्युत शुल्क

*१७—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज नगर के कितने ऐसे विद्युत् उपभोक्ता है जिन पर ३१ मार्च, १९७८ तक ५० हजार रुपए से अधिक का बकाया है और अभी तक उनका भुगतान नहीं हो सका है? उनके भुगतान के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त उपभोक्ता अपना धन का भुगतान न करके अपने परिवार के अन्य लोगों के नाम नया विद्युत् कनेक्शन ले रहे हैं? यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज नगर के केवल एक उपभोक्ता तथा अध्यक्ष नगर पालिका कायमगंज ही ऐसे हैं जिन पर ३१-३-१९७८ तक ५०,००० रुपया से अधिक विद्युत् धनराशि बकाया है जो कि नगर प्रकाश से सम्बन्धित है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस कनेक्शन को काटा नहीं गया है। उनके भुगतान के लिए देयों की वसूली अधिनियम १९५८ की धारा ३ के अन्तर्गत डिमान्ड नोटिस दिनांक २१-३-१९७८ को भेज दिया गया था तथा जिलाधिकारी से भुगतान कराने के लिए अधिशासी अभियन्ता ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया है। प्रभारी अधिकारी नगर पालिका चालू देय धनराशि का भुगतान कर रहे हैं और शेष बकाया धनराशि के भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। उक्त उपभोक्ता द्वारा अपने धन का भुगतान न करके अपने परिवार के अन्य लोगों के नाम नया विद्युत कनेक्शन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता एवं न ही उसे रोकने के प्रयास का कोई प्रश्न उठता है।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में रिहैबिलीटेशन व फिजियोथेरापी के प्रशिक्षण हेतु लेक्चरार व प्रोफेसर के पद

*१८—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रिहेबिलीटशन सेन्टर को के० जी० मेडिकल कालेज की एकेडेमिक कौंसिल द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापन तथा रेजिडेंसी कार्य हेतु मान्यता प्राप्त है? यदि नहीं, तो सन् १९७८-७९ को आय-व्ययक की नई मदों के खण्ड ३, आयोजनागत बजट में मांगे गए रेजिडेन्ट डाक्टरों, प्रोफेसर तथा लेक्चरार आदि पदों का क्या औचित्य है?

श्री कल्याण सिंह—

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के आर्थोपिडिकल सर्जरी विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रशिक्षण में रिहैबिलीटेशन एवं फिजियोथेरापी का विशेष महत्व है और यह कार्य रिहैबिलीटेशन सेन्टर में किया जा रहा है अतः इस सेन्टर को एकेडेमिक कौंसिल द्वारा अलग से मान्यता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त सेन्टर के लिए अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग आदि के लिए चालू वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के आय–व्यय में नई मांगों द्वारा आवश्यक प्राविधान किया गया है, जिसमें इस सेन्टर के सर्जिकल तथा वार्ड विंग के लिए एक प्रोफेसर तथा लेक्चरार व रेजीडेंट्स आदि के पद भी शामिल हैं।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के फिजिकल मेडिसिन विभाग के भवन का निर्माण

*१९—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के अन्तर्गत इस केन्द्र से भिन्न फिजिकल मेडिसिन तथा रिहैबिलीटेशन विभाग स्थापित करने के लिए भवन निर्माण मेडिकल कालेज प्रांगण में पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि कब और किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दी गई थी?

श्री कल्याण सिंह—

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के अन्तर्गत फिजिकल मेडिसिन विभाग के भवन निर्माण हेतु वर्ष १९६५ में २,००,००० रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

कोयला एवं तेल के अभाव में बन्द रहने वाले विद्युत् गृह

*२०—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि जून सन् १९७८ के महीने में कोयला एवं तेल के अभाव में प्रदेश के बिजली घरों के बन्द होने की नौबत आ गई और विभिन्न ताप घर कई दिनों बन्द भी रहे? यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

कोयले के अभाव के कारण बरेली विद्युत् गृह जून के महीने में २०४ घंटे बन्द रहा। इसके अतिरिक्त कोई विद्युत् गृह बन्द नहीं रहा।

तेल के अभाव में पूरा विद्युत् गृह तो बन्द नहीं रहा परन्तु माह जून, १९७८ में ओबरा तापीय विस्तार द्वितीय चरण की २०० मेगावाट की इकाई १२७ घन्टे तथा हरदुआगंज स्टेज पांच की ११० मेगावाट की इकाई ४८ घंटे के लिए बन्द रही।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के बिजली घरों को सुचारु रूप से समुचित मात्रा में कोयला एवं तेल उपलब्ध होता रहे, इसके लिए परिषद् स्तर पर एक अधीक्षण अभियन्ता (मानीटरिंग) की नियुक्ति की गयी है। विभिन्न विद्युत् गृहों की आगामी ३ महीने की सम्भावित कोयले की आवश्यकता को केन्द्रीय विद्युत् मंत्रालय के अन्तर्गत गठित एक समिति द्वारा निर्धारित करवाते हैं। इस समिति के सदस्य रेलवे एवं कोल इन्डिया के भी होते हैं। जो समिति द्वारा निर्धारित कोयले की मात्रा की आपूर्ति के लिए बाध्य होते हैं। अगर प्रत्येक महीने में निर्धारित

मात्रा में कोयले की आपूर्ति में शिथिलता आती है तो नियुक्त अधीक्षण अभियन्ता रेलवे एवं कोल इन्डिया को समय-समय पर विद्युत् गृह विशेष, जिसके पास कोयले का स्टाक कम हो गया है उसकी जानकारी देते हैं ताकि कोयले के अभाव में विद्युत् गृह बन्द न होने पाये।

इसी प्रकार तेल की आपूर्ति का काम केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के माध्यम से तेल के आवंटन के लिए गठित समिति द्वारा करवाया जाता है। यदि किसी विद्युत् गृह के तेल का स्टाक एक निर्धारित सीमा से कम हो जाता है तो इन्डियन आयल निगम और रेलवे को समय-समय पर स्थिति से अवगत कराते हुए तेल की समुचित मात्रा में आपूर्ति करवाई जाती है।

नलकूप विभाग पर राज्य विद्युत् परिषद् की बकाया धनराशि

*२१—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विभाग का लाखों रुपया नलकूप विभाग पर बकाया पड़ा है? यदि हां, तो उसके वसूल करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, नलकूप विभाग पर राज्य विद्युत् परिषद् का मई, १९७८ तक लगभग ७५८·९४ लाख रुपये बकाया है। नलकूप विभाग ने बिजली के बिलों के भुगतान हेतु २८-७-१९७८ व २-८-१९७८ को क्रमशः रुपया ९·२७ करोड़ एवं रुपया २·७० करोड़ अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को आवंटित कर दिया है। आशा की जाती है कि बकाया धनराशि का भुगतान नलकूप विभाग से शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा।

*२२—श्री राज कुमार शर्मा—

[२४-८-१९७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत उत्तरित।]

लखनऊ जिले में अफीम से हरोइन का निर्माण

*२३—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में अफीम द्वारा हरोइन बनाने के अवैध केन्द्र चल रहे हैं जहां से तस्करों द्वारा विदेशों को निर्यात किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री रमा शंकर कौशिक—

शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

आगरा जिले में शराब की बिक्री हेतु लाइसेन्स प्राप्त होटल

*२४—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या यह सही है कि आगरा जनपद में आबकारी नियमों का खुलकर उल्लंघन वर्तमान समय में हो रहा है? बन्दी के दिन भी शराबों की दुकानें खुली रहती हैं

और समय से रात्रि को बन्द नहीं होती हैं एवं होटल व रेस्तराओं में अवैध शराब बिकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं ।

आगरा नगर में स्थित १० होटलों को एफ० एल० ६ लाइसेन्स प्राप्त है जिसके अन्तर्गत वे शराब की बिक्री होटल के कमरे के अन्दर पीने के लिए कर सकते हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, श्री० ए० एच० अन्सारी विद्युत् वितरण खंड लखीमपुर खीरी के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट एवं उनका निलम्बन

*२५—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता (श्री ए० एच० अन्सारी) विद्युत् वितरण खंड, लखीमपुर खीरी, जो वर्ष १९७३ से १९७५ तक बाराबंकी में नियुक्त रह चुके हैं, के विरुद्ध बाराबंकी जनपद में कुछ भ्रष्टाचार के मामले सरकार के विचाराधीन थे ? यदि हां, तो उन भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, किन्तु जो आरोप लगाए गए थे वे विशेषतया वित्तीय नियमों का उल्लंघन एवं पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में थे । इस सम्बन्ध में श्री अन्सारी को ५-४-७४ को निलम्बित किया गया था तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दन्ड दिए गए तथा दिनांक १५-६-७७ को उन्हें सेवा से बहाल कर दिया गया था ।

(अ) ५-४-७४ से १५-६-७७ तक के निलम्बन काल का पूरा वेतन भत्ता आदि न देकर उन्हें केवल निर्वाह भत्ता दिया गया जिसे उन्होंने निलम्बन काल में प्राप्त किया था ।

(ब) उनकी चरित्र पंजी में निन्दा प्रविष्टि की गई ।

*२६—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता (श्री ए० एच० अन्सारी) विद्युत् वितरण खंड, लखीमपुर खीरी आज से ३ वर्ष पहले कौन से भ्रष्टाचार के आरोप में बाराबंकी जनपद में निलम्बित किए गए थे ? जिन कारणों से निलम्बित किये गये थे उसकी जांच रिपोर्ट मन्त्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्री अन्सारी को उनके द्वारा सितम्बर, १९७१ से अप्रैल १९७४ तक मुख्यतः निम्न प्रकार की कथित अनियमितताओं के लिए निलम्बित व आरोपित किया गया था :—

(१) अपनी वित्तीय सीमा के बाहर वर्क आर्डर्स एवं सप्लाई आर्डर्स द्वारा लगभग ५०.८० लाख रुपये के सामान की खरीददारी ।

(२) सामान के टुकड़े-टुकड़े करके अधिक दर पर तथा आवश्यकता से अधिक सामान का क्रय किया जाना जिससे परिषद् को लगभग ६.१९३ लाख रुपये की हानि हुई ।

(३) फर्मों के एक ही समूह को सामान की आपूर्ति हेतु आदेश दिया जाना और एक ऐसी फर्म को भी आदेश दिया जाना जिसका नाम काली सूची में लिखा गया था ।

(४) सामान की खरीददारी योजनाबद्ध नहीं की गई, ऐसे सामान की खरीददारी की गई जो पूर्व में "बचत" घोषित की गई थी अथवा जिसके खंडीय स्तर पर क्रय पर परिषद् द्वारा रोक लगा दी गई थी ।

(५) बिना कोई इस्टीमेट बनाए और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उच्च आदेश का उल्लंघन कर समान निर्माण कराने हेतु एल्यूमिनियम स्केप ठेकेदारों को दिया जाना ।

(६) लगभग २.६६ लाख रुपए के मूल्य की टी० एन्ड पी० के सामान की खरीददारी, बिना कोई इस्टीमेट बनाए और सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के, किया जाना ।

(७) लगभग ०.४३४ लाख रुपये की स्टेशनरी की खरीददारी बिना परिषद् की पूर्व स्वीकृति के किया जाना ।

(८) सामान की रचना व निर्माण हेतु उच्च आदेशों के विपरीत बिना मूल्य लिए ठेकेदारों को तांबा, एल्यूमिनियम तथा स्टील स्केप दिया जाना । कतिपय आदेशों में यद्यपि बिना मूल्य स्केप दिये जाने का प्राविधान था, परन्तु दिए जाने वाले स्केप की मात्रा इंगित नहीं की गई जिसके कारण अधिक स्केप दिया गया और परिषद् को रु० १३,१६४.६५ की हानि हुई । ऐसे मामलों में ठेकेदारों से कोई जमानत नहीं ली गई ।

(९) परिषद के आदेशों की उपेक्षा कर ७,९४९.५९ का सेल्स टैक्स के रूप में अधिक भुगतान किया जाना ।

(१०) श्री अन्सारी ने अपने अधीक्षण अभियन्ता को वर्क आर्डर्स एवं सप्लाई के मूल्य की गलत सूचना दी ।

(११) सप्लायर्स द्वारा दी गई दरों से अधिक दरों पर आदेश दिए जिससे परिषद को रु० १,४६४.८० की हानि हुई ।

जांच रिपोर्ट एक गोपनीय अभिलेख है जिसको सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा । इस मामले को विजिलेंस की जांच के लिए भेजा जा रहा है ।

बाराबंकी जिले के श्री जुगल के पास से बरामद शराब की बोतल

*२७--श्री मित्रसेन--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी में गत ५-६ मई को रात को ९८ बोतल अवैध शराब पकड़ी गई है ? यदि हां, तो इस घटना का विवरण क्या है ? क्या इस घटना से कोई संसद सदस्य भी सम्बन्धित है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

दिनांक ५/६ मई १९७८ की रात को नहीं, बल्कि ३/४ मई, १९७८ की रात पौने एक बजे छाया टाकीज के चौराहे पर मुल्जिम जुगनू पुत्र जानकी निवासी मुहल्ला रसूपुर थाना कोतवाली बाराबंकी के पास साइकिल पर लदी एक बोरे में १० बोतल शराब संतरा, ५२ बोतल शराब माल्टा, डढ़ पौवा माल्टा १६ बोतल, एवं एक पौवा संतरा १० बोतल बरामद की गयी। मुल्जिम के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है। अभियोग विवेचनाधीन है। इस घटना से कोई संसद सदस्य सम्बन्धित नहीं पाया गया है।

* २८--श्री मित्रसेन--

[५वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगर पालिका, फिरोजाबाद का नलकूप एवं पेय जल की व्यवस्था

* २९--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की नगर-पालिका, फिरोजाबाद में क्या सात नलकूप खराब हैं फलस्वरूप नगर को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है ? सरकार ने इन्हीं कुंओं को ठीक कराने की क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में कुल १६ नलकूप थे। इनमें से सात नलकूप लगभग १५-२० वर्ष पुराने हैं। इन सात नलकूपों में से एक नलकूप संख्या ८ फेल घोषित हो चुका है और एक नलकूप नं० ४ भर चुका है जिसका कि पुर्नविकास किया जाना है। शेष पांच नलकूप पुराने होने के कारण यदा-कदा खराब हो जाते हैं तथा कुछ समय के लिए नगर पालिका फिरोजाबाद की जल वितरण व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है।

इन सात नलकूपों के पुर्नविकास के लिए जल निगम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इस समय फिरोजाबाद नगर पालिका में पेयजल की स्थिति ठीक बताई गई है।

* ३०-३१--श्री राम सजीवन--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित।]

* ३२-३३--डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[४थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

सुल्तानपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रसार शिक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

* ३४--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधीन ऐसे कितने प्रसार शिक्षक हैं जो विगत ६ वर्षों से इसी जनपद में एक ही प्रा० स्वा० केन्द्र पर कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध दिनांक १५ जुलाई

१९७८ तक कितने शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए ? उक्त शिकायतों के आधार पर शासन ने प्रत्येक पर क्या-क्या कार्यवाही की ? माननीय मन्त्री जी उन्हें तत्काल स्थानान्तरित करने के आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद सुलतानपुर में तीन प्रसार शिक्षक विगत ६ वर्षों से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत हैं। उनमें से केवल एक प्रसार शिक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच कराई जा रही है।

जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर उसके परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

* ३५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

पान्डुकेश्वर विद्युत् गृह, जिला चमोली की उत्पादन क्षमता

* ३६—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पान्डुकेश्वर, विद्युत् गृह, जिला चमोली की क्षमता क्या है ? वहां क्या उसी क्षमता के यन्त्र लगाए गए है तथा उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जिन यन्त्रों की आवश्यकता है क्या सरकार उनको लगवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

पान्डुकेश्वर लघु विद्युत् गृह जिला चमोली की प्रस्तावित क्षमता ३ × २५० किलोवाट है। इसमें से २ × २५० किलोवाट क्षमता के संयन्त्र लगाये जा चुके हैं और कार्य कर रहे हैं, तथा २५० किलोवाट विद्युत् उत्पादित क्षमता के तृतीय संयन्त्र की स्थापना के लिए कार्य चल रहा है। २५० किलोवाट क्षमता का तीसरा संयन्त्र वर्ष १९७८-७९ के अन्त तक लग जाने का अनुमान है।

विष्णुप्रयाग जल विद्युत् परियोजना का निर्माण

*३७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत् गृह, जिला चमोली का निर्माण कब तक हो जायगा, उसकी लागत क्या आंकी गई है तथा इसकी क्षमता कितने मेगावाट होगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना का निर्माण वर्ष १९८७-८८ तक पूरा हो जाना अनुमानित है।

इस परियोजना का स्वीकृत प्राक्कलन १०४ करोड़ ५१ लाख रुपये का है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता २६२ मेगावाट है।

अयोध्या में मद्य निषेध

*३८—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद) तथा श्री मोहम्मद शमीम अन्सारी (जिला बाराबंकी)—

क्या आबकारी मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में अयोध्या शराब का निषिद्ध क्षेत्र घोषित है ? यदि हां, तो इस नगर से १० कि० मी० की दूरी में शराब की दूकानें आवंटित करने का आधार क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां ।

दस किलोमीटर के दूकान रहित क्षेत्र की व्यवस्था उन जिलों के सम्बन्ध में की गई है, जिनमें १-४-७८ से पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है । जिला फैजाबाद में अभी पूर्ण मद्यनिषेध लागू नहीं किया गया है । अतः अयोध्या के आसपास १० कि० मी० के अन्दर दूकान रहित क्षेत्र नहीं है ।

* ३९—श्री पूरन चन्द्र—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विद्युत् की दरों में की गई वृद्धि

*४०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९७८ से बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी है जिससे कि उपभोक्ताओं में भारी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो वह बढ़ी हुई दरें किस प्रकार हैं तथा जन असंतोष को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक १ मार्च, १९७८ से विद्युत् उत्पादन, कोयले एवं तेल पर आबकारी शुल्क लगा दिये जाने के कारण एवं अन्य कारणों से राज्य विद्युत् परिषद् के आर्थिक दायित्वों में अधिक वृद्धि हो गयी थी और इन कारणों से विद्युत् दरों का पुनरीक्षण करना अनिवार्य हो गया था, जिसको कि दिनांक १ जुलाई, १९७८ से किया गया है । यह बढ़ी हुई दरें संलग्न अनुलग्नक में दर्शाई गई है ।

उपरोक्त कारणों से दिनांक १ जुलाई, १९७८ से बढ़ायी गई विद्युत् दरों को कम करना सम्भव नहीं है ।

लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, हरदोई के कर्मचारियों की हड़ताल

*४१—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, हरदोई के श्रमिक जून, १९७८ में हड़ताल पर रहे हैं, उप श्रमायुक्त के परामर्श पर कर्मचारियों ने जून के अन्त में अपनी हड़ताल वापस ली और मांगों से सम्बन्धित मसले अभिनिर्णय में भेजने की संस्तुति की गयी ? यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई ? क्या यह भी सही है कि हड़ताल वापस लिए जाने एवं उप श्रमायुक्त व श्रम निरीक्षक के परामर्श के बावजूद कर्मचारियों को काम

---

†छापी नहीं गई ।

पर वापस नहीं लिया गया ? यदि हां, तो मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, हरदोई के श्रमिकों ने सात सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में दिनांक ६ जून, १९७८ से आम हड़ताल की थी जो उप श्रमायुक्त, लखनऊ के सुझाव पर दिनांक १५ जून, १९७८ को समाप्त कर दी गई। उप श्रमायुक्त, लखनऊ ने सातों मांगों को अभिनिर्णय में भेजने की संस्तुति की थी। चार मांगों को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया गया है शेष मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

यह सत्य है कि हड़ताल समाप्त होने पर दोनों पक्षों को बुलाकर उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा समस्त श्रमिकों को कार्य पर वापस कराने का प्रयास किया गया परन्तु सेवायोजकों ने श्रमिकों को कार्य पर वापस लेने से पूर्व कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो एक श्रमिक को छोड़कर शेष श्रमिकों को मान्य नहीं थीं अतः उप श्रमायुक्त, लखनऊ के प्रयास के बावजूद शेष ११ श्रमिकों को कार्य पर वापस नहीं लिया गया।

ऐसे सभी ११ श्रमिकों को कार्य पर वापस लिए जाने का विवाद यूनियन ने संराधन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था जिस पर समझौता हो गया है।

रवीन्द्रालय, लखनऊ में प्रसार शिक्षकों का अधिवेशन और उनकी मांगें

*४२--श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत १४ अप्रैल, १९७८ को रवीन्द्रालय, लखनऊ में हुए उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षकों के अधिवेशन में शिक्षकों की ओर से कोई मांग-पत्र स्वास्थ्य मन्त्री को दिया गया था ? यदि हां, तो उस अधिवेशन में उन्होंने कोई आश्वासन प्रसार शिक्षकों को दिया था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ को रवीन्द्रालय में हुये प्रसार शिक्षक संघ के अधिवेशन में मांग-पत्र मिला था जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। मांग-पत्र शासन के विचाराधीन है।

*४३--श्री विद्या शंकर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १० जुलाई, १९७८ को उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक संघ के संरक्षक की ओर से उनको कोई मांग-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक संघ की मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

*४४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ पर स्थानान्तरित ।]

फिरोजाबाद के मोहल्ला हाजीपुरा में चूड़ी मन्डी के भवन निर्माण की मांग

*४५--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के मोहल्ले हाजीपुरा कोटला रोड पर खुले में वर्षा, धूप, जाड़ों में चूड़ी के श्रमिकों की मन्डी लगती है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिक हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए श्रम भवन बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां, फिरोजाबाद में उक्त मोहल्ले में श्रमिकों की खुले में मन्डी लगती है । इसी प्रकार दैनिक रोजगार पाने की आशा में विभिन्न नगरों तथा स्थानों पर श्रमिकों के खुले में एकत्रित होने की समस्या लगभग सभी नगरों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है ।

इस प्रकार एकत्रित होने वाले श्रमिकों के बैठने आदि के लिये श्रम विभाग द्वारा किसी भवन के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है ।

अलीगढ़ जिले की टाउन एरिया, सासनी द्वारा टाउन एरिया मुरसान व हसायन को दिया गया ऋण

*४६--डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सासनी टाउन एरिया का रुपया जिलाधीश, अलीगढ़ ने मई, १९७८ में १५,०००, मुरसान, २०,००० हसायन को किन-किन परिस्थितियों में दिया ? क्या जिलाधिकारी को अधिकार है कि वह पैसा दे सकें ? क्या यह भी सही है कि सासनी टाउन एरिया पर शासन का कई लाख रुपया कर्जा है ? यदि हां, तो उस कर्जे को कैसे अदा किया जाएगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

टाउन एरिया, सासनी द्वारा टाउन एरिया, मुरसान को १०,००० तथा टाउन एरिया, हसायन को २०,००० का ऋण दिया गया था । टाउन एरियाओं को यह निर्देश भी दिये गये थे कि वह इस ऋण की वापसी शीघ्र करें । टाउन एरिया, मुरसान ने कर्मचारियों को १० माह से वेतन वितरित नहीं किया था तथा वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी । सफाई कर्मचारी हड़ताल करने की स्थिति में थे । टाउन एरिया, हसायन के सफाई कर्मचारियों को २० माह से वेतन वितरित नहीं किया गया था इसलिये उन्होंने हड़ताल कर दी थी जिससे हसायन में गन्दगी फैली हुई थी । किसी भी समय भयंकर बीमारी फैलने की सम्भावना थी । उक्त परिस्थितियों के कारण स्थिति को दृष्टि में रखते हुये टाउन एरिया, सासनी को जनपद के अधिकारियों ने ऋण दिलाने की व्यवस्था की थी । टाउन एरिया, हसायन ने १०,०००, टाउन एरिया, सासनी को वापिस कर दिया है ।

जी नहीं, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय निकायों के नियत प्राधिकारी भी हैं। उक्त भयंकर स्थिति पर काबू पाने के लिये जिलाधिकारी ने ऋण की स्वीकृति दी।

टाउन एरिया सासनी को पेयजल योजना के १,१८,००० किश्तों में अदा करने हैं तथा सीवरेज योजना अभी चल रही है।

टाउन एरिया सासनी पर उक्त ऋण की कोई किश्त अभी वाजिब नहीं है। जो किश्त वाजिब होगी नियमित रूप से जमा की जायगी।

आबकारी अधीक्षकों का लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार एवं नियुक्ति

*४७—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९७७ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आबकारी अधीक्षक पद के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया गया है और उसका रिजल्ट भी फरवरी, १९७८ में आ गया और शासन द्वारा उसका अनुमोदन भी हो गया है ? यदि हां, तो क्या अधीक्षकों की नियुक्तियां अब तक हो गयीं ? हो गयीं, तो कब ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, किन्तु चयन के लिये कोई परीक्षा नहीं ली गई थी केवल साक्षात्कार हुआ था। आयोग की संस्तुतियां माह जनवरी, १९७८ में प्राप्त हुयी थीं एवं शासन ने आयोग की संस्तुतियां स्वीकार कर ली थीं।

जी हां, माह जुलाई, १९७८ में अधीक्षकों की नियुक्तियां कर दी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*४८—श्री नरेश चन्द्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

शराब की दुकानों की नीलामी का आधार

*४९—श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शराब की दुकानों की नीलामी करते समय उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जाता है अथवा अन्य किसी आधार पर भी जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

शराब की दूकानों की नीलामी करते समय उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को ही प्रायः ठेका दिया जाता है। इसका व्यतिक्रम तब होता है जब उच्चतम बोली बोलने की हैसियत अपर्याप्त अथवा वह आबकारी का बकायेदार या आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत सजायाफ्ता पाया जाता है या उसके विरुद्ध कोई अन्य आपत्तिजनक बात होती है।

बाराबंकी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीखरपुर में आरथो-पैडिक सर्जन की कथित नियुक्ति

*५०—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम भीखरपुर में स्थित डिस्पेंसरी में कोई आरथो-पैडिक सर्जन नियुक्त है ? यदि हां, तो क्यों जबकि वहां हर कोई आरथो-पैडिक उपकरण नहीं हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई आथो-पैडिक सर्जन नियुक्त नहीं है। आरथो-पैडिक सर्जन के रूप में वही चिकित्सक तैनात किये जाते हैं जो आरथो-पैडिक सर्जरी में एम० एस० की अहता रखते हैं। इस समय उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सक के पास आरथो-पैडिक सर्जरी में एम० एस० की अर्हता नहीं है।

रफी अहमद मेमोरियल चिकित्सालय, बाराबंकी में आरथो-पैडिक सर्जन की नियुक्ति की मांग

*५१—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार को पता है कि जिला बाराबंकी के हेडक्वार्टर पर रफी अहमद मेमोरियल चिकित्सालय में इस समय कोई आरथो-पैडिक सर्जन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में तत्काल आरथो-पैडिक सर्जन की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला बाराबंकी के हेडक्वार्टर पर स्थित रफी अहमद मेमोरियल चिकित्सालय में आरथो-पैडिक सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए वहां पर कोई आरथो-पैडिक सर्जन तैनात नहीं है। पद सृजित होने पर ही आरथो-पैडिक सर्जन की नियुक्ति हो सकेगी।

*५२—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[२४ अगस्त, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या १६ द्वारा उत्तरित।]

फैजाबाद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरपुर व धौरुआ चिकित्सालय के भवन के निर्माण की मांग

*५३—श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद) तथा श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरपुर का अपना कोई सरकारी भवन नहीं है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इसको बनवाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना कोई भवन नहीं है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिकित्सा विभाग के आय-व्ययक में भवन निर्माण की कोई योजना न होने के कारण भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

५४--श्री हरी राम वर्मा तथा श्री बाबू राम वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धौरुआ का अपना कोई सरकारी भवन नहीं है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद फैजाबाद में धौरुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं वरन् एक एलोपैथिक चिकित्सालय दान में प्राप्त भवन में चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिकित्सा विभाग के आय व्ययक में भवन निर्माण की कोई योजना न होने के कारण भवन निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

देवरिया जिले की गंडक विद्युत लाइन और नयी विद्युत लाइन के निर्माण का मांग

*५५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद से विद्युत् वितरण उपखंड द्वितीय, पडरौना में ७० किलोमीटर की ११,००० (ग्यारह हजार) वोल्ट की लाइन जो गण्डक लाइन कहलाती है वह पूर्णतया उखाड़ ली गयी है जबकि उसी लाइन पर ६०० राजकीय नलकूपों के आदेश विभाग को प्राप्त हो चुके थे ? यदि हां, तो पुनः नई लाइन पर अनावश्यक व्यय होने वाले दो लाख रुपयों का व्यय किसको वहन करना पड़ेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

देवरिया जनपद में मुख्य गंडक नहर के निर्माण के लिए ही ५१.४ किलोमीटर ११००० वोल्ट की अस्थाई लाइन का निर्माण किया गया था जिसे गण्डक नहर बन जाने पर उखाड़ लिया गया है। इस लाइन से किसी अन्य उपभोक्ता को कनेक्शन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इस क्षेत्र में आने वाले राजकीय नलकूपों के लिए यथा समय नई स्थाई लाइन बनाई जायगी जिसका सम्पूर्ण व्यय उत्तर प्रदेश नलकूप निगम को वहन करना पड़ेगा।

रेजीडेन्ट इन्जीनियर, पावर हाउस चन्दौसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५६--श्री करन सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ जून, १९७८ को पावर हाउस, चन्दौसी के कुछ कर्मचारियों द्वारा भेजा गया एक शिकायती-पत्र जिसमें कि उनके साथ रेजीडेन्ट इन्जीनियर, पा० हा० चन्दौसी द्वारा शोषण की शिकायत है, उनको प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी नहीं। दिनांक ६-६-७८ का ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया गया है।

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले की पिंडरा पेयजल योजना का निर्माण

१--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, जिला वाराणसी में पेय जल योजना के अन्तर्गत कितने गावों को पेयजल देने की योजना बनाई गई है और यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या यह सत्य है कि योजना के मुताबिक अभी तक पाइप लाइन का भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जनपद वाराणसी की पिंडरा मूल पेयजल योजना, अनुमानित लागत ३.४७७ लाख रुपया, वर्ष १९७१-७२ में केवल पिंडरा ग्राम के लिये बनाई गयी थी । मूल योजना के अन्तर्गत प्राविधानित समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और उसमें प्राविधानित १.७१ किलोमीटर पाईप लाइन बिछायी जा चुकी है । वर्ष १९७५ से जलपूर्ति की जा रही है । १०० से अधिक निजी कनेक्शन भी दिये जा चुके हैं ।

पिंडरा ग्राम के पास अन्य ८ ग्रामों में पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए विस्तृत योजना बनाई गयी है । योजना की वित्तीय स्वीकृति जल निगम के विचाराधीन है ।

आगरा के जमुना किनारा मार्ग का निर्माण एवं श्री गौरी शंकर पाण्डेय द्वारा अवैध निर्माण

२--श्री राजेश कुमार सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के दौर में आगरा शहर में सौंदर्यकरण के नाम पर ताजमहल जाने वाली जमुना किनारा मार्ग पर छोटे-बड़े मन्दिरों, भवनों व अन्य निर्माणों को तोड़कर उद्यान आदि बना दिए गए थे और क्या सही है कि उपरोक्त मार्ग पर जमुना रेतीया के ठेकेदार श्री गौरी शंकर पाण्डे ने मन्दिर के नाम पुनः रिहायशी व व्यवसायी भवन का अवैध निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

आपातकाल के दौरान आगरा शहर में ताजमहल को जाने वाले जमुना किनारा मार्ग पर जमुना की ओर स्थित अनधिकृत निर्माणों को सौन्दर्यीकरण में सहयोग देने हेतु जनता द्वारा स्वयं हटा लिया गया था तथा उद्यान विभाग द्वारा इस किनारे पर घास एवं फुलवाड़ी लगा करके खूबसूरत बनाया गया था । यह सही है कि श्री गौरी शंकर पान्डे ने अवैध निर्माण कराया है । इसके विरुद्ध उनको उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ की धारा २७ के अन्तर्गत नोटिस दी गई किन्तु १४-३-७८ को उन्होंने अतिरिक्त जिला जज, आगरा की अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । उक्त न्यायालय ने स्थगन आदेश की पुष्टि भी १-६-७८ को कर दी है । रेगुलर सूट न्यायालय में चल रहा है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम राजधानी में विद्युत उप केन्द्र की स्थापना

३—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की जनपद गोरखपुर के तहसील खदर के ग्राम व पो० राजधानी में शासन द्वारा माह सितम्बर में विद्युत् उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में जमीन का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उप केन्द्र कब तक एवं कितने लागत से तैयार हो जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, ।

विद्युत् उपकेन्द्र तथा ३३ के० वी० प्रेषण लाइन के निर्माण की सम्भावित तिथि ३१ मार्च, १९८० है तथा इसकी अनुमानित लागत १४ लाख रुपये है ।

कायमगंज क्षेत्र के एम० पी० जौहरी, जे० एम० टी०, नरेश चन्द्र सक्सेना, टाउन इंचार्ज, सिकन्दरपुर के विरुद्ध कथित आरोपत्र-पत्र

४—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री गेन्दालाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को कायमगंज क्षेत्र के एम० पी० जौहरी, जे० एम० टी० नरेश चन्द्र सक्सेना, टाउन इंचार्ज तथा हरीओम श्रमिक सिकन्दरपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोप की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं, दिनांक ६-४-१९७८ का ऐसा कोई आरोप-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

सीतापुर, आंख के अस्पताल के स्पेशल आडिट के लिए कथित आदेश

५—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने सीतापुर आंख अस्पताल की ५ वर्ष पूर्व की स्पेशल आडिट करने का आदेश माह दिसम्बर, १९७७ में किया था ? क्या जांच की गयी और कौन-कौन सी अनियमितताएं पाई गयीं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले में स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव

६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में प्रस्तावित स्टेडियम अब तक न बन पाने के कारण क्या हैं तथा कब तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उपयुक्त भूमि का प्रबन्ध न हो सकने के कारण सीतापुर स्टेडियम का बनाया जाना संभव नहीं हो सका है। उपयुक्त भूमि प्राप्त हो जाने पर ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

७-८—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[१ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत उत्तरित।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरौली, गोरखपुर के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप

९—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले के पिपरौली बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के नाते शासन की ओर से दिनांक २४ जनवरी, १९७८ को कोई चेतावनी दी गई है? क्या इसी आधार पर उन्हें स्थानान्तरित भी कर दिया गया?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, स्वास्थ्य सेवा निदेशक के निदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा चेतावनी दी गई थी और प्रशासनिक कारणों से इन्हें स्थानान्तरित भी किया गया था।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक थाम हेतु लिए गए नमूने

१०—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक-थाम हेतु नियुक्त मुख्य खाद्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक जो निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के अधीन जनपद व मण्डल स्तर पर नियुक्त हैं, ने अपने नियुक्त क्षेत्र में वर्ष १९७५, १९७६ व १९७७ में कितने नमूने संकलित किए उनमें कितने प्रतिशत अपमिश्रित पाए गए, कितने मुकदमें दायर किए गए तथा कितने मुकदमों में सजा या जुर्माना हुआ?

श्री कल्याण सिंह—

इस प्रश्न में बहुत ब्योरे की जानकारी मांगी गई है। इसे एकत्र करने में जितने श्रम तथा धन का व्यय निहित है उस की अपेक्षा उत्तर दिए जाने पर सम्भाविल लाभ नगण्य-सा है।

नगर पालिका सीतापुर के सहायक, श्री जगदीश चन्द्र वैश्य का वेतन और उनका प्रार्थना-पत्र

११—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सीतापुर के न्यायिक सहायक (श्री जगदीश चन्द्र बश्य) को लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश के निदेशों के बाद भी अभी तक दिसम्बर, १९६९ से अप्रैल, १९७७ तक का वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक वेतन दे दिया जायगा?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

पालिका द्वारा उक्त वेतन के भुगतान के बारे में सिविल जज, सीतापुर के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भुगतान कर दिया जायगा ।

१२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १ में उल्लिखित सन्दर्भ में श्री जगदीश चन्द्र वैश्य का कोई पत्र प्रशासक महोदय, नगरपालिका, सीतापुर को दिनांक २८ मई, १९७७ को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

श्री वैश्य का प्रश्नगत पत्र विचाराधीन था ही कि इस बीच उनके द्वारा पालिका कोष से २३,७११ रु० की धनराशि दीवानी न्यायालय से अटैच करा ली गई जिसके विरुद्ध पालिका की ओर से सिविल जज, सीतापुर के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो अभी विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही श्री वैश्य के उक्त प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

नगरपालिका, बांदा के खजांची की सेवा की कथित समाप्ति

१३--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा के किसी खजांची की सेवायें ४ अक्तूबर, १९७० को समाप्त कर दी गई थीं और क्या यह भी सत्य है कि उक्त खजांची की नियुक्ति पुनः खजांची के पद पर जून, १९७६ में कर दी गई ? यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जिले की बिलग्राम छिबरामऊ-मंसूरपुर व बिरौरी विद्युत् लाइन

१४--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत छिबरामऊ, मन्सूरपुर एवं बिरौरी की दो विद्युत् लाइन गत १९७३ से बिछाई गई है परन्तु वह अभी तक चालू नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक चालू करने का विचार है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत दो ११ के० वी० मुख्य लाइनें—बिलग्राम-छिबरामऊ मंसूरपुर तथा बिलग्राम-बिरौरी वर्ष १९७३ में बनाई गई थीं, जिन्हें चालू भी कर दिया गया था परन्तु इन दोनों लाइनों पर एक भी बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इसी बीच में इन लाइनों से कुछ हिस्से के तार चोरी चले गए थे, जिनकी जगह नये तार लगाकर लाइन पुनः नवम्बर, १९७६ में चालू कर दी गई थी। तत्पश्चात् भी इन लाइनों के तार की चोरी की घटनायें हुईं जिसके कारण बिरौरी लाइन का तार सुरक्षा की दृष्टि से उतार लिया गया है। वर्तमान स्थिति में इन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव है जिसके कारण केवल बिलग्राम-छिबरामऊ लाइन चालू है। इन लाइनों को पूरी तौर पर माह अक्तूबर, १९७८ में पुनः चालू कर दिया जायेगा।

१५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[४थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ व गोरखपुर की विद्युत् लाइन की मरम्मत हेतु दी गई धनराशि

१६—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर को बजट वर्ष १९७७-७८ में विद्युतीकरण विद्युत् लाइनों के मरम्मत आदि मदों में खर्च हेतु धनराशि दी गई थी? क्या उक्त धनराशि, को मार्च, १९७८ के अन्तिम सप्ताह में जु० इ० स० अभियन्तओं ने फर्जी वाउचर द्वारा धन इस आशय से निकाल लिया कि बजट वापस न होने पाये, यदि ऐसा किया गया है तो क्या फर्जी वाउचरों पर ड्रा की गई धनराशि की जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां।

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

सूचना मिलने पर जांच की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी सामान का क्रय

१७—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मार्च, १९७८ में स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन मरम्मत एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामानों के क्रय हेतु धन की मांग की थी, जो माह फरवरी, १९७८ में शासन द्वारा आवंटित करा दिया गया है? क्या उक्त धनराशि को उपरोक्त मद में न खर्च कर के मार्च, १९७८ के अन्तिम सप्ताह फर्जी वाउचर द्वारा ड्रा किया गया है? यदि हां, तो कुल ड्रा धन कितना है? उन वाउचरों की जांच कराने की कृपा करेंगे। यदि हां, तो कब तक?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उप केन्द्रों के भवन मरम्मत के लिए नहीं वरन् उन पर चिकित्सा सम्बन्धी सामानो के क्रय हेतु कुल पांच लाख दस हजार की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से कुल रुपया तीन लाख उनसठ हजार तीन सौ बावन तथा पैंतीस पैसे का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा आहरण किया गया और सभी बिलों का भुगतान सत्यापन के पश्चात् किया गया ।

प्रश्नगत अवधि के लेखे-जोखे की सम्परीक्षा जुलाई, १९७८ में करा ली गई है । सम्परीक्षा दल को कोई भी फर्जी वाउचर सम्परीक्षा की दृष्टि से नहीं उपलब्ध हुआ है ।

फैजाबाद जिले में डाक्टर विहीन सिकन्दरपुर का चिकित्सालय

१८--श्री हरीराम वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरपुर पर कोई डाक्टर नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? डाक्टर कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह--

सिकन्दरपुर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, बल्कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय है, जहां एक डाक्टर दिनांक ३० नवम्बर, १९७७ से कार्यरत थे, जिनके स्थनान्तरण के आदेश दिनांक २३ अगस्त, १९७८ को जारी हुए हैं । दूसरे डाक्टर की तैनाती पर विचार किया जा रहा है ।

फैजाबाद जिले में डाक्टर विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घबरूआ

१९--श्री हरी राम वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घबरूआ पर कोई डाक्टर नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक नियुक्ति होने की सम्भावना है ?

श्री कल्याण सिंह--

जो हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घबरूआ पर इस समय कोई डाक्टर तैनात नहीं है । डाक्टर की तैनाती के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

सीतापुर जिले के ग्राम, बिजवार व हुसैनगंज में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण एवं मुआवजा

२०--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर के ग्राम बिजवार तथा हुसैनगंज के काश्तकारों की जो भूमि बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए कालोनी बनाने के लिए अधिग्रहीत की गई है वह जिन-जिन काश्तकारों की भूमि ली गई है, उनके नाम क्या हैं ? मुआवजा दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सीतापुर जिले में २०० के० वी० सब-स्टेशन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है :--

(१) श्री अवध राज सिंह ।
(२) श्री इन्द्र मोहन सिंह ।
(३) श्रीमती गुरदेई ।
(४) श्री पुत्तू लाल ।
(५) श्री सफी
(६) श्री मकू ।
(७) श्री क्षेत्रपाल ।
(८) मु० मोहन कुंवरि ।
(९) श्री हरी पुत्र अम्बर ।
(१०) श्री गयादीन ।
(११) श्री विनोद ।
(१२) श्री प्रमोद ।
(१३) श्री अतुल ।
(१४) श्री सुशील ।
(१५) श्री गुलजारी लाल ।
(१६) श्री हरी बाबू ।

इन व्यक्तियों को अभी मुआवजा नहीं दिया गया है । प्रतिकर की रकम निश्चित की जा रही है तथा इसे शीघ्र वितरित कर दिया जायगा ।

आपातकाल में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों के सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनकी पुनर्नियुक्ति

२१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने जून, १९७८ में प्रदेश के मिल मालिक संघों से अपील की है कि आपात काल में मीसा तथा डिसिर की निरुद्धि के कारण सेवा निवृत्त सभी मजदूरों को तुरन्त सेवा में लिया जाय ? यदि हां, तो कुल कितने मजदूर नौकरी से निकाले गए थे तथा कितनों को नौकरी दी जा चुकी है और शेष को कब तक नौकरी मिल जाएगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां, मुख्य मंत्री जी ने ३० मई, १९७८ के पत्र द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों के संघों से आपातकाल में मीसा तथा डिसिर में बन्द होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तुरन्त सेवा में लिए

जाने की अपील की थी । ३१ जुलाई, १९७८ तक की सूचना के अनुसार आपात-काल के दौरान कुल १३१९ कर्मचारी निकाले गये थे जिनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :—

(१) नौकरी पर बहाल किये गये कर्मचारी	२३८
(२) आपातकाल के उत्पीड़न से सम्बन्धित न होने वाले मामले	५४
(३) वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का विवाद नहीं उठाया	२५४
(४) अभिनिर्णय हेतु भेजे गये मामलों की संख्या	४०६
(५) सिविल कोर्ट के विचाराधीन मामले	५
(६) वे कर्मचारी जिन्होंने अपना हिसाब चुकता कर लिया है	१००
(७) श्रमायुक्त अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विचाराधीन कुल मामले	२६२
कुल	.. १३१९

२६२ अवशेष मामलों के तुरन्त निस्तारण हेतु श्रमायुक्त को आदेश दे दिये गये हैं ।

२२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रामपति—

[५वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

२३—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक १४ जुलाई, १९७७ को पत्र लिखा और स्वायत्त शासन मंत्री ने सदन में आश्वासन भी दे दिया था तो बभनान बाजार को शासन कब तक टाउन एरिया घोषित करेगा ? बभनान बाजार को टाउन एरिया घोषित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां । किन्तु प्रश्नकर्त्ता विधायक महोदय का पत्र १४-७-७७ का था । बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया घोषित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

२४—श्री मंजूर अली खां तथा श्री मकबूल अहमद—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

हेरिंग इंडिया प्राइवेट लि०, गाजियाबाद के विरुद्ध इंजीनियरिंग कामगार यूनियन का ज्ञापन

२५---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, गाजियाबाद की ओर से एक ज्ञापन अप्रैल, १९७८ को हेरिंग इंडिया प्राइवेट लि०, मोहन नगर, गाजियाबाद के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

जी हां, इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, गाजियाबाद की ओर से एक ज्ञापन दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हुआ था । इस ज्ञापन में मुख्य मांग यह थी कि हेरिंग इण्डिया प्रा० लि० में दिनांक ८ सितम्बर से चल रही तालाबन्दी समाप्त करवायी जाय, इस अवधि का श्रमिकों को वेतन दिलवाया जाय, निलम्बित कर्मचारियों को काम पर भिजवाया जाय तथा सन् १९७६ का बोनस दिलवाया जाय ।

इस कारखाने में आगजनी तथा हिंसात्मक घटनाओं के कारण मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं जिसके परिणामस्वरूप सेवायोजकों ने तालाबन्दी की थी ।

कारखाने के विभिन्न विभाग की तालाबन्दी जनवरी, १९७८ में विभिन्न तारीखों पर उठाई गई । इस अवधि का वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि तालाबन्दी श्रम विरोधी नीति के कारण नहीं की थी ।

जहां तक निलम्बित कर्मचारियों को काम पर भिजवाने की मांग का सम्बन्ध है, सेवायोजकों ने केवल ३ कर्मचारियों को निलम्बित किया है जिन पर आगजनी और हत्या के आरोप हैं ।

सन् १९७६-७७ में देय बोनस की मांग को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया गया है ।

गोरखपुर जिले के श्यामदेउरवा, खुशहाल नगर में अस्पताल की स्थापना की मांग

२६---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड परतावल एवं धुधली के श्यामदेउरवा खुशहाल नगर या भिटौली बाजार में एक एलोपैथी हास्पिटल खोलने के सम्बन्ध में विभाग का ध्यान प्रश्नकर्त्ता ने आकृष्ट किया है एवं क्षेत्र समितियों ने भी प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो हास्पिटल किस स्थान पर एवं कब से प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां । प्रश्नगत स्थानों पर एलोपैथिक हास्पिटल खोलने के सम्बन्ध में विभाग का ध्यान प्रश्नकर्त्ता ने आकृष्ट किया था परन्तु इस सम्बन्ध में क्षेत्र समितियों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं मापदण्डों के अन्तर्गत उपयुक्त पाये जाने वाले स्थानों पर ही नये चिकित्सालयों की स्थापना की जा सकेगी ।

हरदोई जिले की टाउन एरिया माधोगंज की जल आपूर्ति

२७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की टाउन एरिया माधोगंज में मार्च, १९७८ से जल आपूर्ति ठप रही ? यदि हां, तो यह संकट कब तक रहा और उसके कारण क्या रहे तथा जल आपूर्ति का सिल-सिला चालू करने के लिए कब-कब, क्या-क्या उपाय किए गए ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां ।

माधोगंज टाउन एरिया के जलकल का मोटर पम्प १७-३-७८ को जल गया था । विद्युत् वोल्टेज के घटने-बढ़ने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी (१७-३-७८से १२-७-७८ तक) ३ महीने २५ दिन तक जल आपूर्ति बन्द रही । १७-३-७८ को ही नगर क्षेत्र समिति माधोगंज ने मोटर जल जाने की सूचना उत्तर प्रदेश जल निगम, शाहजहांपुर को दी । जल निगम के परामर्श अनुसार पम्प की मरम्मत हेतु शकुन इन्जीनियर्स, लखनऊ को भेजा गया । समिति द्वारा काफी प्रयास करने के बाद शकुन इन्जीनियर्स ने मोटर की मरम्मत का कार्य दिनांक ८ जुलाई १९७८ को पूर्ण किया और ९ जुलाई, १९७८ को मोटर पम्प माधोगंज लाया गया । १२ जुलाई, १९७८ से माधोगंज में जलापूर्ति आरम्भ कर दी गयी ।

इलाहाबाद जिले की हंडिया टाउन एरिया के विकास हेतु दी गयी धनराशि

२८—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया टाउन एरिया के लिए अब तक सरकार ने विकास के लिए कितना पैसा दिया और वह पैसा हंडिया टाउन एरिया के किन-किन मदों में खर्च किया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

इलाहाबाद जनपद के टाउन एरिया, हंडिया को सरकार ने अब तक विकास कार्य के लिये १,११,५०० रुपये स्वीकृत किया है ।

उक्त धनराशि अब तक टाउन एरिया हंडिया के किसी मद में खर्च नहीं की जा सकी ।

प्रशासक, टाउन एरिया, हंडिया द्वारा निर्माण कार्य का आंकलन बनवाया गया था किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त आंकलन पर आपत्ति कर दी गई थी । आपत्तियों का निराकरण करवा कर उक्त आंकलन अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को १७ अगस्त, १९७८ द्वारा सत्यापन हेतु पुनः भेजा गया है । आंकलन सत्यापित होते ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला नजरबाग स्थित पार्क का सुधार

२९—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ महापालिका के अन्तर्गत नजरबाग मोहल्ले में स्थित छोटा पार्क की दशा दयनीय हो चुकी है और

वह खंडहर बन चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार नजरबाग के इस महत्वपूर्ण पार्क को ठीक कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नजरबाग मोहल्ले में स्थित प्रश्नगत पार्क का विकास गत वर्ष ही महापालिका द्वारा किये जाने पर भी स्थानीय लड़कों द्वारा उसका प्रयोग खेल के मैदान के रूप में किये जाने के कारण पार्क की दशा बिगड़ गई थी । इस पार्क के सुधार का कार्य पूरा करा दिया गया है तथा घास एवं पौधे लगा दिये गये हैं । पार्क के रख-रखाव के लिये एक माली भी तैनात कर दिया गया है ।

राजकीय चिकित्सालयों की नर्सों के वेतन व प्रशिक्षणार्थी नर्सों के भत्ते में वृद्धि की मांग

३०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में नर्सों का वेतनमान केवल २८५-३५० मात्र है ? यदि हां, तो इनके वेतन-मान में शीघ्रातिशीघ्र बढ़ोत्तरी की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में नर्सों का वेतनमान रु० २८०-४६० है, न कि रु० २८५-३५० । इनके वर्तमान वेतनमान में बढ़ोत्तरी की मांग के औचित्य पर विचार किया जा रहा है ।

३१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को यह भी जानकारी प्राप्त है कि नर्सों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं को केवल १३५ रुपए निर्वाह भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो इसमें भी तत्काल बढ़ोत्तरी की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । प्रस्ताव के औचित्य पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

[× × ×]

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[बाबा राम आधार यादव]

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री राजनाथ सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

निर्वाचन क्षेत्र बिधूना, इटावा में बाढ़ के कारण हैजा, मलेरिया, फ्लू आदि बीमारियों तथा फसलों की बीमारियों के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओसान सिंह (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से अपने क्षेत्र में व्याप्त बाढ़ के कारण फैली बीमारियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हैजा, मलेरिया फ्लू आदि भयंकर बीमारी फैली हैं । मकान आज भी गिर रहे हैं । साथ ही धान की फसल जो बाढ़ व पानी से ३० परसेंट शेष रह गई है, उसमें भयंकर रोग झुलसा, ब्लैरा व गन्धी तथा खुड़ी का प्रकोप है । जिलाधिकारी महोदय की ओर से घोर उपेक्षा बरती जा रही है । अभी तक कोई रोक थाम का उपाय तो दूर रहा कोई अधिकारी मौके पर देखने भी नहीं गया है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र दवाइयों का वितरण एवं धान की फसल में दवाइयों का छिड़काव युद्धस्तर पर हैलीकाप्टर द्वारा कराया जावे तथा अन्य सरकारी राहत, अनुदान, तकावी एवं राहत कार्य प्रारम्भ कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।

राज्य सड़क परिवहन के हमीरपुर डिपो में कार्यशाला कर्मचारियों द्वारा बसों की मरम्मत में बरती गई अव्यवस्था के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

महोदय, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत हमीरपुर डिपो की कार्यशाला कर्मचारियों की घोर उपेक्षा, अकर्मण्यता व विभागीय अव्यवस्था से

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजकल यात्रियों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रही है। दिनांक २४-७-७८ को बस सं० यू० टी० ई० ४०२८ कालपी से हमीरपुर सायं बिना बिजली के आयी यात्री टार्च दिखाकर लाये, हैड लाईट फेल थी। मैंने डिफैक्ट रजिस्टर में भी इस विषय को लिखा है। कई गाड़ियां ब्रेक-फेल होने, एयर लाक आदि की गड़बड़ी से मार्ग में खड़ी हो रही हैं। आज कल इतनी अधिक गाड़ियों(बसों)की दुर्गति व कार्यशाला से सुधार कतई बन्द होने से यात्री इन बसों में चलना बन्द कर रहे हैं। मेरे डिफैक्ट रजिस्टर में लिखने के बाद से फोरमैन व कर्मचारी कार्यशाला, कह रहे हैं कि हम अब काम और न करेंगे जिससे डिपों में कई गाड़ियां खराब पड़ी हैं तथा यातायात बसों का, रुकने की दशा में है। उधर यात्री अव्यवस्था से बहुत परेशान हैं इस कार्यशाला में प्रभावी सुधार व दक्ष कर्मचारियों का रखना बहुत जरूरी है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मसले पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस कार्यशाला में अविलम्ब प्रभावी सुधार की मांग करता हूं।

इलाहाबाद शहर में ट्रकों व बसों की तेज रफ्तार से चलने से दुर्घटनाओं के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व ही इलाहाबाद शहर में तेज गति से चलने वाली बस अथवा ट्रक से कई दर्दनाक दुर्घटनायें होकर मृत्यु हो गई और नागरिकों के दुख भूले ही न थे कि दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को प्रातः ७ बजे इलाहाबाद में नैनी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना पुल पर मार्ग दुर्घटना में बी० ए० प्रथम वर्ष के छात्र श्री सुभाष केशरवानी की परिवहन निगम की बस से कुचल कर हृदय विदारक मृत्यु हो गई। जानकारी हुई है कि दर्दनाक घटना के पश्चात् निगम की लगभग ३० बसें भी क्षतिग्रस्त हो गई। घंटों तक यातायात भी अवरुद्ध रहा। पुलिस ने बल प्रयोग तथा लाठी चार्ज भी किया। ज्ञातव्य हो कि उस दिन इलाहाबाद की सड़कों पर बसों का चलना भी ठप्प हो गया। सड़कों पर आये दिन तीव्र गति से भागने वाली तेज सवारियों जैसे बस अथवा ट्रक से लोगों की दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत से आम नागरिक उत्तेजित हैं तथा उनमें बड़ा रोष है। उक्त विषय पर्याप्त लोक महत्व का है तथा इस सूचना के द्वारा मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उचित कदम शीघ्र उठाये जायेंगे जिससे दुर्घटनाग्रस्त होने से लोगों को बचाया जा सके।

मथुरा जनपद में बढ़ती हुई अराजकता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मथुरा जनपद अराजकता की लपटों में बुरी तरह से जल रहा है, नगर व देहात का कोई भाग ऐसा शेष नहीं है जहां अराजकता न हो। दिनांक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम चन्द्र तिवारी]

२५-८-७८ को दिन के ९ बजे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख कसबा सादाबाद के आगरा-सादाबाद मार्ग पर कसबा से २ कि० मी० दूर अलीगढ़ के कुन्जी बाल मोठ वाले व उनके परिवार के पांच सदस्य जिनमें दो महिलायें थी, आगरा जाते समय बदमाशों ने उनकी कार रोकी और उनके ड्राइवर को गोली मारकर ११ हजार रुपया नकद, २ लाख रुपये के आभूषण, १५ हजार के स्टील सोने चांदी के बर्तन और मिठाई लूट ली। कुन्जीलाल जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिरोजाबाद में अपनी कन्या का सम्बन्ध करने जा रहे थे।

मान्यवर, सादाबाद में बाहरी बदमाशों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि वहां का जनजीवन अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। घटना इस प्रकार हुई कि श्री कुन्जीलाल जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक कार में जब जा रहे थे तो पीछे से बदमाशों का सशस्त्र दल एक कार से पीछा करता हुआ उनके पास पहुंच गया और ड्राइवर की निर्मम हत्या कर लगभग २ १/२ लाख का माल लूट लिया।

मान्यवर, सादाबाद थाने से यह स्थान २ या २ १/२ कि० मी० दूर है और इसी मार्ग पर चलकर खन्दौली थाना है, बदमाशों की कार खन्दौली थाने पर भी न पकड़ी गयी जब कि कार खन्दौली थाने से होकर गुजर गयी और सादाबाद थाने में वायरलेस आदि की सभी सुविधायें उपलब्ध है और यह सूचना सादाबाद थाने पर शीघ्र ही पहुंच गयी थी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस घटना पर गृह मंत्री से वक्तव्य दिलायें व इस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करें।

रामेश्वर आयल मिल, इलाहाबाद के मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान कराने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, रामेश्वर आयल मिल, इलाहाबाद के पचासों मजदूरों को लगभग आठ माह से वेतन नहीं मिला है उसके फलस्वरूप उनके परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। बार-बार श्रम विभाग के अधिकारियों से मिलने तथा उनको आवेदन पत्र देने पर भी कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। यह विषय अत्यन्त ही लोकहित का है और महत्वपूर्ण है क्योंकि पचासों गरीब मजदूरों व उनके परिवार के जीवन-मरण का प्रश्न इसमें निहित है।

आवश्यकता इस बात की है कि शासन के श्रम विभाग की ओर से तत्काल कार्यवाही करायी जावे और नियमानुसार मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान कराया जावे। अतः नियम ३०१ के अन्तर्गत मैं इस सूचना को इस आशय से दे रहा हूं कि शासन की ओर से अविलम्ब उचित कार्यवाही करायी जावे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र विलम्ब से भेजे जाने से उनको छात्रवृत्ति न मिलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :—

यह कि पिछले वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में मार्च सन् ७८ तक कक्षाओं में विद्यार्थियों की भर्ती होती रही । इन कक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थी भर्ती होते रहे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा यह सुविधा है कि निर्धारित आय से कम आय है तो उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी और शुल्क भी सरकार द्वारा अदा किया जाय यदि विद्यार्थी ने ३१ मार्च तक अपना आवेदन-पत्र दे दिया है । चूंकि गत वर्ष मार्च तक कक्षाओं में भर्ती होती रही इसलिये लगभग १०० विद्यार्थी अपने छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र निश्चित तिथि तक न दे सके और इस कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शिक्षा शुल्क दोनों सरकार से प्राप्त न हो सके । परीक्षायें होने वाली हैं और अगर सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और परीक्षा शुल्क न मिला तो यह विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह जायंगे । ज्यों-ज्यों परीक्षा का समय निकट आ रहा है इन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में पड़ता जा रहा है । इससे इन विद्यार्थियों में सरकार के प्रति क्षोभ एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है । इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये ।

गेस्ट हाउस, लखनऊ में कार्यरत स्वीपर श्री मुन्ना लाल की पुलिस द्वारा पिटाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । श्री मुन्ना लाल, स्वीपर, गेस्ट हाउस के पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध मे सूचना देना चाहूंगा । मैं आपके द्वारा शासन का ध्यान गेस्ट हाउस में घटी एक ऐसी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसने गेस्ट हाउस तथा आफिसर्स होस्टल में रहने वाले कर्मचारियों, विधायकों तथा अधिकारियों को उत्तेजित कर दिया । गेस्ट हाउस कमरा नं० ४० में श्री डी० एस० बेन्स, आई० ए० एस०, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं । इन्होंने सवा पांच बजे प्रबन्धक गेस्ट हाउस को सूचित किया कि उनके कमरे से चार-पांच के बीच में चोरी हो गयी है । प्रबन्धक ने उन्हें सलाह दिया कि आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें ।

यदि किसी पर शक हो उसको भी नामजद करा दें ताकि जांच में आसानी हो । श्री डी०एस० बेन्स ने यह सब न करके पुलिस के उच्च अधिकारियों को टेलीफोन किया । पुलिस सांयकाल सात बजे मुन्ना लाल, स्वीपर को हजरतगंज थाने ले गयी

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

और उसको बुरी तरह से मारा पीटा । श्री मुन्ना लाल को आहत स्थिति में गेस्ट हाउस के कर्मचारी मेरे समक्ष लाये, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं ।

मैं आपके द्वारा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना सदन को शीघ्रातिशीघ्र दें ।

मैं इतना और साफ करना चाहता हूं कि वहां के कर्मचारी हड़ताल करना चाहते हैं । मैंने उन्हें सलाह दिया कि मैं उनकी बात आपके समक्ष रखूंगा कि इसकी जांच करले यदि वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करके सजा दें ।

श्री अध्यक्ष--

उद्योग मंत्री जी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका सम्बन्ध एक आई० ए० एस० अधिकारी से है । इसलिये कृपया इसकी अविलम्ब जांच कर लें ताकि वहां असंतोष समाप्त हो ।

सब्जी विक्रेताओं द्वारा थाना हसनगंज, लखनऊ के सामने प्रदर्शन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :--

वह यह कि लगभग ५०० सब्जी विक्रेताओं ने दिनांक ३०-८-७८ को पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ लगभग २ घंटे तक हसनगंज थाने के समक्ष अपना प्रदर्शन किया जिससे लखनऊ का जनजीवन सारे दिन अस्त व्यस्त रहा । इस घटना से उत्पन्न समस्या पर माननीय मंत्री जी तुरन्त ध्यान दें और तरकारी विक्रेताओं का कष्ट निवारण करने का प्रयास करें ।

फतेहगढ़ जिले के ग्राम बाराबीकू में ४ व्यक्तियों को गोली मारे जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

दिनांक ३० अगस्त, १९७८ को ४ आदमियों को गोली से मार दिया गया । ग्राम बाराबीकू, थाना कायमगंज, जिला फतेहगढ़ की यह घटना है । इसमें एक औरत को छर्रे लगे । कहा जाता है कि ब्रजरानी नामक औरत की कुछ दिनों पहले लाल राम से शादी हुई थी जिसके कुछ नाजायज ताल्लुकात एक तुलाराम नामक आदमी से हो गये । उसका शौहर जब उसको मायके लेने गया तो झगड़ा खड़ा हुआ और गांव की पंचायत में औरत के चाचा ने यह कहा कि श्री लाल राम, जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसके साथ जायगी । इस बात के ऊपर तुलाराम ने बन्दूक से फायर करना शुरू कर दिया और उसको वहां मौके पर मार दिया । तुलाराम जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फतेहगढ़ जिले के ग्राम बाराबीकू में ४ व्यक्तियों को गोली मारे जाने के विषय ११४६ को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी गोली से मार दिया । इस गम्भीर घटना से क्षेत्र में भय और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

देहरादून में गन्ने में सरकोसफोरा रोग के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

मान्यवर, जनपद देहरादून में ९५ प्रतिशत गन्ने की खेती में सरकोसफोरा रोग का भयंकर प्रकोप हो गया है । गन्ने की तमाम पत्तियां लाल पड़ गयी हैं और गिर रही है, मेरी जानकारी के अनुसार जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व मुरादाबाद में भी इस रोग से गन्ने की खेती ग्रसित है । इस भंयकर रोग की रोक-थाम के सम्बन्ध में गन्ना विकास विभाग एवं गन्ना शोध संस्थान द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे गन्ने के वजन में कमी हो जाने के कारण किसानों को तथा रिकवरी कम हो जाने के कारण मिलों एवं समूचे राष्ट्र को हानि हो रही है मेरा गन्ना विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि गन्ने की फसल को इस रोग से बचाए जाने की दिशा में अविलम्ब कार्यवाही कराई जाय ।

जिला बलिया में कोड़रहा राजकीय अस्पताल में डाक्टर न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि माननीय सदस्य दो प्रतियों में यह सूचनायें आपको प्रेषित करते हैं । आप सम्बन्धित मंत्री को एक प्रति भेज देते हैं । मंत्रियों को ऐसे अवसर पर रहना चाहिये और स्वयं उनको रहकर सुनना चाहिये । अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे लेकिन अभी-अभी वह यहां से खिसक गये । आप निर्देश दें कि माननीय मंत्री जिनसे सम्बन्धित प्रश्न उठाये जायं वह यहां उपस्थित रहें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं स्वीकृत करता हूं, आप पढ़ देते हैं, उसके बाद वह सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जाता है । वह शीघ्र ही उत्तर दें, इसका निर्देश है ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से नियम ३०१ के अन्तर्गत इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश के अन्तिम पूर्वी छोर पर बलिया जनपद के अन्तर्गत पूज्य लोकनायक जय प्रकाश

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मैनेजर सिंह]

नारायण जी की जन्म भूमि जय प्रकाश नगर स्थित कोड़रहा राजकीय चिकित्सालय में वर्षों से किसी चिकित्सक के न रहने के कारण वहां की जनता को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है । जुलाई के पूर्व नियुक्त चिकित्सक, श्री पान्डय बिहार के छपरा नगर में निजी चिकित्सा कार्य करते थे और कभी-कभी आकर उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर कर दिया करते थे मेरी लिखित शिकायत पर चिकित्सा विभाग उन्हें पुरस्कृत कर कहीं विशेष महत्व के चिकित्सालय पर स्थानान्तरित कर दिया है किन्तु अब तक वहां कोई चिकित्सक कार्यभार ग्रहण नहीं किया । उक्त पूर्वी क्षेत्र गत एक माह से पूर्ण रूपेण बाढ़ में डूबा हुआ है ऐसे समय में भी चिकित्सा सेवा का अभाव है । उपरोक्त परिस्थिति में बिना कार्य किये पूर्व चिकित्सक द्वारा वेतन लेने और शिकायत पर विभागीय अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने तथा अभी तक चिकित्सक की सेवा पूज्य लोकनायक जी की जन्मभूमि के लोगों को न उपलब्ध कराने के फलस्वरूप जनता में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः उपरोक्त बातों को आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८, जसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २३ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ३० अगस्त, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियमावली, १९५८ के नियम १४६ के अन्तर्गत सूचित करना है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २३ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ३० अगस्त, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है ।

हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित सिंचाई मंत्री, श्री बलबीर सिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मैं नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यहां के नियमों में और संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अन्तर्गत सदन का कार्य विनिश्चित होता है । संविधान की धारा १६४ में कैबिनेट की कलेक्टिव रेसपोन्सिबिलिटी होती है । मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । मैंने २१ अगस्त के हिन्दुस्तान में एक समाचार पत्र पढ़ा जिसमें सिंचाई मंत्री का सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप है । यह २१ अगस्त का 'हिन्दुस्तान' है इसके पृष्ठ ३ पर छपा है । हापुड़ उ० प्र० के सिंचाई मंत्री श्री ठाकुर बलवीर सिंह ने किसानों द्वारा आयोजित एक सभा में कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है । किसान को गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिला सकी है । यदि किसान को इस सरकार से कुछ लेना हो तो किसानों को संगठित होना होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह तो सही कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैं निवेदन करूंगा कि यह उनका अधिकार का अतिक्रमण है । देव बहादुर जी को नारायण दत्त जी को हमारा भी अधिकार मिल जाय तो यह दोनों प्रकार की चीजें उनको उपलब्ध नहीं हो पायेंगी । तो मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में रोजाना जो चाहे कह देते हैं । मैं मेरठ का रहने वाला हूं, वहां का विधायक हूं । मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में हापुड़ में उसी जिले में उन्होंने यह भाषण दिया । मुझे नहीं मालूम हुआ । जब पब्लिक मीटिंग में गया और अपनी सरकार के सम्बन्ध में जो अच्छे काम किये गये उनके बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि आपसे ज्यादा जिम्मेदार जो आदमी हैं वह तो आपके मंत्री हैं वह स्वयं बतलाते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसमें आपको चाहिए कि मुख्य मंत्री जी को इसका नोटिस दें। अगर मंत्रिपरिषद् के कोई सदस्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और फिर जो सूचना आपने दी है, तो अगर आप मुझे लिख कर दे देते तो मैं मुख्य मंत्री जी के पास भेज देता स्पष्टीकरण के लिए। सिचाई मंत्री ने वह कहा है या नहीं कहा है। यह तो केवल अखबारों में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर है। बलबीर सिंह जी का क्या कथन है, यह हमारे सामने नहीं है इसलिए इसकी अनुज्ञा... ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैंने जब यह अखबार में पढ़ा तो मैंने उनको पत्र लिखा और अन्डर सार्टिफिकेट आफ पोस्टिंग भेजा और कट्रेडिक्शन के लिए रोजाना ही इस पत्र को पढ़ता रहा। मैं नियमावली में औचित्य के प्रश्न को छोड़ कर कोई व्यवस्था कहीं उठा नहीं सकता। आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर मंत्री जी को बुलाया जाय। इसी प्रकार के प्रश्न पर चौधरी चरण सिंह से इस्तीफा मांगा गया कि उन्होंने संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं निभाया कि एक वरिष्ठ मंत्री बनते हैं मंत्रिमंडल के और अखबार में इस तरह का स्टेटमेन्ट निकल जाता है। तो इसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया। मैं चाहूंगा कि मंत्री से पूंछ लिया जाय और पूछने के बाद अगर सदन के सामने स्पष्टीकरण यह रखना चाहते हैं तो किस संदर्भ में यह बयान दिया, यह बतलावें।

श्री देव बहादुर सिंह--

एक मिनट बात सुन लें। जो अखबार में सूचना निकली है, तोमर साहब ने प्रश्न उठाया है कि अखबार की सूचना के मुताबिक बलबीर सिंह जी ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। तो एक मंत्री गलत बात नहीं कहेंगे, वह सही ही कहेंगे।

दूसरी बात और सुन लें। अखबार में आज एक और समाचार निकला है चौधरी चरण सिंह यहां मुख्य मंत्री हो रहे हैं। तो किस-किस की प्राह्यता की बात करेंगे? चौधरी साहब यहां मुख्य मंत्री हो रहे हैं... ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप कोई विवाद न करें। जब मैंने कहा कि यह औचित्य का प्रश्न ही नहीं है तो आप मुख्य मंत्री जी से कहिये। अगर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य के ऊपर कोई नोटिस नहीं लेते तो कोई बाध्य नहीं कर सकता था। यह मुख्य मंत्री का काम है कि वह मंत्रिपरिषद् में रखें या न रखें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, जो औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य, मोदीनगर ने उठाया है उस पर आप अवश्य विचार करें। आखिर इस सरकार को कब तक... ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, क्या यह औचित्य का प्रश्न है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में प्रकाशित सिंचाई मंत्री, श्री बलवीर सिंह के वक्तव्य ११५३ के सम्बन्ध में नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी अवश्य है ।

श्री अध्यक्ष--

किस नियम में ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिस नियम में आपने उन्हें इजाजत दी, उसी नियम में ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे नहीं मालूम था कि वह क्या कहेंगे । उन्होंने पूरी बात जब... ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अभी तक तो आपका मौन-प्रहर चल रहा था, अब यह सवाल कैसे हो गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आखिर यह सरकार कब तक चलेगी इस प्रकार से ? सब मंत्री अलग-अलग भाषण देते हैं । कल क्या हुआ सदन में ? उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने नियम भंग किया है और क्रोच आर्डर होते हुए मीटिंग में हिस्सा लिया । मालूम होता है कि मुख्य मंत्री मंत्रिमंडल को चला नहीं रहे हैं । सिंचाई मंत्री जी को अभी बुलाया जाय । वह जहां कहीं भी हों । लखनऊ में हों, बाहर हों, अभी आप उनको बुलवाइये और उनसे पूछिये । उनके पीछे इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वह यहां स्पष्ट कहें कि कहा या नहीं कहा और नहीं कहा तो उनको त्याग-पत्र देना चाहिए । श्रीमन्, आप कोई तो अनुशासन लाइये । आप पर बड़ी जिम्मेदारी है । इनको भी डिसिप्लिन्ड कीजिये । जितनी आप मेरी मदद कर रहे हैं उतनी ही इनकी भी कर रहे हैं । किन्तु अब यह मदद करने लायक नहीं रह गये हैं । औचित्य का प्रश्न ठीक है, माननीय सदस्य को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया । मैं तो चाहता हूं वह इधर आ जायं, मंत्रिमंडल में कैसे बैठे हैं । श्रीमन्, आपने उपनेता कहा है राम प्रकाश जी को, लेकिन वह हुए नहीं हैं । हो जाय, तो अच्छा है, मुझे पता नहीं है, हो गये हों तो मुझे बता दें, मैं उन्हें अपनी बधाई दूं । आपने श्रीमन्, उन्हें कई बार उप नेता कहा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उप नेता सदन कहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं उप नेता सदन से कहूंगा कि सिंचाई मंत्री को बुलाया जाए और उनका स्पष्टीकरण आज ही हो, नहीं तो ७ तारीख तक यह मामला टल जाएगा ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का अध्यक्ष से कोई सम्बन्ध तो है नहीं। मेरा काम मंत्रिपरिषद् का गठन करना नहीं है। सोहनवीर सिंह तोमर का प्रश्न मंत्रिपरिषद् के संज्ञान में आ गया है, मुख्य मंत्री स्वयं इस पर विचार करेंगे।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र देने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने २३ तारीख को आपको एक महत्व की सूचना दी थी। इसमें जो भी सूचना दी जाती है, उसके बारे में आपके स्पष्ट आदेश हैं, एक सप्ताह में सूचना देने वाले को जवाब मिलना चाहिए। जो मैंने डी० एन० नागरिक कालेज, मेरठ के एम० काम० के छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में मैंने आपको सूचना प्रस्तुत की थी, तो आपने उस पर मंत्री जी से भी कहा था कि वह इसकी ओर ध्यान दें, लेकिन आज ३१ तारीख है। मुझे अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वहां पर लड़कों की स्ट्राईक होकर स्थिति गम्भीर होने जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्रिपरिषद् के सदस्य अन्तरिम उत्तर एक सप्ताह के अन्दर दे सकते हैं और अन्तरिम उत्तर देने के बाद अन्तिम उत्तर यथाशीघ्र दे देना चाहिये। इस बारे में कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्य ने जो अभी शिकायत की है, उसकी ओर मैं उनेता सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षा मंत्री को इसका उत्तर माननीय सदस्य को दे देना चाहिए।

विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मैं, सभापति प्राक्कलन समिति की हैसियत से, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं, जिसका सम्बन्ध पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७२-७३) के बिक्री-कर विभाग से सम्बन्धित पन्द्रहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से है।

मूल प्रतिवेदन में की गयी समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित शासन के उत्तरों पर प्राक्कलन समिति (१९७५-७६ तथा १९७६-७७) ने विचार किया था, परन्तु समिति अपने कार्यकाल में कार्यान्वयन प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी।

वर्तमान समिति ने अपनी दिनांक ४ जुलाई, १९७८ की बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करते हुए उसे अंगीकार किया।

---

†छापा नहीं गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की तीन सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं ।

सर्वश्री संगमलाल, श्री देव कुमार यादव और श्री राम आसरे वर्मा ने सूचनायें दी हैं । श्री राम आसरे वर्मा ने आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध तथा संगम लाल तथा श्री देव कुमार यादव ने "स्वतन्त्र भारत" के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी है । मैंने इसको स्वतन्त्र भारत और आल इन्डिया रेडियो के पास टिप्पणी के लिए भेजा है । उनका उत्तर आने के बाद फिर विचार करूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने उसको भेजा है उसके आ जाने पर उसे मैं सदन को सूचित करूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

सदन जानना चाहता है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री संगम लाल ने हिन्दी दैनिक "स्वतन्त्र भारत" के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि श्री गुलाब सेहरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर चल रही चर्चा के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था जिस पर कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी । आपत्ति पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि वे कार्यवाही को देखेंगे और इसे निकाल देंगे किन्तु ३१ अगस्त, १९७८ के "स्वतन्त्र भारत" में यह प्रकाशित किया है कि श्री संगम लाल ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें उन्हीं के दल के विधायकों की आपत्ति के कारण सदन की कार्यवाही से निकालना पड़ा । माननीय सदस्य का कहना है कि वास्तविकता यह नहीं थी और "स्वतन्त्र भारत" ने जानबूझ कर सदन की कार्यवाही का गलत ढंग से प्रकाशन किया है जिससे सदन का अवमान हुआ ।

इस विषय पर मैं अपना निर्णय देने से पूर्व "स्वतन्त्र भारत" के सम्पादक से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और उनका स्पष्टीकरण आ जाने के उपरान्त ही इस विषय पर अपना निर्णय दूंगा ।

एक सदस्य--

क्या जानकारी ?

श्री अध्यक्ष--

किस आधार पर लिखा, उनको क्या कहना है ।

[श्री अध्यक्ष]

श्री देव कुमार यादव ने "स्वतन्त्र भारत" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त समाचार पत्र के दिनांक ३१-८-७८ के अंक में "हसीना डाकू वध कांड पर वक्तव्य देने का निर्देश" शीर्षक से जो समाचार छपा है उसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा शासन को वक्तव्य देने हेतु निर्देश दिये जाने का असत्य समाचार छपा है। इसके अतिरिक्त श्री देव बहादुर सिंह का नाम भी गलत छापा गया है, अर्थात् श्री देव बहादुर सिंह के स्थान पर देव बहादुर आजाद छापा गया है और समाचार में यह कहा गया है कि इंदिरा कांग्रेस के श्री देव बहादुर आजाद और रणजीत सिंह जूदेव द्वारा भी इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जब कि श्री देव बहादुर सिंह ने कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है।

मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पूर्व यह जानना चाहूंगा कि "स्वतन्त्र भारत" के सम्पादक को इस सम्बन्ध में क्या कहना है और उनका स्पष्टीकरण आ जाने के बाद ही अपना निर्णय दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा ने आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि ३० अगस्त, १९७८ को शिमला कांड को लेकर सदन में एक संकल्प पर चर्चा के समय एक घन्टे का समय बढ़ाने का प्रस्ताव श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की ओर से रखा गया था। जो स्वीकार किया गया था। माननीय मुख्य मंत्री ने केवल यह इच्छा व्यक्त की थी कि संकल्प पर कोई समय न बढ़ाया जाये किन्तु आकाशवाणी से सायं ७ बज कर २० मिनट पर समाचार बुलेटिन में कहा गया था कि एक घन्टे का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ध्वनि मत द्वारा पारित हो गया जब कि मुख्य मंत्री का समय न बढ़ाने का प्रस्ताव गिर गया। इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय देने से पूर्व... ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

आकाशवाणी ने ठीक ही कहा है। मेरा प्रस्ताव था और आपने वोटिंग लिया।

श्री अध्यक्ष--

मैं वही कह रहा हूं। जिसको आप अभियुक्त समझते हैं, उसको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाये।

श्री देव बहादुर सिंह--

आवश्यक न हो तो क्यों मांगते हैं ?

कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा कई दुकानें लूटे जाने के कारण शहर के बाजार बन्द रहने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री अध्यक्ष द्वारा गृह मंत्री का नाम पुकारे जाने पर और श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राज्य मंत्री जी कल गृह मंत्री के विशेष अनुरोध पर इसको स्थगित किया था जवाब देने के लिए । जब स्थगित कराया था तो उनको रहना चाहिये ।

*नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)---

मान्यवर, वह विधान परिषद् में हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १७-१-७८ को गल्ला मंडी (कानपुर) की फर्म बाल कृष्ण लाल पोद्दार प्राइवेट लिमिटेड की दुकान पर लूट की घटना की रिपोर्ट थाना कलेक्टरगंज पर उसी दिन फर्म के मैनेजर द्वारा दी गई जिसके आधार पर एक मुकदमा धारा ३९२/३९७ भारतीय दन्ड विधान के अधीन कायम किया गया। पुलिस ने इस घटना के सम्बन्ध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया । परन्तु अभियुक्तों की शिनाख्त की कार्यवाही में शिनाख्त न होने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त की गई ।

उक्त घटना के अतिरिक्त एक अन्य घटना दिनांक १०-५-७८ को फर्म छोटे लाल योगेश चन्द्र, गल्ला मंडी, कलेक्टरगंज (कानपुर) के यहां डकैती पड़ने की हुई थी जिसके बारे में विधान सभा के विगत प्रथम सत्र १९७८ की बैठक में सर्वश्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, गुन्जेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, रवीन्द्र सिंह एवं बाबू राम शुक्ल द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिनांक १७-५-७८ को वक्तव्य दिया जा चुका है । इस घटना से सम्बन्धित मुकदमें की विवेचना भी अभियुक्तों की शिनाख्त न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त की गई ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक १०-५ ७८ को हुई उक्त दूसरी घटना को लेकर दिनांक ११-५-७८ को गल्ला मंडी तथा शक्कर मंडी बन्द रही तथा दिनांक १३-५-७८ को कुछ क्षेत्रों की दुकानें आंशिक रूप से बन्द रही । दिनांक १४-५-७८ से सभी दुकानें पूर्णरूप से खुली ।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना से शहर में अशान्ति फैली है तथा शहर अस्त व्यस्त है। अराजक तत्वों द्वारा दुकानें लूटने की कई घटनाएं होने के आरोप भी सही नहीं ज्ञात हुए। शहर की सभी दुकानें सुचारु रूप से चल रही है और स्थिति नियंत्रण में है । दिनांक १७-५-७८ को दिए गए वक्तव्य में सूचित किया गया था कि स्वयं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक १२-५-७८ को कानपुर जाकर शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिए गए थे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, पहली घटना १७-१-७८ को हुई जिसमें एफ० आई० आर० दर्ज हुई कि लूट हुई है । उसमें दो अभियुक्त पकड़े गए। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी अभियुक्तों को पकड़ने की क्या कार्यवाही की गयी। १०-५-७८ को डकैती पड़ी और जो अभियुक्त उसमें पकड़े गए उनकी शिनाख्त न होने के कारण वह छूट गए। मैं जानना चाहता हूं कि वे कब पकड़े गए और कब उनकी शिनाख्त हुई उनके अतिरिक्त कोई अन्य अभियुक्त पकड़े गए ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस]

पहले मामले में ललई अहमद पुत्र मुहम्मद अली को जेल भेजा गया। दूसरे में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अभियुक्त महेश पुत्र रघुबीर निवासी ३४/३६ चूड़ी मुहाल, थाना कोतवाली, बसन्त कुमार पुत्र राम नाथ निवासी ३४/४, नारियल बाजार, थाना कोतवाली राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन साकिन ३६/५, कैलाश मंदिर, थाना कोतवाली, रज्जन उर्फ राजेन्द्र, साकिन ३४/४, नारियल बाजार व अजय कुमार उर्फ अज्जू पुत्र शीतल प्रसाद, ४३/१६८, धोबी मोहाल, थाना कोतवाली गिरफ्तार किए गए थे। इसके साथ ही इन लोगों ने आत्म समर्पण किया। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया था।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि उनकी शिनाख्त की कार्यवाही हुयी तो उसके बारे में मेरा कहना है कि जो गवाह गए थे, वे उनकी शिनाख्त नहीं कर पाए।

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने और कुछ पूछने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना नियम ५१ में नहीं है। ३०१ में प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती। तो मैं इसको प्रेसीडेन्ट नहीं बनने दूंगा। मैंने स्पष्टीकरण का आपको मौका दिया था। मैं अब किसी प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं केवल एक स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं। दोनों केसेज में जो जो अभियुक्त पकड़े गए, उनकी शिनाख्त नहीं हुयी, इसके मायने यह है कि गलत अभियुक्तों को पकड़ा गया। तो क्या इन दोनों केसेज में माननीय मंत्री जी सही अभियुक्तों को पकड़वायेंगे और उनका चालान करायेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस—

इन दोनों मुकदमों में कोई नामजद रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और शेष लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपको याद होगा कि नियम ३०१ में मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कानपुर के व्यापारियों ने वहां के एस० एस० पी० और ए० डी० एम० को चूड़ियां भेजी थी या नहीं ?

श्री मुख्तार अनीस—

इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत माननीय रियासत हुसैन ने, २६ अगस्त, १९७८ को सर्किल आफिसर श्री एस० पी० सिंह द्वारा इटावा जिले के दगियापुर थाने में छापा मार कर हथियार बनाने का एक खुफिया कारखाना पकड़ने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह प्रश्न २१ अगस्त को नियम ३०१ के अन्दर उठ चुका है। इसलिए इसको अस्वीकृत कर दिया है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है । उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा २२ में यह प्राविधान था कि खातेदारों को उनकी अतिरिक्त भूमि के घोषित हो जाने पर धनराशि का भुगतान नकदी में या बन्ध-पत्र के रूप में (बांन्डस) में भी किया जा सकता था । १९७४ में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से परामर्श से यह निर्णय लिया कि यह जो अतिरिक्त भूमि का भुगतान नकद तथा बांड्स में किया जाता है, इसकी जगह केवल नगद ही भुगतान किया जाए, बांड्स में न किया जाए । उनकी इच्छानुसार हमने नियमावली में नियम २८, २९ और ३० में संशोधन कर दिया और यह किया कि १ हजार रुपए की धनराशि तक नकद दे दी जाए, इसके आगे अगर ज्यादा है तो एक हजार नकद तथा शेष को ४ सालाना किश्तों में दिया जाए । जब विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति ने इस पर विचार किया तो यह मत व्यक्त किया कि नियमों में इस प्रकार का संशोधन बिना मूल अधिनियम को संशोधित किए नहीं हो सकता । अतः मूल अधिनियम में इसके लिए संशोधन करने हेतु यह विधेयक लाना पड़ा है । इस पर कोई अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है, साधारण सा विधेयक है, आशा है यह सदन स्वीकार करेगा ।

*श्री रियाकत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन पेश करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो २ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मैं यह कहना चाहता हूं सन् १९७४ में केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श करके आपसे नकद देने के लिए कहा और आज सन् १९७८ है । डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के सामने जब यह मामला गया तो उसने यह सुझाव दिया कि बिना अधिनियम के संशोधित किए नियमों में यह संशोधन नहीं हो सकता । इसलिए आप यह विधेयक लाए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर सीलिंग के मामले फाइनल हो गए हों । आज भी ऐसे मामले चल रहे हैं जहां लोगों की जमीन अभी भी कब्जे में है आपके और आप कोई निर्णय नहीं कर पाए हैं कि वह जमीन उससे ली जानी है या मुआवजा वगरह देना है । फिर इसमें आप कह रहे है कि एक हजार से अधिक भुगतान को ४ साल में किस्तों में देंगे और उस पर सूद साढ़े ३ परसेन्ट देंगे । किसान को तो जो कर्ज आदि मिलता है उस पर उसे १३ परसेन्ट तक का सूद देना पड़ता है, आप उसे यह साढ़े ३ परसेन्ट ही किस आधार पर देंगे । इस सब पर विचार करने की जरूरत है । आप चाहते हैं कि रुपए की अदायगी उस आदमी को आसानी से हो जाए । मैं आपके विभाग की ही मिसाल देता हूं चकबन्दी में भी

---

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन—]

इस तरह के जिन लोगों को रुपए देने की बात थी। उसकी सारी जिम्मेदारी भी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की थी। लेकिन मेरी तहसील में ८ साल हो गए चकबन्दी हुए, आज तक उसमें जहां पर पेड़ों का मुआवजा मिलना था, नहीं मिल पाया। तो इतनी ढिलाई आपके विभाग में है कि जो सही टाइम पर, सही तरीके से दिया जा सके, एक हजार रुपए का मामला नकद और उससे ज्यादा किस्तों में दिया जाय तथा साढ़े ३ परसेन्ट सूद दिया जाय, इस चीज को विचार करने के लिए आपको प्रवर समिति में बैठकर, विचार करके, तब इसकी बात करनी चाहिए। जहां ७४ से ७८ हो गया, अगर उसमें १ महीना और बीत जायगा तो उसमें पहाड़ तो टूट नहीं जायगा इसलिए यह उचित होगा और इसीलिए मैं इसे प्रवर समिति में भेजने की बात करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह जो अधिनियमित करने के लिए एक नियमावली है, इसलिए आपने रखा है, ७४ में बहुत ही जरूरी था और यह जो काम हुआ है, यह बहुत अच्छा हुआ है, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ इस प्रदेश में तो बांड दिया गया था, उस बांड की हालत यह हुई कि ७५ फीसदी कोई ६० फीसदी कम में बेच दिए और उसका उपयोग जिसके लिए दिया था, नहीं हो सका था। बांड देकर इसके पैसे से जिनकी जमींदारी का उन्मूलन किया जा रहा था, उनका पुनर्वासन हो जाय, यह सोचकर दिया गया था। कितने बांड

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए)

की एजेन्सीज खुल गई, कितने साहूकार हो गए, परन्तु जिसके लिए दिया गया था, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो बांड के स्थान पर नकदी दिया जायगा, जब से यह नियम, प्राविधान आपने किया है, उसके पहले जब से यह सीलिंग वाला ऐक्ट लागू है, अगर कहीं बांड किसी को दे दिया गया हो, तो उसके बदले में नकदी की व्यवस्था कर दें। मैं तो यह चाहता हूं कि इस पर विचार आप कर ले प्रवर समिति में। जो इसका भाव है उसका तो मैं पूर्णरूप से आदर करता हूं। अगर यह यहीं पर हो जाता है, तो प्रवर समिति का सवाल ही नहीं होता है।

*श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो राजस्व मंत्री जी ने संशोधन विधेयक पेश किया है, उसमें एक-दो मेरा सुझाव है। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन्, पहली चीज तो यह है कि जो भूमि का कब्जा लेने की बात कही गयी है, मुआवजा देने की बात कही गयी है, उसमें यह कहा गया है कि काश्तकार की जो भूमि है, जो जमीन का कब्जा लिया जायगा, उसके ऊपर मुआवजा दिया जायगा। वह मुआवजा देर से मिलेगा। जो भूमि जिससे ली जाय, उसी दिन से ड्यू हो जाना चाहिए। दूसरा इस विधेयक में अगर साथ ही साथ वह यह भी लाए होते कि जो मुआवजा उसको मिलेगा, उसकी दर क्या होगी, श्रीमन्, उसकी पुरानी दर रखी गयी है, मुआवजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे किसानों का शोषण होता रहा है, शहरों में जहां पर भी जमीनें ली जाती हैं, वहां पर जो मुआवजा है, मार्केट रेट पर दिया जाता है मंत्री जी इस बात की घोषणा करते कि जो किसानों की जमीन ली जायगी उनका मुआवजा मार्केट रेट पर दिया जायगा। लेकिन आज वह इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यह संशोधन इसमें लायें कि मुआवजा मार्केट रेट पर दिया जायगा। जैसा कि रियासत साहब ने कहा कि रेट आफ इंटरेस्ट साढ़े तीन परसेन्ट बहुत कम है। मान लीजिए जब किसान ट्रैक्टर, आदि के लिए लोन लेता है या अन्य ऋण लेता है तो उसको १८, २० परसेन्ट ब्याज देना पड़ता है। लेकिन सरकार उसको साढ़े तीन परसेन्ट देगी तो यह उचित नहीं है। रेट आफ इन्टरेस्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबेवाला, अभी जो प्रस्ताव रियासत साहब ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि मुझे अपनी तहसील की जाती तजुर्बा है और जगहों से भी मालूमात हासिल हुए हैं उसमें कोई शक नहीं कि अभी सीलिंग के बहुत से मामलों में फैसले नहीं हुए हैं, हजारों केसेज में मुकदमें चल रहे हैं और पब्लिक का हजारों रुपया मुकदमें बाजी में खर्च हो रहा है जो फैसले सीलिंग के मुताल्लिक तय हो चुके हैं वह फिर खोले जा रहे हैं और फिर उन पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सीलिंग में जमीन आ भी गयी है या वापस कर दी गयी है उसको तय नहीं किया गया है। नोटिसें चली आ रही हैं कि आपकी जमीन सीलिंग में है और आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह के मामले में मुकदमें बाजी बढ़ती जा रही है, जैसा कि मुकदमों में होता है तमाम वक्त उनमें लगता है। चूंकि अभी सीलिंग के मामले तय ही नहीं हुए हैं कि कहां कितनी जमीन किससे ली जायगी। मेरे ख्याल से ५० फीसदी केसेज ऐसे हैं जो तय नहीं हुए हैं। इसलिए मैं जहां वजीर साहब के इस कदम का स्वागत करती हूं और शुक्रिया अदा करती हूं रूल्स में जो एक चीज आई थी उनको वह कानूनी हैसियत देने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ में यह जरूर कहूंगी कि एक हजार रुपया जो मुआवजे की रकम नकद दी जायगी तो यह कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। आजकल की महंगाई और तमाम हालत को देखते हुए एक हजार रुपया कोई कीमत नहीं रखता।

आपने इस बिल में यह भी रखा है कि साढ़े तीन फीसदी मुनाफा या सूद दिया जायगा। किसानों से बैंक वगैरह ११, १२ फीसदी लेते हैं लेकिन सरकार उनको साढ़े तीन फीसदी दे रही है तो यह इंसाफ से बईद बात है। इसको और बढ़ाना चाहिए। एक चीज और है कि सीलिंग के मुताल्लिक तमाम जिलों में सही तरीके से सरकार के सामने एक तस्वीर न आ जाय कि इतनी-इतनी जमीन सीलिंग में आ गयी है और उसका मुआवजा दिया जायगा उस वक्त तक मेरे ख्याल से इस बिल को नहीं लाना चाहिए। लेकिन यह लाया भी गया है तो जो संशोधन पेश किया गया है, सेलेक्ट कमेटी में भिजवा दिया जाय, यह मुनासिब है। ताकि इसमें जो कमियां रह गयीं हैं सही तरीके से उन पर सोच विचार हो सके। और यह देखा जा सके कि किस तरह से पब्लिक की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। मेरे पास बीसियों शिकायतें ऐसी हैं कि मुआवजा अभी तक नहीं मिला। मुआवजा तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिल पाया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

अभी तो मुकदमे ही चल रहे हैं, कागजात ही जमा किये जा रहे हैं और मालूमात की जा रही हैं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि सीलिंग के मुतल्लिक कोई फैसला हुआ हो। जहां ६४-६५ में सीलिंग के मुताल्लिक फैसले हो चुके थे उनको फिर से खोला जा रहा है और फिर नोटिसेज आ रहे हैं कि आपके पास सीलिंग से जायद इतनी जमीन है, इसको आप वापस करिये।

अभी माननीय मंत्री जी ने एक दूसरा बिल जमींदारी एबोलीशन से सम्बन्धित तमाम कानूनों के मुताल्लिक सिलेक्ट कमेटी में भेज रखा है और उन सबको यकजां करके एक कानून बनाया जा रहा है जो बहुत ही उचित कदम उठाया गया है। अगर इसी तरह से इसमें जो कई सवाल इंवाल्व हैं उन सबको सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय उन पर विचार किया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि एक हजार रुपये का कम्पेनसेशन कोई हकीकत नहीं रखता। एक हजार कम्पेनसेशन किस काम आयेगा ? इस रकम को १० हजार मैक्सिमम रखा जाय और अगर किसी की सीलिंग उससे ज्यादा निकलती है तो उसको बांड्स दे दिये जायं। लेकिन जैसा देव कुमार जी ने कहा की कीमत इतनी घटती जा रही है कि बांड्स न देकर कम रकम नकद ही दे दी जाय तो बेहतर होगा। छोटी-छोटी रकमें बांड्स की कोई वसूल करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। इस कदम के उठाने से पब्लिक में ज्यादा इत्मीनान होगा और सिलेक्ट कमेटी में अगर इसे भेज दिया जायगा तो उसको यकीन रहेगा कि सही तरीके से इस पर विचार हो रहा है। सीलिंग का मामला इतना पेचीदा है, उसका हल यही है कि इसको एक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय ताकि वहां पर सभी मामलों पर विचार हो सके।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो सीलिंग से सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव किया है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस संशोधन विधेयक के जरिये सरकार पर कोई भी अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ता। लिहाजा कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको दो महीने के लिये टाल दिया जाय। यह सही है कि राजस्व मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि जिनकी भूमि ली जायगी उनको नकद रुपये के रूप में भुगतान किया जायगा यह उनका कदम स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि जितनी भूमि अभी तक सीलिंग से निकली है उसका वितरण गरीबों में भूमिहीनों में हुआ है और क्या उस पर कब्जा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी---

यदि पूरे प्रदेश से जानकारी प्राप्त की जाय तो अधिकांश जिले ऐसे मिलेंगे जिनमें सीलिंग की भूमि निकाली तो गई है लेकिन कब्जा आज भी उन्हीं लोगों का है जिनकी जमीन थी। मान्यवर, अभी गोंडा जिले के कुछ काश्तकार हमें मिले थे। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वी जिलों में एक बिश्वांसी जमीन पर भी किसी

गरीब हरिजन को कब्जा नहीं मिला है। उन्होंने एक राजा साहब का नाम भी बताया था कि उनके पास से हजारों एकड़ जमीन सीलिंग में निकली है। आज भी सारी की सारी जमीन पर कब्जा उन्हीं राजा साहब का है। मैं समझता हूं कि यह घटना केवल गोंडा और बहराइच जिलों की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में सीलिंग की जितनी भूमि निकली है उसके सम्बन्ध में बड़ी दृढ़ता के साथ मैं कह सकता हूं कि उस पर उन्हीं लोगों का आज भी कब्जा है जिनकी वह जमीन थी। एक बात यह भी है, यह प्रवंचना है कि वे बड़े चतुर लोग हैं। वे अपनी अतिरिक्त भूमि का वितरण अपने परिवार और सम्बन्धियों के नाम से करा दिया करते हैं ताकि वह सीलिंग के अधीन न आने पावे। मान्यवर, एक कहावत है कि "तुम डाल-डाल तो हम पात-पात।" सरकार कोई निर्णय करे कि हम भूमि की सीमा १८ एकड़ या १२ एकड़ करने जा रहे है, तो उसके पहले ही इन लोगों को सूचना प्राप्त हो जाती है कि सरकार यह निर्णय लेने जा रही है जिसका परिणाम यह होता है कि बड़े-बड़े खातेदार अपनी भूमि अपने भाइयों, भतीजों और सम्बन्धियों के नाम से कर दिया करते हैं। खातों में उनकी भूमि दिखायी ही नहीं जाती कि कितनी भूमि असल में किसके पास है। उससे कितनी भूमि आप निकाल पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो आप बोल रहे हैं उसमें विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मैं उसी पर आ रहा हूं कि जितनी भूमि आप खातेदारों की सुविधा की दृष्टि में नकदी के रूप में उन्हें भुगतान करने जा रहे हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी भूमि भी प्राप्त न करें और उनको रुपया भी दें तो यह दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी। मैं इस ओर माननीय राजस्व मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वे इस ओर भी अपनी निगाह दौड़ायेंगे और जो भूमि सीलिंग से निकली हुई है उनको भूमिहीनों में आवंटित करायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, जहां तक इसकी मंशा की बात है अगर उस पर अमल किया जाय तो उससे किसी को एतराज नहीं है लेकिन जिन लोगों को उनकी भूमि लेकर नकदी-करण किया जायेगा, उनकी जमीन कौन है अगर इसे गौर से देखा जाय तो उन्होंने वह जमीन दी है जो किसी सार्वजनिक उपयोग की है अथवा उस पर किसी किस्म की कृषि नहीं की जा सकती है बहुत सी जमीन जो अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत निकाली गई वह बेकार थी। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने जमीन को चुराने का पूरा प्रयास किया और उसमें हमारे शासन ने भी सहायता की। माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है इससे मैं समझता हूं कि न तो सरकार का हित होगा और न जनता का हित होगा बल्कि यह तो उन्हीं लोगों के हित में है जिन्होंने जमीन की चोरी की है। इस नकदीकरण का फायदा भी उन्हीं को होगा जिन्होंने कुत्ते और बिल्ली के नाम पर जमीन दर्ज की थी यह बात किसी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन]

छिपी हुई नहीं है। हमारे जिले में तो जो मैंने देखा व्यवहारिक तौर पर बहुत से बागों की जो जमीनें थी और उसमें आबादी है, हरिजन और भूमिहीन लोग उसमें हैं लेकिन वह दर्ज नहीं की गई। माननीय मंत्री जी जानते हैं पूर्ववर्ती सरकार ने एक गजट भी किया था जिसका ऐक्ट भी बन गया है कि किसी भी बाग की भूमि पर आबादी हो तो उसे आबाद दर्ज कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किये और मंत्री जी ने कहा भी कि वह दर्ज नहीं किये गये। तो वही जमीनें सीलिंग में दी गई हैं जो बेकार थी और अब वह सरकार से पैसा भी लेना चाहते हैं। वह जमीनें उनके खाते से खारिज होनी चाहिये। वह जमीन कृषि के उपयोग की भी नहीं है और उन्होंने सीलिंग में उसे सरकार के सुपुर्द कर दिया है और अब उसका दाम वह लेना चाहते हैं।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो जमीनों का नकदीकरण किया जाने वाला है अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत इसका सर्वेक्षण करा लिया जाय कि यह किस काम के लिए उपयोगी है और उसका क्या उपयोग होगा। जब तक यह न हो जाय तब तक नकदीकरण देना सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा। मेरा ख्याल है कि इसका भुगतान तभी होना चाहिये जब उसका सर्वे हो जाय। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि अन्यथा सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा और इससे कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है प्रवर समिति में इसे भेजने के लिए वह उचित है ताकि इस पर गम्भीरता से विचार किया जा सके। जहां पर यह विचार किया जा सके कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी और इसका क्या असर समाज में होगा और इसकी मूल भावना क्या है। अन्यथा अगर बहुमत के आधार पर पास करा लेंगे तो वह तो हमेशा होता आया है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बाद में मालूम होगी जब मंत्री जी चुनाव में फिर से जायेंगे।

*श्री राजराजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह स्वागत योग्य है। मैं चाहूंगा कि दलगत राजनीति से परे होकर इसे देखना चाहिये। यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिये था। इसमें आप देखेंगे कि जनता पार्टी की जो भावना है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो विचार है वह हमारे मंत्री जी के वक्तव्य से प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। इस विधेयक से किसका लाभ होगा। एक हजार रुपये के नकदीकरण का जो प्रस्ताव है इससे वही लाभान्वित होंगे जो छोटे किसान हैं जो एक हजार रुपये की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। जिनकी जमीन अधिकतम जोत सीमा के बाहर है वही लोग लाभान्वित होंगे। बहुत से लोग इससे प्रभावित होंगे। एक हजार रुपया मुआवजा पाने वाले बहुत चन्द लोग हैं। यह जो प्रक्रिया है वह पिछले दिनों से चली आ रही है। यह मैं जरूर कहूंगा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है और उस पर नियोजित रूप से विचार करते हुए यह सोचिये कि यह जो मुआवजा दे रहे हैं क्या यह उचित है। उसके औचित्य पर विचार करें। मैं यह कहूंगा कि यह मुआवजा जो आप दे रहे हैं काश्तकार की भूमि के मुताबिक होना चाहिए। कम से कम इतना हो कि ३ या ४ हजार रुपये से कम पर रजिस्ट्री न होवे। आपने ऐसे लोगों की जमीन के लिए जो मुआवजा तय किया है वह नहीं के बराबर है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें मान्यवर, अधिकांश कास्तकारों को हानि होगी । मान्यवर, दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि आप फर्जी सूद दे रहे हैं । यह जो उन बड़े काश्तकारों की जमीन आप ले रहे हैं उनके पास अधिकतम जोत सीमा आरोपण से अधिक जमीन है । ऐसे कास्तकारों की जमीन लेकर आप साढ़े ३ प्रतिशत सूद दे रहे है मैं यह जरूर आपसे कहूंगा कि इस पर आप विचार करें । आप तो समाजवादी और निर्भीक व्यक्ति हैं । आप इस पर विचार करें । साढ़े ३ प्रतिशत सूद की मौजूदा दर किसी भी जगह इस समय नहीं है । मैं तो समझता हूं इस तरह के सूद की बात ही नहीं करनी चाहिए । जहां तक सूद की बात है साढ़े तीन प्रतिशत का सूद हास्यास्पद है, मजाक है । आज कास्तकार को जो ऋण मिलता है आप कहीं भी ले लीजिए जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक उस पर भी ८/९ प्रतिशत रक्खा है । और जगहों पर १२ प्रतिशत से कहीं कम नहीं देते हैं । आप मान्यवर, कम दे रहे हैं ।

इसके बाद मान्यवर, मैं इस बात पर आता हूं कि जिस व्यक्ति की जमीन ली जाती है जब उसका मुकदमा तय हो जाता है और आप उसकी जमीन प्राप्त कर लेते हैं तभी उसको मुआवजा देना शुरू करते हैं, मैं चाहूंगा कि मान्यवर इस पर भी विचार करें । जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रश्न है यह तो आप जानते ही हैं कि यह प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि इस शुभ कार्य में रुकावट हो । यह ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि इसमें विलम्ब हो, देर हो । यह उनकी भावना का सवाल है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय और इसमें अनावश्यक विलम्ब हो । मैं मान्यवर, समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने से कोई लाभ नहीं होगा । मैं समझता हूं कि यह संशोधन जिसको माननीय श्री रियाज़त हुसैन जी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस ले लें । यह सामयिक, समाजवादी विधेयक है । हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है । माननीय रियाज़त हुसैन जी को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए ।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ जो प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । इस विधेयक के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जो नियमावली है उसको अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, यह अच्छी बात है । जिन्होंने विरोध किया है वह विरोध करना है इसलिये किया है जो कि अच्छी चीज नहीं है । जो सीलिंग से जमीन निकलती है उसकी रक्षा करना सरकार का हित है । जिन लोगों की जमीन सीलिंग से निकलती है उनके हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है । इसलिये जनता सरकार ने फैसला किया है कि नियम के तहत जो भुगतान हो रहा है उसे अधिनियम का रूप दिया जाय । लेकिन मैं इसमें इतना जरूर कहूंगा कि जो एक हजार रुपये की एक मुश्त सीमा आरोपित की गयी है उसे बढ़ाया जाना चाहिये था । यहां १९५२ में जो जमींदारी एबोलिशन के बांड जिनको मिले थे वह बेकार हो गये । उनके सामने यह दिक्कत आती है कि इससे छुटकारा मिले इसलिये इस बिल के माध्यम से जो फैसला किया है उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

में स्वागत करता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि जो एक हजार रुपये की सीमा है वह ५ हजार रुपये की सीमा एक मुश्त की जाय। जो ५ किश्तों वाली बात है उसको समाप्त किया जाय। सरकार समाज के सम्बर्द्धन और छोटे लोगों को बढ़ाने के लिये सीलिंग से जमीन निकालती है, किसी दुश्मनी की भावना से नहीं। देश के निर्माण के लिये यह जमीन निकालता है। इसलिये यदि यह भावना लोगों में होगी तो अच्छा होगा। सीलिंग से निकली जमीन में जो कब्जा न देने की बात है वह इस भावना से कब्जा दे देंगे और जो विधेयक की मंशा है वह सिद्ध होगी। इसलिये राजस्व मंत्री का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक सही कदम उठाया है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जो संशोधन आया है वह ठीक है। जो बिल आ रहे हैं और जो बिल आया है वह समाजवाद में ठीक है। अंग्रेजों के बाद जो सरकार बनी वह भी तोहफा दे रही है। यह दौलत की खिताब दे रहे हैं। मान्यवर, जिन लोगों ने सदियों से फायदा जमीन से उठाया उस पर मुआवजा देने की बात है। कितनी किश्तों में यह देंगे या बांड में देंगे इसका पता नहीं। इसलिये संशोधन रखने की जो मंशा है वह साफ नहीं है। मेरी राय है कि यह सबसे काला विधेयक होगा। यहां प्रदेश में जो चुनकर आते हैं वह भूस्वामी बहुमत में होते हैं जिसमें कुछ मंत्री भी होते हैं और मैं भी हूं। यह संशोधन तो बिल्कुल कंडम है। श्री रियासत हुसैन जी ने इसकी वकालत किया है कि जमीन आज नहीं तो ६ महीने बाद निकलेगी।

मान्यवर, निकलने का तो कोई मतलब है ही नहीं। मैं अपने जिले की बात कह दूं। भूतपूर्व कांग्रेसी हुकूमत ने जो यह कूड़ा-कर्कट सब रखा था, मुआवजा देने की और सीलिंग की बात थी वही यह समाजवादी सरकार कर रही है। मैंने इस विधान सभा में भूतपूर्व अधिनायकवादी सरकार, जो देव बहादुर सिंह की सरकार थी, उसके जमाने में मैंने कहा था। अपने जिले के अब स्वर्गीय हो गये-- जोगेन्द्र सिंह। उनकी मां को मरे हुए २३ साल हो गये। चकबन्दी हुई। भू-राजस्व विभाग के इतने कर्मचारी गये मेरी जानकारी में है। २३ साल मरे हो गए उनकी मां को, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया गया। मैंने भू० पू० अधिनायकवादी सरकार को, फासिस्ट सरकार को लिखा था तब भी उनकी निगाह नहीं गयी और १२ बीघे का चक आज भी लगा हुआ है, ऐडजस्ट नहीं हुआ है। इसी विधान सभा में बैठने वाले हमारे स्व० माननीय ताल्लुकेदार विधायक थे एक उनकी मैंने सीलिंग की जमीन निकलवाई और आजमगढ़ में मैंने पट्टा करवाया, लेकिन आजतक कब्जा नहीं हुआ। यह जो बंजर जमीन की बात कही गई तो इस मौजूदा सरकार का दोष नहीं है। बंजर निकाल दिया, ताल निकाल दिया, दरिया निकाल दिया, यह सब भूतपूर्व सरकार जो देश की और प्रदेश की रही, नारायण दत्त और बहुगुणा की रही उसमें कोई नियम लागू नहीं किया कि अच्छी जमीन सीलिंग से निकाली जायगी। इसलिए ऐसी जमीनें निकली जिसका आज मुआवजा राजस्व मंत्री देने जा रहे हैं।

अन्त में एक बात कह देना चाहता हूं कि ३१ साल की यह सरकार आज भी अंग्रेज की तरह से भूस्वामियों, पूंजीपतियों को सर का खिताब, दौलत और बिल्डिंग का खिताब देती है, यह बड़े दुख की बात है। इस विधान सभा में जो आर्थिक संकट की बात करते हैं उनका इधर कोई ध्यान नहीं है, जो यह साढ़े तीन परसेंट सूद रखा गया है यह कहां से आयेगा? पहले भूस्वामियों को जमीन देकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुनाफा कमवाया और एक मुश्त नहीं देंगे, वह सूद देंगे। कितनी असमानता की बात करेंगे। हरिजन जो गांव में है, जिसकी जमीन छीन कर देने जा रहे हैं एक ओर उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए और १८ एकड़ जोतने वाले लैंड-लार्ड अब भी रहेंगे और यह ट्रैक्टर और ट्यूबवेल, जो गांव के अन्दर यह सरकार दे रही है यह उन्हीं को देने जा रही है, गरीबों को नहीं। तो कितने प्रकार का फायदा इनको पहुंचायेंगे ? आज १८ एकड़ के बाद भी हरिजन, पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग के ऊपर हम हावी हैं। उनको डंडे भी मारते हैं, उनसे वोट भी लेते हैं, उनसे जानवर, बैल भी चरवाते हैं और उसके बाद इजाफा आप दे रहे हैं और साढ़े तीन परसेंट पर सूद देंगे। इसलिए कि हमको एक हजार भी न दीजिए, २० साल में अदा कीजिए और साढ़े तीन परसेन्ट सूद, बैंक में पैसा रखिए हमारे पास तो जमीन और दौलत है ही।

तो रियासत साहब के संशोधन को तो एक दम कंडेम करता हूं। मैं आपके सामने विधान सभा का सदस्य होने के नाते, गोपनीयता के नाते और शपथ लेने के नाते कसम खाकर के कहता हूं विधान सभा के अन्दर कि ५० फीसदी नहीं, ७५ फीसदी जमीन पर सीलिंग और बंजर पर आज भी हरिजन गरीब, खेतिहर मजदूर, भूमिहीन का कब्जा नहीं हुआ।

मैं कसम खाकर कह सकता हूं, मैंने यहां आकर कसम खाई है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो ढिंढोरा भूतपूर्व सरकार ने पीटा था, उसे हमारे राजस्व मंत्री जी, जो पहले इधर बैठते थे उस समय इतनी अच्छी बात बोलते थे, कायम रख रहे हैं। आप गरीब को क्या दे रहे हैं। उसका गला दबाकर आर्थिक संकट पैदा किया जा रहा है, ६ एकड़ के किसानों को शोषण करके साढ़े तीन परसेन्ट सूद आप देने जा रहे हैं उन्हें। इससे आर्थिक संकट बढ़ेगा। इसलिए मैं इसे काले विधेयक की संज्ञा देता हूं, इनको कोई भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना चाहिये। मान्यवर, इस देश और प्रदेश में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों की बुनियाद और जड़ इजारेदार और पूंजीपति उतने नहीं हैं, जितने ये गांव के सामन्त और लैंडलार्ड्स लोग हैं, जिनको यह सरकार बख्शने जा रही है। इन शब्दों के साथ में राजस्व मंत्री और उसके पूरे समर्थकों से मांग करूंगा कि बड़े-बड़े लोगों को मुआवजा देने का गलत इरादा वह छोड़ दें।

* श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री, ठाकुर साहब ने इस विधेयक को पास कराने में जो शीघ्रता की है, वैसी जल्दी उन्हें नहीं करनी चाहिए और इसे समिति के सुपुर्द करना चाहिए। यह सीलिंग का मामला ही नहीं, किसानों और मजदूरों से सम्बन्धित एक प्रकार का बन्दोबस्त है। यह अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, लेकिन अब तक शुद्ध नहीं हुआ है। इसमें सदैव जल्दी करने से इसमें अनेक अशुद्धियां रह गई हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बड़े बड़े लोगों ने इस बिल को लांघ दिया है। यदि हम बिल पास कर देते हैं तो भय है कि पोलेटिकल ढंग से उसे न करा लिया जाए। अतः इसे समिति के सुपुर्द करना अत्यन्त आवश्यक और ईमानदारी की बात है। समिति में डिस्कश करके लाएंगे तो उसमें कोई त्रुटि या शंका नहीं होगी। इसलिए इसको समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए समिति में भेजने की मांग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आभारी हूं दोनों पक्ष के सदस्यों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। अब मंत्री जी को चाहिए कि इसे वह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। जैसा भगवती प्रसाद सिंह ने कहा, वैसे तो एक तरफ से दूसरे तरफ तक उन्होंने कंडेम ही किया है, लोग बाग जमीनें भी नहीं छोड़ेंगे और रुपया भी आपका ले लेंगे और आप जमीन खोजते रह जायेंगे। यह बात बिलकुल ठीक है और मैं भी इसे पूरी तरह मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं इसे आप समिति को भेजें। सन् ७४ के हिसाब से जो कुछ आपने कैलकुलेशन किया है, वह अब बदल गया है। अब लगान कहां से कहां पहुंचा। तो अब किस आधार पर, मुआविजा भी रिकंसीडर होने की बात हो गयी, मूल अधिनियम में किस तरह से मुआविजा का कैलकुलेशन होगा उसको भी सोचना पड़ेगा, नया लगान, पुराना लगान मार्केट वैलूएशन किस आधार पर फिक्स करेंगे। कहीं पर दुनियां में साढ़े तीन परसेन्ट इंट्रेस्ट है? पानी में डूबते हुए को दिखवा दें कहीं साढ़े तीन परसेन्ट इंट्रेस्ट लेते हैं? यह तीन चार बातें हो गयीं जिन पर प्रवर समिति में विचार किया जा सकता है। १९७४ से ले कर १९७८ आ गया। एक महीने की बात है। फिर सर्वसम्मति से पास हो जायगा। हमारी तरफ से भी संशोधन नहीं आयेगा।

श्री शारदा भक्त सिंह--

श्रीमन्, मैं रियासत हुसैन साहब से संशोधन वापस लेने को कहूंगा नहीं क्योंकि वह वापस लेंगे नहीं। उन्हें शौक है संशोधन रखने का और विशेषकर प्रवर समिति का। लेकिन इस का इतना सीमित अभिप्राय है, कि उसमें कोई वादविवाद नहीं होना चाहिए। पहले से नियमावली में संशोधन कर दिया है उसके मुताबिक कार्यान्वयन हो रहा है। प्रतिनिहित विधायन समिति ने कहा कि इसको मूल अधिनियम में कर दिया जाय। वह कर रहे हैं। जो हम करने जा रहे हैं पहले से नियमावली में है। उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। कोई नयी बात नहीं पैदा हो जायगी।

एक बात यह सही कही गयी कि सीलिंग में जो लोगों को मुआविजा मिलता है उसमें देर हो रही है, इसकी शिकायत मुझे मिली है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के आदेश दे दिये गए हैं, जिनकी भूमि सीलिंग में ले ली गयी है उनको जितनी जल्दी मुआविजा दे दिया उतना ही अच्छा है। जो पिछले दिनों ढिलाई रही है पिछली सरकार की, जो हम लोगों को देखने को मिली हैं, उसमें कुछ सुस्ती आती है, लेकिन धीरे-धीरे तेजी होगी।

दूसरे जो कहा गया कि साढ़े तीन परसेन्ट कोई देता ही नहीं, यह कोई जमीन खरीद नहीं रहे हैं। समाज सुधार की जो व्यवस्था देश में बनी है, छोटे और बड़े की आपने सीमा निर्धारित की है, इसके लिए कि भूमिहीनों में भी वितरित हो जाय, कुछ व्यक्ति ही भूमि का लाभ न उठाएं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। (व्यवधान) अगर न रखते तो आप कहते कि बिलकुल नहीं रखा। आपको शिकायत थी कि सूद बहुत कम है। अब कहते हैं कि सूद रखिए ही नहीं। न रखते तो नाराज हो जाते।

दूसरी बात यह कही गयी, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सीलिंग का मुआविजा कम दिया जाता है। वह इससे सम्बन्धित नहीं है। कानून पहले बन चुका है। उसके पीछे एक भावना है। कोई पूरा मुआविजा देना सरकार के लिए सम्भव भी नहीं है। हमने रखा है कि जिनके पास इतने एकड़ से ज्यादा भूमि है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामाजिक सुधार के रूप में ले रहे हैं भूमिहीनों में उसको देना है। मैं समझता हूं कि इसमें पांच मिनट का काम है। जो बात नियमावली में है उसको अधि-नियम में ला रहे है चूंकि ऐसा सुझाव दिया गया। उसमें प्रवर समिति में बैठें, यह स्वयं अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ कहना था कही दिया। लेकिन अगर दो महीने की देरी करना चाहते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं इसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

(रियासत हुसैन से) आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो २ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, खंड १ प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० का अग्रतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम

२--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :-- — उ० प्र० अधिनियम संख्या १ सन् १९६१ की धारा २२ का प्रतिस्थापन

राशि के भुगतान की रीति

"२२ (१) निर्धारण तालिका में दर्ज राशि उस दिनांक को, जब धारा १४ के अधीन भूमि का कब्जा लिया जाय, और जहां राशि पाने के हकदार व्यक्ति की विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर लिया जाय, वहां ऐसे दिनांकों में से अन्तिम दिनांक को, देय हुई समझी जायगी।

(२) राज्य सरकार द्वारा निर्धारण तालिका में दर्ज राशि पर, उपधारा (१) के अधीन उसके देय होने के दिनांक से, यथास्थिति, धारा २० या धारा २१ के अधीन उसके अन्तिम अवधारण के दिनांक तक साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा ।

(३) धारा २३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (२) में निर्दिष्ट ब्याज सहित राशि का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा—

(एक) यदि वह एक हजार रुपये से अधिक न हो तो नकद में एकमुश्त;

(दो) किसी अन्य स्थिति में, पांच वार्षिक किश्तों में जिनमें से पहली किश्त एक हजार रुपये की होगी और शेष चार वर्षों म समान वार्षिक किश्तों में देय होगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार, बकाया राशि का भुगतान किसी समय कर सकती है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड (दो) में निर्दिष्ट चार वार्षिक किश्तों की स्थिति में, बकाया राशि पर यथास्थिति, धारा २० या धारा २१ के अधीन राशि का अन्तिम अवधारण किए जाने के दिनांक से उस दिनांक तक, जब प्रत्येक ऐसी किश्त देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जायगा ।

(४) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दायित्य से पूर्णता उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे उक्त राशि के सम्बन्ध में इस प्रकार भुगतान किया जाय, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित करने और सदन के विनिश्चय की घोषणा करने पर)

श्री मित्र सेन—

हां की संख्या कम है । कोई बोला ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं फिर उपस्थित किए देता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८*

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये।

मान्यवर, यह भी बड़ा निर्दोष और सीमित संशोधन विधेयक है। यह इसलिए रखा गया है कि इसके कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां होती थीं और कुछ शाब्दिक संशोधनों की आवश्यकता थी। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। धारा १४ में यह है कि जो भी ऋण दिया जायेगा वह चेक द्वारा दिया जायेगा लेकिन जब प्रोनोट को रिनेवल करना है तो यह लागू नहीं होना चाहिए। एक आध कठिनाइयां और भी मालूम हुई। अति व्याज उधार अधिनियम, १९१८ को निरसित करने का उपबन्ध है वह बिलकुल समाप्त न हो जाये, जिनमें यह अधिनियम लागू होगा केवल उनमें यह निरस्त समझा जाये। उसका व्यापक प्रभाव होने लगा था। इसलिए उसको भी समाप्त करके जो अति व्याज उधार अधिनियम पहले बना था जिसका लोगों को लाभ मिला वह वहां लागू न समझा जाय जिस समय यह ऐक्ट लागू हो जाय। शेष शाब्दिक संशोधन हैं जो कि आवश्यक हैं इस साहूकारी अधिनियम को विनियमन करने के लिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह समझकर कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसको पास करने की कृपा करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

यों तो साहूकारी के बारे में हमारे माननीय मन्त्री जी को ज्यादा ज्ञान है क्योंकि ये देने वालों में रहे हैं और हम लेने वालों में रहे हैं। आज जो सदन में यह विधेयक आया है इसमें धारा १४ के बारे में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया। इसमें जो संशोधन आया है कि पुराने बन्ध-पत्र या वचन-पत्र के बदले में नया बन्ध-पत्र या वचन-पत्र निष्पादित करना है। धारा १४ में दिया हुआ है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी साहूकार द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक उधार, यदि ऐसे उधार की धनराशि एक हजार रुपये या इससे अधिक हो, चेक द्वारा दिया जायगा। पहले चेक की बात हम देखें। चेक आम तौर से दो प्रकार की होती हैं, एक

*दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

बेयरर चेक और दूसरी क्रास चेक है। बेयरर के बारे में जाहिर है कैश में, क्योंकि बेयरर चेक और कैश में कोई फर्क नहीं होता है। बेयेरर चेक को कोई भी व्यक्ति भुना सकता है, इसमें कोई रोकटोक नहीं होती। लेकिन जहां तक क्रास चेक का सम्बन्ध है उसे वही व्यक्ति भुना सकता है जिसका उस बैंक में एकाउन्ट होता है। देहातों में अधिकतर लोगों का किसी बैंक में एकाउन्ट नहीं होता है और न उनको इतना ज्ञान ही होता है, क्योंकि अगर ज्ञान ही हो तो उनको कर्जा लेने की नौबत ही न आये। जहां तक रिन्यूअल की बात है बन्ध पत्र और वचन पत्र रिन्यु कराये जा सकते हैं लेकिन रिन्यूअल का सवाल कम है इससे ज्यादा रेट आफ इन्टेरेस्ट का है। क्योंकि इससे किसानों की तबाही और बरबादी से यह कुछ जुड़ा हुआ होता है।

सदन इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि जिस प्रकार से महाजनी प्रथा प्रदेश में चल रही है और जिस पर रोक लगाने के लिए यह विधेयक लाना पड़ा था, वह इस बात का खुद सबूत है कि महाजनी के शिकार से किसान किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं। पहले पैसा दे दिया जाता है फिर मूलधन और ब्याज मिलाकर उस पर चक्र वृद्धि ब्याज चलता है। अगर किसी ने एक हजार रुपया उधार ले लिया तो अगले वर्ष २ हजार और फिर अगले साल वह ४ हजार हो जायगा। कर्जा लेने के बाद कोई मुक्त नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि उसकी जिन्दगी दूभर हो जाती है और उसे अस्त-व्यस्त जीवन से गुजरना पड़ता है। जहां तक कैश के बारे में प्रश्न है हम देखते हैं कि कैश में जो कर्जा लिया जाता है १ हजार से नीचे अगर वह ५०० रुपया ही होता है तो उधार लेने वाले को मनमाने ढंग से ब्याज देना पड़ता है। जिस समय वह एक हजार रुपये से ज्यादा हो जाता है उसको नियमित करने के नाम पर प्रोनोट भी लिखा सकते हैं और चूंकि उसे चैक के जरिए से देना होता है तो किसी के भी नाम से काट सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमने इसको इतना कर्जा दिया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यह तो हम मानते हैं कि यह एक छोटा सा बिल है, पर इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं, सीमित दायरा है, नतीजे असीमित हो सकते हैं। किसानों के सामने जो कठिनाइयां आ सकती हैं उन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। सन् ७६ में यह विधेयक पारित हुआ, मगर साहूकारों का लेनदेन गांवों में आज भी उसी प्रकार चल रहा है, उनका धन्धा उसी प्रकार चल रहा है, मैं नहीं जानता कि इस विधेयक के अनुसार कोई उन पर कार्यवाही आज तक हुई हो। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति में जाने दें जहां पर इस पर विस्तार के साथ विचार हो सके और एक अच्छा विधेयक यहां आ सके।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है वह बहुत छोटा सा है, मगर इस विधेयक के उद्देश्य की भाषा ऐसी है कि जिसको पढ़ कर मैं नहीं समझ सका कि इनकी मंशा क्या है? कोई भी साधारण आदमी इसको पढ़ कर यह नहीं समझ पायेगा कि इनकी मंशा क्या है। यह विधेयक किसके हित के लिये है। कर्जा देने वालों का रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा, कौन करेगा, कुछ स्पष्ट नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विधेयक से किसको लाभ होगा यह भी नहीं पता चलता । इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी इसलिये ही इसका विरोध न करें कि इसको विरोध पक्ष ने रखा है । पास तो आप करा ही लेंगे, क्योंकि बहुमत में हैं । पर मंत्री जी स्वयं जब इसे पेश कर रहे थे तो वे भी इसका स्पष्टीकरण नहीं कर सके कि क्या इसकी मंशा है । माननीय मंत्री जी नहीं कर सके, कोई अन्य माननीय सदस्य ही समझा दें कि क्या इसकी मंशा है ? मूल रूप में यह क्या है ? किसके लिये है ? उसका लगाव जनता स कितना होगा और जनता में किस रूप में जायगा । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होने वाला है । इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो यह ज्यादा प्रभावशाली हो सकेगा । इन शब्दों के साथ में माननीय राम आसरे जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक इसी सदन में पारित हुआ था और जब मूल अधिनियम पारित हुआ तो उसके उद्देश्य, उससे सम्बन्धित सरकारी नीतियां जो हैं, उन पर विस्तृत विचार हुआ और अगर मूल अधिनियम को माननीय सदस्य नहीं पढ़ेंगे कि यह शब्द क्यों बढ़ाये या घटाये जा रहे हैं, तो यहां पर बताया जाय तो समझ में नहीं आयेगा । साहूकारी का जो कार्य चल रहा है और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि उससे वह बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उससे कैसे लोगों को बचाया जाय, इसी उद्देश्य को लेकर यह अधिनियम बनाया गया था और उस समय इस पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था । इस समय उसको पूरा बताया जाय, मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है । जिस अधिनियम को इस सदन द्वारा बना दिया गया था उसके कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गयी थीं, इसलिए उसमें हमें कुछ संशोधन रखना पड़ा । अगर आप पिछले अधिनियम की धारा नहीं पढ़ना चाहते हैं, कि इसमें क्यों शब्द बढ़ा दिया गया, यह अलग-अलग बताया जाय, तो शायद सम्भव हो समझना । कोई साहूकार अगर कार्य करना चाहता है महाजनी का तो उसे प्रार्थना-पत्र देना पड़ेगा और पंजीकरण कराना होगा । जसे देखा गया कि हजारों प्रार्थना-पत्र आये ।

हमारा भी उद्देश्य है कि जितने साहूकार हैं उनका पंजीकरण हो सके ताकि हम उन पर आंख रख सकें । हम उनको अवसर देना चाहते हैं कि वह अपने को पंजीकरण करें । इसलिए हमारे पास हजारों प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं । वह तीन महीने का समय निकल गया और इस संशोधन के द्वारा हम ३ महीने का और समय देना चाहते हैं । बहुत से प्रार्थना-पत्र हैं । अगर हम उनको पंजीकृत नहीं करते हैं, तो वह कार्य करते रहते हैं और फिर जब अदालत में मुकदमा आता है, तो हम उस पर बंधन नहीं लगा सकते । इसलिए हमने तीन महीने का समय बढ़ा दिया । आपने कहा कि क्रास चेक दिया जाय । गांव वालों का तो कहीं खाता तो होता नहीं है । अगर कहीं चेक दिया जाता है तो उसको भुनाने में दिक्कत पड़ती है । क्रास चेक दिया जायगा तो वे ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे कि जिसके पास एकाउन्ट हो । अगर कोई कर्जा १ हजार के ऊपर का है, तो चेक द्वारा ही दिया जायगा । प्रोनोट जो दूसरे आ रहे हैं, तो चेक पर प्रोनोट जो पुराने हैं, उन पर यह लागू नहीं है, उसी के आधार पर फिर से रिन्यूवल हो जाय । मैंने आपसे कहा कि कोई इसमें नीति का सवाल नहीं है ।

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

नीति तो सदन पहले स्वीकार कर चुका है और मेरा ख्याल है कि सब एक मत हैं। जो लोग प्रताड़ित किये जा रहे हैं और उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर जैसे एक साल में दो हजार रुपये हो जाता है, इसमें हमने बनाया कि इसमें सूद कितना ले सकते हैं। १४ परसेन्ट अगर सिक्योर्ड है और उससे अधिक अनसिक्योर्ड है, तो शायद अगर कोई दावा वगैरह करता है अदालत में अगर पंजीकृत नहीं कराया, तो उसे कठिनाई पड़ती है। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह लाया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें और दो महीने लगाये जायं या १५ दिन बढ़ाया जाय, यह उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि उनकी और मेरी भावना एक ही है, गरीबों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उनसे ३, ४ गुना ब्याज वसूल करते हैं इसलिये इसको तुरन्त रोका जाय, मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, शासन की हमेशा से परम्परा रही है कि वह विरोध पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। तो फिर विरोध पक्ष की यही परम्परा है कि हम अपने संशोधन को वापस न लें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ व खंड ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९७६ की धारा २ का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, १९७६ को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में, उपधारा (१) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्---

"(क) किसी उधार या अग्रिम पर जो किसी बैंक या सहकारी समिति द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उसके यहां रखा जाय;"।

धारा ७ का संशोधन

३---मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में---

(क) शब्द "यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर साहूकारी का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति वह कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् करना चाहता

है" के पश्चात् शब्द "या कोई व्यक्ति उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसा कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में प्रारम्भ करना चाहता है" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ;

(ख) परन्तुक में, शब्द "ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, १९७८ के प्रारम्भ के दिनांक से" रख दिये जायेंगे ।

धारा १४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे संव्यवहार पर लागू न होगी जहां पूर्ण या आंशिक रूप से असंदत्त बन्ध-पत्र या बचन-पत्र के बदले में नया बन्ध-पत्र या वचन-पत्र निष्पादित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ व खंड ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

धारा १८ का प्रतिस्थापन

५—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और सदैव से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :—

साहूकारों के कतिपय वादों पर रोक

"१८—(१) किसी साहूकार द्वारा धारा १५ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी उधार, करार या प्रतिभूति के आधार पर कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा, जब तक न कि ऐसा उधार देते समय या ऐसा करार करते समय या ऐसी प्रतिभूति लेते समय—

(क) ऐसा साहूकार रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाण-पत्र धारण करता रहा हो; या

(ख) ऐसा साहूकार ऐसे प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन कर चुका हो, जो अस्वीकृत न कर दिया गया हो; या

(ग) धारा ७ की उपधारा (१) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि असमाप्त रही हो ।

(२) जिस साहूकार से धारा ७ के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित है, उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी उधार या किये गये करार या ली गई प्रतिभूति के आधार पर

कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा और न ही चालू रखा जा सकेगा, जब तक कि उसने उक्त धारा की उपधारा (१) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन न किया हो ।"

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा १८ की उपधारा (२) को निकाल दिया जाय तथा प्रस्तावित धारा १८(१) को पुनः संख्यांकित करके धारा १८ कर दिया जाय ।

मान्यवर, साहूकारों के शोषण से गरीब और कमजोर वर्ग को कैसे बचाया जाय इसको और प्रभावी बनाने के लिये यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, यह बात सबको पता है कि १-९-७६ को यह अधिनियम लागू किया गया था । उस समय समस्या पैदा हुयी कि कहीं ऐसा न हो कि जो साहूकार पुराने ऋण दे चुके हैं उसके आधार पर मुकदमा दायर कर दें । तो कमजोर वर्गों को बचाने के लिये यह तय किया गया कि जो ऋण दिये गये हैं साहूकार उनकी एक सूची बनाकर सरकार के पास रखें । उसी के आधार पर मुकदमें आदि की कार्यवाही हो । इससे अनेक प्रकार के मुकदमें चालू हो गये और चालू हो जाने की सम्भावना भी हो सकती है । लेकिन जब तक गरीबों को बैंकों द्वारा पैसे की पूरी-पूरी व्यवस्था नहीं करा देते तब तक इस व्यवस्था को समाप्त कर देना किसी तरह से ठीक नहीं हो सकता । इसलिये सरकार ने सोचा कि अगर कोई आदमी इस व्यापार में आना चाहता है तो आये हम किसी को रोक नहीं सकते । यह जो धारा ५ में प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति ३ महीने के अन्दर रजिस्ट्रेशन करा लें तभी वाद हो सकता है । अगर मान लीजिये कि १-९-७६ से पहले कोई यह व्यवसाय करता था, आज कर रहा है लेकिन अगर वह कल नहीं करना चाहता तो क्या जबरदस्ती प्रेरित करेंगे । अगर वह व्यवसाय नहीं करता और सूची सबमिट कर चुका है तो उसके आधार बच नहीं सकता जब तक धारा २ बनी रहेगी । इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि गरीब किसान, मजदूर और छोटे वर्ग का आदमी अनेक प्रकार के वादों से छुटकारा पा सके और साहूकार के शोषण से बच सके । इस भावना से यह संशोधन पेश किया गया है और आशा है कि इसे स्वीकार किया जायेगा ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा १८ की उपधारा (२) को निकाल दिया जाय तथा प्रस्तावित धारा १८ (१) को पुनः संख्यांकित करके धारा १८ कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खन्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६, ७, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

६—मूल अधिनियम की धारा २६ में उपधारा (१) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :— धारा २६ का संशोधन

"परन्तु रजिस्ट्रार ऐसे साहूकार द्वारा आवेदन पत्र देने पर, पर्याप्त कारण होने पर विलम्ब को माफ कर सकता है और उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, १९७८ के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर प्रस्तुत किए गए विवरण-पत्र को स्वीकार कर सकता है ।"

७—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :— धारा २९ का प्रतिस्थापन

निरसन

"२९—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित अतिव्याज उधार अधिनियम, १९१८ को ऐसे उधार और अग्रिम के सम्बन्ध म जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, दिनांक १० अगस्त, १९७६ से एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।"

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, १९७६ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, ९७, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८†

(स्वायत्त शासन मंत्री) श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

यह जो संशोधन विधेयक है इसका सम्बन्ध एक तो जल निगम और दूसरे जल संस्थानों का जो गठन होगा । उसमें कितने नान आफिशियल तथा कितने आफिशियल मेम्बर रहेंगे इससे ताल्लुक रखता है । हमको २० जिलों में ग्रामीण पेयजल योजना का विस्तार करना है और शासन वहां पर जल संस्थान बनाने का अधिकार अपने में निहित रखना जरुरी समझता है । इसके अलावा जो शक्ति, कर्त्तव्य, कृत्य जल संस्थानों के हैं उनको भी जहां जल निगमों में वेस्ट करने की आवश्यकता महसूस होती हो उनका प्राविधान करने हेतु भी इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह ऐसा विधेयक है जिनके बारे में लम्बी बहस की जरूरत नहीं है ।

एक सदस्य--

कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी)

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक छोटा सा संशोधन विधेयक अवश्य पेश किया है लेकिन इसका जो मूल विधेयक है वह भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार द्वारा तैयार किया हुआ है । भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार की नीति केन्द्रीकरण की थी और जनता पार्टी ने अपनी नीति विकेन्द्रीकरण की की । विकेन्द्रीकरण का अर्थ होता है चौखम्भा राज्य । जैसा कि डाक्टर लोहिया की कल्पना थी कि जिसकी आमदनी ४ जो पंचायते है वे खर्च करें । एक हिस्सा दिल्ली का, एक हिस्सा राज्यों का, एक हिस्सा जिला परिषदों का और एक हिस्सा गावों का उसमें था । वह अपनी व्यवस्था इस प्रकार करें ताकि नागरिकों की भलाई हो सके । इस

दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधेयक के द्वारा जल और मल दो कार्य करने का प्राविधान किया जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं मन्त्री जी को क्या कहूं। कैसे इस सरकार को मैं माफ करूं। डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर कांग्रेस सरकार अपने इतने वर्षों के शासन में हर गांव में पानी और स्वच्छ पाखाने की भी व्यवस्था कर दिये होती तो मैं माफ कर देता आपको कैसे माफ कर दिया जाय, आप यह विधेयक लाये हैं हमारी जनता पार्टी की सरकार ने जो केन्द्र में बैठी हुई है उसने वायदा किया है कि निश्चित समय में हम हर गांव में पानी की व्यवस्था कर देंगे क्या मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि इससे हर गांव में पानी की व्यवस्था हो जायेगी यह व्यवस्था कदापि नहीं होगी।

आप नगरपालिकाओं से, टाउन एरियाज से उनकी शक्ति छीन रहे हैं और जल निगम में यह दे रहे हैं। मान्यवर, अभी अपने जिले में छुट्टियों में गया था और केवल पत्रकार के यहां बैठा था वहां एक रिपोर्ट वहां के जल निगम ने लिखी है कि बलिया शहर में सीवर का काम १७ परसेन्ट पूरा हो गया है बलिया नगरपालिका के लोगों ने निगम के किसी कर्मचारी को देखा भी नहीं काम तो छोड़ दीजिये तो आपकी अगर यही मन्शा हो कि जल संस्थान को हर पन्चायत के, हर नगरपालिका के अधिकार छीन कर दे दिये जाय और बड़े बड़े भवनों में एयर कंडीशन भवन बना कर, बड़ी-बड़ी कारों में बैठ कर गांव में पानी और पाखाने का इतजाम नहीं कर पायेंगे यह असंभव है इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाजपेयी जी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं तो क्या आपने इस विधेयक में व्यवस्था की है कि जिस पवित्र गंगा नदी में बड़े-बड़े शहरों का पाखाना बह कर जाता है वह न जाये आप उसको माता मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं कांग्रेसियों ने तो पाप किए लेकिन जनता पार्टी की सरकार को तो इस पर दृष्टि डालनी चाहिए थी कि हमारी गंगा माता अपवित्र न होने पाये लेकिन दुःख है कि दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारें भी उस कार्य को करने में अपने को असमर्थ पा रही हैं

आज दुनिया में मनुष्य के मल से और जानवरों के गोबर से खाद की पूर्ति हो रही है लेकिन हमारे देश में उस मल से और गोबर से नदियां अपवित्र हो रही हैं और कंडे जलाये जा रहे हैं। विदेशों से खाद मंगा कर उनका मुंह ताक रहे हैं। इसलिए मैंने इस विधेयक में यह संशोधन चाहा है जिससे जनता पार्टी की छवि धूमिल न हो मैं इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ देता हूं इसमें लिखा है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम १९७५ की धारा १९ के अधीन जारी की गई दिनांक १ जनवरी, १९७६ की अधिसूचना द्वारा जल संस्थान की शक्तियां समस्त नगर महापालिकाओं को प्रदान की गई थी यह विनिश्चय किया गया कि नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के स्थानीय क्षेत्रों के संबन्ध में भी धारा १८ के अधीन जल संस्थान गठित किए जांय तदनुसार विभिन्न प्रकार के जल संस्थानों का गठन विनिर्दिष्ट किया जाना था यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध स्थानीय निकाय सन्तोषजनक रूप से जल सम्भरण करने में कभी कभी असमर्थ रहे हैं, इसलिए यह

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

आवश्यक समझा गया था कि ऐसे क्षेत्रों में, यदि वहां कोई जल संस्थान नहीं है, जल संभरण का कार्य जल निगम को ही सौंप दिया जाय मान्यवर, आपने नहीं दिया कि जो मूल अधिनियम बने उस मूल अधिनियम में जो नगर पालिकाओं और जन पंचायतें जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए थीं उनको विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ आपने कहा कि यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध स्थानीय निकाय सन्तोषजनक रूप से जल सम्भरण करने में कभी-कभी असमर्थ रहे हैं इसलिए आपने यह आवश्यक समझा कि आप यह काम जल निगम को सौंप दें गांवों को आपने मौका नहीं दिया, नगरपालिकाओं को छोड़ दीजिये गांव वालों को मौका नहीं दिया जल सम्भरण और जल निगमों के बारे में मैं मान्यवर, जानता हूं और सदन में कभी खोल दूंगा उसे तैयार कर रहा हूं। एक एक अधिकारि के लिए ५/५ लाख रुपये जल संभरण तथा सीवर यानी पाखाने की व्यवस्था में लगाया जा रहा है ऐसे लोगों को गरीबों के हितों से मतलब क्या हो सकता है ?

मान्यवर, जहां जल संस्थानों के गठन की बात करते हैं तो मुझे इसमें आश्चर्य लग रहा है श्रीमन्, यह गठन कैसे करेंगे आप विधेयक में देखेंगे कि जहां नगर पालिकाओं के ३ प्रतिनिधि होंगे वहां गांवों को प्रतिनिधि एक होंगे यह अपने गांवों की ओर नजर नहीं डाल रहे हैं और शहरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। लेकिन मान्यवर, गांवों को प्रतिनिधित्व देने की तरफ आपकी कोई दृष्टि इस विधेयक द्वारा हमको ज्ञात नहीं हो रही है। श्रीमन्, चूंकि यह विधेयक जनता पार्टी के विकेन्द्रीकरण की नीति के विरुद्ध में समझता हूं और डा० लोहिया का वह सपना कि प्रत्येक गांवों में कम से कम पानी और पाखाने की व्यवस्था हो, उसके विरुद्ध दिखायी देता है मैं चाहता हूं कि जनता सरकार इसकी एक योजना बनावे मुझे दुःख है अपने मन्त्रियों पर कि जो प्रजातन्त्र तरीका है कि जब कोई विधेयक ले आये तो अपनी पार्टी के विधायकों में विचार विमर्श करें मंत्री न जाने किस भोग विलास में लगे हुए हैं कि ऐसे विधेयकों की पार्टी के विधायकों में चर्चा नहीं करते हैं मान्यवर, किसी को अपने सुझाव रखने का मौका नहीं दिया जाता है यदि मुझे मौका मिला होता तो मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किये होता।

मान्यवर, यह विधेयक जनता पार्टी के लक्षों के विपरीत है इस तरह के विधेयक प्रस्तुत होने के समय में साफ कह देना चाहता हूं कि इन मंत्रियों को मैं देख रहा हूं कि यह कितने गैर जिम्मेदार हैं। यह पूरा मंत्रिमंडल ही गैर जिम्मेदार है। मान्यवर, आप देख रहे हैं बार-बार कोरम की घंटी बजानी पड़ रही है। मेरे सामने से ४-५ मुख्य मंत्री गुजरे हैं इस सदन के अन्दर मे परन्तु ऐसी स्थिति कभी भी हमारे सामने नहीं आई यह अभाव दोनों तरफ से जो दिखाई दे रहा है यह चीज पहले कभी भी नहीं रही है जो जिम्मेदारी हम लोगों ने इनको सौंपी है उसकी पूर्ति यह नहीं कर रहे हैं। सारे लोग भोग विलास में लिप्त हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये और जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप इस विधेयक पर चर्चा हो, तभी इस विधेयक को सदन में ले आवे।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, यह जो संशोधन प्रस्ताव आया है मुझे डर लगता है इसका समर्थन करने में भी और जो संशोधन विधेयक मंत्री जी ने रक्खा है उसका समर्थन करने में भी डर लगता है। डर इस लिए लगता है कि अन्त में कहीं माननीय सदस्य श्री चौधरी साहब फिसल न जायें और इस संशोधन को वापिस न ले लें। मान्यवर, फिर भी अपनी बात कहूंगा। जो यह संशोधन बिधेयक लाया गया है इसके माध्यम से जिला निगम के सुपुर्द जल और मल की व्यवस्था की गई है। जो बातें कहीं गई हैं उनका तो चाहे और लोगों को तजरबा न हो परन्तु मुझको तो इसका बहुत तजुरबा है। मेरी अपने क्षेत्र की विस्तृत जानकारी है। आज ही मेरा एक सवाल था। हमारे यहां एक टाउन एरिया है माधोगंज। वह जल निगम के सुपुर्द हुआ है। वहां लगातार ३ महीने २५ दिन तक मोटर नहीं बना। मैं मंत्री जी से पूछूं कि ३ दिन आपके यहां पानी आना बन्द हो जाय तो आप पर क्या बीतेगी? पूरे कसबे में त्राहि-त्राहि मची रही। हर एक अधिकारी को लिखा गया, दौड़ धूप की गयी लेकिन ३ महीने, २५ दिन तक पानी बन्द रहा। अब बड़ी मुश्किल से मीटर बन कर गया। बाद में पता लगा कि उसके बनने में लागत इतनी आयी है कि नया मीटर आ सकता था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जल-निगम जिस प्रकार यह व्यवस्था कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि सरकारी धन का अपहरण करने के लिए कुछ अधिकारियों को आप मौका दे रहे हैं और उस काम का जिस विभाग को दिया गया है उसका मकसद यही है कि जो पैसा दें उसका एक हिस्सा उनकी जेब में जाय और वही हो रहा है। जनता को कोई उससे राहत किसी प्रकार की नहीं मिल रही है। उस कस्बे में लोगों ने कच्चे कुएं खोद कर काम चलाया। तो ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा जिससे जनता पर दबाव हो और अधिकारियों की जेबों में जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा जाय? मैं समझता हूं कि कहीं गलती है समझने में या समझाने में। जो संशोधन विधेयक आप लाये हैं इसको गहराई से मनन करने के बाद अगर लाये होते तो ज्यादा अच्छा होता।

तो मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपने जल-निगम के सुपुर्द इस जल और मल की व्यवस्था की है तो इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे हरदोई के माधोगंज टाउन एरिया जैसी व्यवस्था न हो जहां देहात से पानी भर-भर कर लावें। वह न हो, इसके लिए कोई रास्ता अपनाया जाना चाहिए। किन्तु आपने बिलकुल सोचा ही नहीं है। फिलहाल तो यह कहना है कि माननीय चौधरी जी द्वारा जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि मंत्री जी इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि जो कठिनाइयां अब तक सामने आयी हैं उनको दूर करने का मौका मिले, सोचने और समझने का मौका मिले तथा एक स्पष्ट और अच्छे रूप में इस विधेयक को सामने लाया जा सके।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, यह राम आसरे जी ने एक सोशलिज्म की बात कह दी। वह जानते हैं कि जनता पार्टी में लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दूसरी जगह जहां आप देख चुके हैं कि फिसलन होती रही है वह इधर न हो और माया में भूले न फंसें। आपकी निगाह में ऐसे लोग ज्यादा हैं। इसी से मैं जनता पार्टी की नीति के विरुद्ध इसे समझता हूं। इसलिए अपने संशोधन को वापस करने के लिए तैयार नहीं हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मैं इस विधेयक को जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध समझता हूं, इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, डाक्टर लोहिया का कई वर्ष तक साथी होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ . . .

श्री राम आसरे वर्मा—

डा० लोहिया के नाम की कमाई आप ज्यादा दिनों तक नहीं खा सकेंगे ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

श्रीमन्, इनको बता दीजिए कि जब कोई खड़ा बोल रहा हो तो बीच में यह न बोला करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया है ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह संयोग की बात है कि उस वक्त जल संस्थान, जल निगम नहीं बने थे और उस वक्त न भारत सरकार ने, न हमने अपने प्रदेश के एक लाख ८ हजार गांवों में, जहां जलकष्ट है, वहां पानी सप्लाई करने की योजना बनाई थी । लिहाजा जैसे हम कभी-कभी वेदों का जिक्र कर देते हैं, वैसे कभी-कभी मौके-बेमौके उनके नाम का जिक्र कर देते हैं । इसी तरह इस विधेयक के सिलसिले में ऐसी कोई बात कहना, जो सन् ७५ के पहले की है, इस वक्त समीचीन नहीं होगी । इस प्रदेश में २० जिले पानी के डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पानी बहुत गहरे में में निकलता है, फीका या नमकीन मिलता है, मीठा नहीं मिलता है, तो वहां पर नलकूप बनाने का काम, पानी के पाईप आदि बिछाने का काम हमने विशेषज्ञों के सुपुर्द कर दिया है । यह काम हम न टाउन एरिया को, न ग्राम पंचायतों को, न जिला परिषदों को और न नगरपालिकाओं या नगर महापालिकाओं के सुपुर्द कर सकते हैं । यह सारा का सारा विशेषज्ञों का कार्य है, उनके सुपुर्द हमें करना है।

अभी तक जो जल संस्थान हैं, पहाड़ी इलाकों में थे, जिन्हें हमें ऐसी सब जगह जल संस्थान बनाना है, खासकर उन २० जिलों में हमें जल संस्थान बनाना है । हमको यह भी करना है । पानी का जो चार्ज है वह भी हमने ऐसा कर दिया है कि दो-तिहाई सदस्य जब कहेंगे, तभी वह रेट्स बढ़ाए या घटाए जा सकेंगे । ऐसी हालत में इसके अन्दर जो संस्थान हैं, वह ऐसे हैं, उनके नान-आफिशियल्स की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं । उसमें जल निगम के भी प्रतिनिधि रखे गये हैं, नगरपालिका और महानगरपालिका के नगर प्रमुख भी उसमें रहेंगे । केवल जल निगम को उसका प्रबन्ध न देकर हमने ऐसा कर दिया है । वाटर वर्क्स जब इक म्युनिसिपैलिटीज के अधीन रहे हैं, वे पूरी शक्ति से अपना काम नहीं कर

सके हैं। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि इसको एक विशेषज्ञों के विभाग को सौंपना चाहिये। इस वजह से मैं फिर शम्भूनाथ चौधरी से बहुत सप्रेम आग्रह करूंगा कि वह अपने प्रवर समिति में भेजने के संशोधन को वापस ले लें। उसको वापस ले लें। क्या जल निगम हटा दिया जाय, जल निगम ऐक्ट चला जाय, जल संस्थान हटा दिए जायं, जल संस्थान गांवों में न जायं? आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो प्रवर समिति में जाय? अनआफिशियल मेम्बर बढ़ा रहे हैं। इस ढंग को बना रहे हैं कि ट्रिपार्टाइट कन्ट्रोल रहे। कुछ जल निगम के आदमी, कुछ स्थानीय निकायों के आदमी और कुछ दूसरे आदमी। एक इस तरह की चीज है। इसमें लम्बे विचार की जरूरत नहीं है। सदन का समय मूल्यवान है। एक-एक शब्द की सैकड़ों रुपये की कीमत है। मैं अधिक न बोलकर प्रार्थना करता हूं कि इसमें छोटी-छोटी बातें कही गयी हैं, प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है, आप कृपा करें और इसको वापस ले लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

विशेषज्ञ जो हैं आज तक नहीं बता पाये कि जहां पर हम खड़े हैं, सारे देश को पानी दे पाएंगे। गांव के लोग ही कर पाएंगे। मैं विशेषज्ञों के नाम पर इस संशोधन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(२) यह १ अगस्त, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायगा।

२—उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, १९७५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा १ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(३) इसे १८ जून, १९७५ से प्रवृत्त समझा जायगा।" उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४३, सन् १९७५ की धारा १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में— धारा ४ का संशोधन

(एक) उपधारा (२) में, खंड (छ) में, शब्द "तीन" के के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जायगा;

(दो) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(४) निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक में उपस्थित होने के लिए, उपधारा (२) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, उक्त उपधारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को और उक्त उपधारा के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकारी होगा।"

धारा १८ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (३) में, शब्द "जल संस्थान" के पश्चात् के शब्द "जो धारा २० की उपधारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट जल संस्थान न हो," रख दिये जायेंगे।

धारा १९ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

५--मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

जल संस्थान के रूप में जल निगम।

"१९--राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों और जिनके लिए धारा १८ के अधीन कोई जल संस्थान स्थापित न किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जल संस्थान की सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन जल निगम द्वारा किया जायगा और तदुपरान्त ऐसी शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ जल निगम को जल संस्थान समझा जायगा और ऐसी अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांक समझा जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ और खंड ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

धारा २० के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

६--मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात्--

जल संस्थान का गठन

"२० (१) नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता के लिए गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष, जो नगर महापालिका का नगर प्रमुख (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव

और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) नगर महापालिका के तीन सभासद, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश;

(च) नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी ।

(२) म्युनिसिपल बोर्ड के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट (पदेन) होगा, और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट क अधीनस्थ कोई अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) निगम के दो प्रतिनिधि;

(घ) उस जिले का, जहां जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हो, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य);

(ङ) एक अधिकारी, जिसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(च) म्युनिसिपल बोर्ड के दो निर्वाचित सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा ।

(३) किसी अन्य जल-संस्थान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर, पदेन;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का ज्येष्ठतम् अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो;

(ग) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय

अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियंता होगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के स्थनीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों या सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जल-संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या पांच से कम है वहां ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या पांच होगी जिनमें से, प्रत्येक जिले से कम से कम एक व्यक्ति होगा;

(च) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का मुख्यालय स्थित हो, मुख्य चिकित्साधिकारी ।"

धारा २५ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (२) में, खंड (६) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि टैरिफ लगाने या उसमें संशोधन करने का विनिश्चय नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी नोटिस, जो विहित की जाय देने के पश्चात् लाये गये विशेष प्रस्ताव को जल-संस्थान की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई के बहुमत से पारित न कर दिया गया हो ।"

धारा ४९ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(एक) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(२-क) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल-संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का कुप्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई है तो वह, जल-संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उस जल-संस्थान या स्थानीय निकाय की, जल-संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का अन्तरण सीधे निगम को कर सकती है, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, प्रभावी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश के कार्यान्वयन की अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी वृद्धि की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो ।"

(दो) उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (१) के उपबन्धों" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (२) या उपधारा (२-क) के उपबन्धों" रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (४) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (२) के अधीन" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (२) या उपधारा (२-क) के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा ९९ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा ९९ में,--

(क) उपधारा (२) में शब्द और अंक "१५ अगस्त, १९७६" के स्थान पर शब्द और अंक "३० सितम्बर, १९७८" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (३) निकाल दी जायगी।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

१०--जहां जल संस्थान की शक्तियों मूल अधिनियम की धारा १९ के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन नगर महापालिका के प्रदत्त कर दी गई हो, वहां महापालिका इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किए गए किसी संशोधन के होते हुए भी, ऐसी शक्तियों का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता वाले उप संस्थान का गठन न कर दिया जाय।

निरसन और अपवाद

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १७, सन् १९७८

११--(१) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, १९७५ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(श्री कासिम हसन का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ से लेकर खंड ११ तक, खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ६ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । एक सूचना श्री विद्या शंकर पाण्डेय, श्री रामदेव दुबे तथा श्री संगमलाल की है, जो प्रतापगढ़ के ग्राम हथगवां, थाना कुंडा में दिनांक २२ अगस्त, १९७८ को पुलिस तथा नक्सलपंथियों में हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में है । यह स्वीकृत हुयी है और इस पर गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे । दूसरी श्री शंकर सिंह की कालपी तथा चौरा स्टेशनों के बीच बालू के खदानों से जमीन के अन्दर सुरंगे हो जाने के कारण रेलवे लाईन तथा नेशनल हाईवे में दुर्घटनाओं के होने की संभावना के विषय में है इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है । बाकी श्री गनेशी लाल चौधरी, रियासत हुसैन, मोती राम और श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की सूचनार्थ अस्वीकृत हुई हैं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों और बस वालों में हुए झगड़े की सूचना

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं एक सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । आज लखनऊ विश्वविद्यालय . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

किस नियम के अन्तर्गत आप बोल रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र सिंह--

कुछ समय पूर्व विद्यार्थियों और बस वालों में झगड़ा हो गया। बस वालों ने चाकू मार दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मैं घटना को बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमानुसार मैं कोई अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मौखिक रूप से मैं यह सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

नियम ११० के अन्तर्गत।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ११० में है कि यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के निम्नलिखित प्रस्ताव किए जा सकेंगे--

(१) समवेदना या बधाई का प्रस्ताव।

(२) उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव।

(३) अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव।

(४) समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव।

(५) किसी विधेयक, संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव।

(६) किसी काय को स्थगित करने का प्रस्ताव।

(७) वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव।

(८) किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव।

(९) किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव।

(१०) राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री उपाध्यक्ष]

इसके अन्तर्गत आपका नहीं आता है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

आप ३१३ नियम को देखें।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। लखनऊ में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ११ बजे हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यही बात श्री रवीन्द्र सिंह जी ने कही है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सदन की परिपाटी रही है कि सदन प्रारम्भ होने के समय कोई घटना घट जाये तो माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देने के लिए सक्षम हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर आप अनुमति दे दें जिससे शासन उचित कार्यवाही करे।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश--

नियम ३०० के दूसरे में है कि औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। इसी धारा के ६ (क) को देखें। रवीन्द्र सिंह ने ६ (क) में अपना प्रस्ताव रखा है। यह लोक महत्व का प्रश्न है। इसकी जानकारी वह देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शासन इस पर थोड़ी देर में वक्तव्य दे दें। लखनऊ का ही मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियमानुकूल नहीं है। इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मैं ने सूचना नियम ५१ दी थी। आपने उसे स्वीकार भी किया है, लेकिन माननीय मंत्री जी यहां पर हैं नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि कब वक्तव्य दिया जायेगा? इसकी जानकारी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

तुरन्त वक्तव्य देने की बात नहीं है। जितनी जल्दी होगा, वह सूचना दे देंगे।

श्री विष्णु प्रताप सिंह--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है?

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

इलाहाबाद शहर में जी० टी० रोड एवं जवाहर लाल रोड के क्रासिंग पर ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (मधुकर दिघे)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २५ अगस्त, १९७८ को सायं ५-३० बजे झूंसी की तरफ से इलाहाबाद शहर जाते हुए एक ट्रक से टक्कर खाने के फलस्वरूप जी० टी० रोड व जवाहर लाल नेहरू रोड की क्रासिंग पर लगभग १६ वर्षीय श्री मु० शरीफ उर्फ छोटे पुत्र श्री अब्दुल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। उक्त ट्रक पर आजमगढ़ से फतेहपुर स्थानान्तरण पर जाते हुए एक सब-इन्स्पेक्टर का सामान लदा था और वह सब-इन्स्पेक्टर भी उस पर बैठा था। तुरन्त वहां भीड़ एकत्रित हो गई जिसने ट्रक का शीशा तोड़ दिया, ड्राइवर को पीटा एवं ट्रक में बैठे ड्राइवर व सब-इन्स्पेक्टर को बाहर खींचने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देखकर सब-इन्स्पेक्टर ने उक्त ड्राइवर को हटाकर गऊघाट पुलिस के सुपुर्द कर दिया एवं पुलिस को सूचना दी गई। क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय एवं पुलिस अधीक्षक नगर ने फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को समझाये एवं तितर-बितर व नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया किन्तु भीड़ बढ़ती गयी। भीड़ ने यह मांग की कि उक्त ड्राइवर व सब-इन्सपेक्टर को मार डालने हेतु उनके सुपुर्द कर दिया जाय तभी वे उक्त शव का पंचायतनामा अथवा अन्य अग्रिम कार्यवाही करने देंगे। यतायात अवरुद्ध हो गया तथा भीड़ ने गाड़ियों पर पत्थर फेंके जिससे पी० ए० सी० का एक सिपाही घायल हो गया। भीड़ ने क्षेत्राधिकारी तृतीय नगर की गाड़ी का वायरलेस सेट का एरियल भी तोड़ दिया। जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर भीड़ को तितर-बितर करने हेतु पुलिस को आदेश दिये। पुलिस द्वारा दौड़ाये जाने के कारण दो व्यक्तियों को साधारण चोटें आयीं। उनको गिरफ्तार करके उनके तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा १४७/३२३/३३६/३३२/४२७ भारतीय दण्ड विधान तथा धारा ७ सी० आर० एल० ए० ऐक्ट के अन्तर्गत तथा ड्राइवर के विरुद्ध धारा २७९/३०४-ए भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना दारागंज पर मुकदमें कायम किये गये। विवेचना जारी है। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है तथा पुलिस गश्त लगा दी गई है।

घटनास्थल पर तिराहा बनाने तथा स्पीड ब्रेकर्स बनाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शासन को अवगत कराया कि प्रकरणगत मार्ग एक राष्ट्रीय मार्ग है और यहां पर दुर्घटनाओं की दृष्टि से तिराहा बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि यातायात को सुचारु रूप से चलने में और बाधा उत्पन्न होगी। इस जगह पर कोई स्पीड ब्रेकर्स भी बनाया जाना उचित नहीं बताया गया है। इस स्थान पर यतायात नियंत्रित करने के सम्बन्ध में अपने सुझावों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को भेज दिया गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मेरी सूचना में जब इस बात का जिक्र था कि पिछले कुछ माह में ४ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और यह चौथी दुर्घटना है, तो उसका जिक्र इस वक्तव्य में क्यों नहीं किया गया है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मालवीय जी कहते हैं, इसका जिक्र नहीं है तो मैं इसको देखकर माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी स्वयं इस स्थल को देख आये हैं और जब तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा यह दुर्घटनायें नहीं रुक पायेंगी और इस मोड़ पर इस प्रकार की दुर्घटनायें होती रहेंगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से कब तक इस ओर कोई ठोस कदम उठाया जायेगा ताकि यह दुर्घटनायें न होने पायें ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मालवीय जी का सुझाव उचित ही है कि इस ओर शीघ्र कोई ठोस कदम उठाना चाहिये । इस पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री तथा जो भी सम्बन्धित अधिकारी लोग हैं वे बैठकर, तकनीकी राय लेकर, इस पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द कोई कार्यवाही अवश्य की जायेगी क्योंकि यह जनहित में है और उचित है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सारे इलाहाबाद का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रदेश के सारे जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उस पर रास्ते-बेरास्ते आये दिन घटनाएं हुआ करती हैं । तो इन सारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या मंत्री जी कोई कमेटी बनावेंगे जो अपना सुझाव दे कि कैसे यह रोका जाय ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं माननीय गनेशी लाल जी से कहना चाहता हूं, उन्होंने अखबार में पढ़ा होगा कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए स्वयं केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय मार्ग जो हैं, उनपर क्या व्यवस्था की जाय, ताकि पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त जो ट्रक्स तेजी से दौड़ती हैं, उस सिलसिले में क्या उपाय किया जाय, यह बातें पहले से ही शासन के ध्यान में हैं और इस पर विचार हो रहा है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस बालक की मृत्यु हुई है, उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता देने पर शासन विचार कर रहा है या नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इस पर मैं स्पष्ट तो कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जो माननीय विधायक जी ने कहा है, तो जैसी शासन की नीति रही है, इस प्रकार के मामलों में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी इन भावनाओं को बता दूंगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपके उत्तर के सम्बन्ध में। मान्यवर, ऐसी घटनाएं आमतौर से ट्रकों से और आपको तो स्वयं मंत्री जी मालूम है कि ट्रक चालक भीड़ में भी और जहां उनकी ट्रक के सामने आदमी या जानवर पड़ जाता है, वहां भी स्लो नहीं करते हैं। ऐसी हालत में क्या कोई ऐसा सुझाव या आदेश दे देंगे कि ट्रक-चालक ट्रक अपने कंट्रोल में ले चलेंगे। जब कभी बस ट्रक के नीचे रहती है, तो ट्रक वाला तो हटता नहीं है, लेकिन बस वाला कटाते नीचे चला जाता है और ट्रक चालक ट्रक को बिल्कुल सामने से नहीं हटाता है। मैं आम तौर से बस से चलता हूं, कई बार बस वाले को बस को खड़ा कर देना पड़ता है और ट्रक जो है, सामने से ही भागती चली जाती है। इन ट्रकों के मालिक पूंजीपति होते हैं, वे किसी दुर्घटना की फिक्र ही नहीं करते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था शीघ्र की जाय।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, नियम तो मौजूद ही है, नियम का उल्लंघन करके ही ये ट्रक वाले काम करते हैं जिससे ये दुर्घटनाएं होती हैं।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

राष्ट्रीयकृत मार्गों में रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें हैं, शराब पीकर चालक इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर शराब की दुकानें हैं उनको तुरन्त हटाया जाय। क्या शासन इस पर विचार कर रहा है?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो शासन की नीति है, पूरी जनता पार्टी की नीति है, उसकी बुनियाद में ही है कि मद्यनिषेध वगैरह हो जायगा। तो ये सब दुर्घटनाएं समाप्त हो जायेंगी। देश में तो यह हमारा एक नीतिगत प्रश्न है। उस पर तो माननीय सदस्य और हम लोग सब लगे हुए हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को सुझाव भेज दिये गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से सुझाव भेज दिये गये हैं?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इस समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा मालवीय जी ने बताया है, शीघ्रता से उसको कार्यान्वित करने के लिए, इस पर पूर्ण विचार करके शीघ्रातिशीघ्र इस मसले को हल किया जायगा।

अयोध्या में आयोजित जयगुरुदेव नामक साकेत महायज्ञ में सरकारी कोष से २ लाख रुपये व्यय किये जाने के विषय में २४ अगस्त, १९७८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ (नत्थी 'ख') के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

अब, अयोध्या, फैजाबाद में आयोजित जय गुरुदेव नामक साकेत महायज्ञ में सरकारी कोष से दो लाख रुपये के व्यय के विषय में दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ (नत्थी 'ख') के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन, श्री रियासत हुसैन तथा श्री गोविंद सिंह नेगी द्वारा दी गयी सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा होगी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ? श्री मित्रसेन यादव, श्री रियासत हुसैन, श्री गोविंद सिंह नेगी ने यह सूचना दी थी । तो मान्यवर, इस प्रकार की सूचना दे देना और सदन से गायब हो जाना मैं समझता हूं कि यह सदन के अमूल्य समय का दुरुपयोग है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यदि ऐसे प्रश्न हों और माननीय सदस्य अनुपस्थित हों तो क्या उस हालत में चर्चा होगी और दूसरे में यह व्यवस्था आपकी कुर्सी से चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है वह सदन में उपस्थित रहें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक है, जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी उनको यहां उपस्थित रहना चाहिये था । लेकिन वह नहीं हैं । उनकी अनुपस्थिति के कारण दूसरे माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हों तो वह खड़े होकर अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी, यह मसला जो सदन के समक्ष पेश है जय गुरुदेव के फंक्शन के सम्बन्ध में तो यह आर्थिक दृष्टि से गंभीर मसला है । दो लाख की पूंजी को किस तरह से वहां डी० एम० ने और लोकल बाडीज के अधिकारियों ने खर्च कर दिया यह सारी चीजें विधान सभा समझना चाहती है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं नियमावली के नियम ४९ की उपधारा (५) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

(श्री अजीत सिंह सेठी के खड़े रहने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

सेठी जी आप बैठें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इसमें है कि 'सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरः स्थापन करेंगे। सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।' तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न किया था वह उपस्थित नहीं हैं और श्री सेठी को कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अवमित्र सेन जी, जिन्होंने सूचना दी थी, आ गये हैं। संक्षेप में आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न उठाया था कि २२ मई से २७ मई तक अयोध्या में साकेत महायज्ञ जय गुरुदेव के नाम से आयोजित किया गया था। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में २ लाख रुपये इस यज्ञ के लिये प्रदत्त किये थे। तो मान्यवर, उस दिन स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था, अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पाया था। इसी के सम्बन्ध में मैंने नियम ४९ के अंदर इसको दिया था।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस यज्ञ में जो राजकीय भुगतान किया गया है उसके लिये प्रार्थना-पत्र किस का था, कौन सी संस्था थी, किस-किस मद में यह धनराशि खर्च की गयी, किस नियम के अन्तर्गत इस धनराशि को स्वीकृत किया गया। २२ मई से २७ मई, १९७७ के आस-पास विधान सभा का चुनाव होने वाला था और इस यज्ञ में केन्द्रीय सरकार के नेता श्री राज नारायण, पीलू मोदी तथा अनेक अन्य नेताओं ने भाग लिया था। इसलिये यज्ञ के परिपेक्ष में इसको राजनैतिक कलर दिया गया, राजनीतिक भाषण दिये गये और राजनीतिक प्रचार किया गया और जनता के कोष से सरकार ने पैसा खर्च किया जो स्पष्ट रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग था और निहित स्वार्थ के लिये इसका प्रयोग किया गया। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जो मैंने जानकारी मांगी है उसका उत्तर देने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसको पुरः स्थापित करता हूं।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त वाजपेयी)—

मान्यवर, ९ मई, १९७७ को राज्यपाल का शासन था और चन्ना रेड्डी साहब राज्यपाल थे। श्री सच्चिदानन्द ने जिलाधीश गोंडा को अपने पत्र द्वारा सूचित किया था कि जय गुरुदेव नामक महायज्ञ का आयोजन २२ मई से २८

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

मई, १९७७ तक साकेत धाम, अयोध्या में किया गया है। इस आयोजन में अनेक प्रान्तों से कई लाख लोगों के आने की संभावना है और आशा है कि अनेक केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के अतिरिक्त प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसीलिये राजनैतिक स्तर के इस मेले के लिये बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। इस आशय का श्री आर० के० पान्डेय, सदस्य साकेत महायज्ञ का एक पत्र, दिनांक १२ मई, १९७७ को मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेज दिया गया था। एक पत्र १९ मई को भी प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी, गोंडा तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद ने इस मेले में सफाई, पीने के पानी तथा प्रकाश की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिये धन की मांग की क्योंकि उक्त स्थल का एक किनारा गोंडा जिले में था और दूसरी तरफ फैजाबाद की नगरी अयोध्या थी, जहां पर अधिकांश यात्री विश्राम करने वाले थे। इसलिए दोनों जिलों में प्रबन्ध करने की आवश्यकता थी। शासन ने स्थिति का परीक्षण करने के पश्चात् जनोपयोगी कार्यों के लिये २ लाख रुपये का विशेष अनुदान मथुरा तथा फैजाबाद को स्वीकृत किया और उनको अधिकार दिया गया कि जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा गोंडा आवश्यकतानुसार अपने विवेक से प्रबन्ध के सम्बन्ध में धनराशि का आवंटन करें। यह धनराशि राजकीय आकस्मिकता निधि से तत्कालीन राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार स्वीकृत की गयी थी। धनराशि के सदुपयोग के लिये समुचित नियंत्रण का उत्तरदायित्व आयुक्त, फैजाबाद को सौंपा गया था और यह भी निर्देश दिया गया कि इस धनराशि से व्यवस्था आदि का कार्य जिलाधिकारी फैजाबाद से कराया जाय ताकि प्रबन्ध कार्य में समन्वय के दृष्टिकोण से कोई बाधा उत्पन्न न हो। आयुक्त, फैजाबाद मंडल ने विभिन्न विभागों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जिन-जिन अधिकारियों को धन आवंटित किया उनमें निम्नलिखित अधिकारियों ने जो धनराशि की व्यवस्था की उसका विवरण निम्न प्रकार है--मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोंडा--८९८४.२८ रु०, मेला अधिकारी, गोंडा--३८५२.८५ रु०, प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका, फैजाबाद ४१,९४१.०१ रु०, पुलिस अधीक्षक, गोंडा ३,१३० रु०, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद २५,००० रु० संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, फैजाबाद ५,००० रु०, अधिशासी अभियन्ता, जल विभाग फैजाबाद १२,९३९.८० रु०, पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ९६० रु०, अधिशासी अभियन्ता, हाइडिल फैजाबाद १२,००० रु०। इस प्रकार कुल मिलाकर १,१३,८०७.९४ रु० हुआ। अवशेष धनराशि ८६,१९२.६० रु० आयुक्त, फैजाबाद द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी गयी है।

इस यज्ञ के मेले में प्रतिदिन उपस्थित जनसमूह की संख्या ६० से ७० हजार तक रही और अन्तिम दिन २८ मई, १९७७ को उपस्थित जनसमुदाय की संख्या १ लाख से ऊपर थी। इस मेले में केन्द्रीय मन्त्री मंडल के केवल श्री राज नारायण, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री का आगमन दिनांक २५ मई, १९७७ को हुआ था और उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को उसी दिन सायंकाल संबोधित किया था। यह कहना गलत है कि यह एक धार्मिक यज्ञ था और कोई सरकारी कार्यक्रम था और उसके लिये शासन की ओर से कोई अनुदान दिया गया। यह अनुदान केवल शान्ति और व्यवस्था तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये किया गया था। शासन कस्टमरी मेलों के लिये, शान्ति और व्यवस्था के इन्तजाम के लिये तदर्थ अनुदान यदा-कदा देती रहती है।

श्रीमन्, एक-दो बातें और निवेदित करना चाहूंगा कि कोई बड़ा मेला या कोई ऐसी बड़ी सभायें जिनमें शासन से कहा जाता है कि वह जन-स्वास्थ्य, जल और बिजली आदि का इन्तजाम करे और हम उसके लिये पूरा खर्च दे दें तो हम उस पर उसी ढंग से विचार करते हैं। यहां पर यह प्रार्थना की गई थी राज्यपाल के शासन काल में कि वहां पर इतने लोग आ रहे हैं इसलिये वहां पर समुचित जल की व्यवस्था, संक्रामक रोगों से बचाव की व्यवस्था, बिजली आदि की व्यवस्था अवश्य की जाती है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम पैसा देंगे। उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने उनसे यह नहीं कहा कि आप पैसा दें। तो इस वक्त इस चीज को कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि यह पैसा कहां से आया और कहां लगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जो मन्त्री जी ने जय गुरुदेव महायज्ञ की बात यहां पर कही है उससे कई गलतफहमियां पैदा हुई हैं....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये।

श्री राम आसरे वर्मा--

भूमिका तो बतानी होगी। कमिश्नर उसमें लगे, कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान लगे, सारी सरकारी मशीनरी और बिजली विभाग लगा और काफी पैसा दिया गया। उस यज्ञ के उद्देश्य क्या थे तथा किस उद्देश्य से प्रेरित होकर इतना पैसा और मशीनरी जुटाई गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मुख्य उद्देश्य तो धार्मिक था लेकिन साथ-साथ जो पम्पलेट बांटे थे उसमें यह भी लिखा था कि जनता पार्टी को जिताने के लिए, इस तरह की तमाम बातें थी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने यह कहा है कि राज्यपाल ने आदेश दिये थे। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह जरा पढ़ दें कि राज्यपाल के क्या आदेश हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप के पास वह पत्र अगर हो तो पढ़ दें। क्या वह पत्र आपके पास है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, वह अंग्रेजी में है। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूं फिर उसकी हिन्दी कर दूंगा।

The Secretary, L. S. G. had discussed with me the details relating to this yesterday evening. There is no mention about it in his note.

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

एल० एस० जी० सेक्रेटरी ने इस बात के लिए मुझसे कल शाम बात की। आज उनके नोट में उसका कोई जिक्र नहीं है।

I do not know why the district administration is exhibiting hysterical anxiety in a case of this type when the sponsers of this function have not yet submitted anything in writing nor made any specific request about it. I entirely agree with the Secretary, Finance that one has to extremely careful in a matter of this type which is not a religious function but also seems to have political overtones around it. We should go all out only to the extent as we have been doing for any other similar function.

मान्यवर, यह कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसके बारे में असाधारण चिंता अधिकारियों को क्यों है। हम को केवल इस ढंग से आचरण करना चाहिये कि यह केवल धार्मिक नहीं है बल्कि इसमें कुछ राजनीति की भी गंध आती है। एक तरह से उसमें कुछ राजनीति भी है। जिस तरह से दूसरे साधारण फंक्शन के लिए मदद करते हैं उसी तरह की जाय, उसके अलावा नहीं।

Firstly, this is a function sponsored by some people and it is entirely their responsibility. They should submitt about their requirements and then we should see what lies within our responsibility.

जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है उनको इस खर्च को पहले वहन करना चाहिये। वह पहले बतायें कि उनको किन-किन चीजों की जरूरत है फिर हम देखेंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है और हमें क्या करना है।

There should be the proceedings of all these details worked out at the Dirtrict and the Commissioner's level who may, in turn, make proposals to the State administration and only after this kind of a formality is fulfilled, the sanctioning of the type that have been requested for is to be approved and proocessed.

जिला स्तर पर इसकी डिटेल पहले वर्क आऊट हो तब बाद में प्रदेशीय शासन के पास आना चाहिये। पहले जिला स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर, अधिकारीगण अपना तखमीना बना लें उसके बाद मेरे पास आये।

This file does not give a comprehensive impression and it shows our over-anxiety. I want all these details to be in our file.

इसमें इस तरह की प्रार्थना की गई थी कि इसमें इतने रुपये का इन्तजाम किया जाय। तो पहले हमारे पास अधिकारियों ने तखमीने दिये।

मान्यवर, यह इस ढंग का है कि उसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया हिन्दी में इसे पढ़ दें।

अयोध्या में आयोजित जय गुरुदेव नामक साकेत महायज्ञ में सरकारी कोष से ११९९ २ लाख रुपये व्यय किये जाने के विषय में २४ अगस्त, १९७८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ (नत्थी 'ख') के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जिस प्रकार के विभागीय तखमीनें लिखा करते है, उसी प्रकार का है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया संक्षेप में कर दें।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

हां मान्यवर, मैं संक्षेप में पढ़े देता हूं क्योंकि यह दो पन्ने में हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

नहीं, मान्यवर, पूरा पढ़वाइये, इस पत्र की गम्भीरता तभी सामने आयेगी जब आप पूरा पढ़वायेंगे नहीं तो इसकी गम्भीरता सामने नहीं आयेगी।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, क्या लाभ है पढ़वाने से जब कि कोई लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि सब आवश्यक जो राशि है उसको ऐसे आदमी पर खर्च करने में कोई इतराज नहीं है और इसे स्टेट्स रिसपान्सिबिलिटी राजकीय दायित्व समझता हूं। उन पर कोई इतराज नहीं है। इस प्रकार मान्यवर, जो तखमीने हैं और राजकीय दायित्व के अनुसार जिस प्रकार का ध्यान है उतनी रकम खर्च करेंगे। उसमें कोई इतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामकृष्ण जी आप बोलें—आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, अभी यह अयोध्या फैजाबाद में आयोजित जयगुरुदेव नामक साकेत महायज्ञ में सरकारी कोष से दो लाख रुपये के व्यय के विषय में माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिये उसमें माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है वह यज्ञ धार्मिक यज्ञ तो था परन्तु उसमें पोलिटिकल बात भी है। मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि यह यज्ञ जो अयोध्या में हुआ है उसी प्रकार का यज्ञ जौनपुर में भी जनता पार्टी के नेताओं ने आयोजित किया। मान्यवर, अयोध्या में साकेत महायज्ञ जो हुआ उसमें श्री राजनारायण जी को भाषण देने बुलाया गया—क्या यह सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि इसमें सरकारी इन्तजाम किया गया? मैं तो मान्यवर, कहता हूं, और यह बात साफ भी है कि इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। मन्त्री के साथ सरकारी धन खर्च किया गया है और सरकारी कोष से खर्च किया गया है इसे पुनः सरकारी कोष में जमा कर दिया जाना चाहिये।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, उस समय तो जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। गवर्नर रूल था। आप ही सीखिये, कि आप कब चुनकर आये हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने महामहिम राज्यपाल का आदेश पढ़ा है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या सदन में महामहिम राज्यपाल के कृत्यों के बारे में चर्चा कर सकते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह चीज महामहिम राज्यपाल की हुकूमत में हुई है इसलिये चर्चा कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

महामहिम राज्यपाल के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

इसमें महामहिम राज्यपाल की आज्ञा का पालन हुआ है । यह चर्चा का विषय इस सदन में नहीं हो सकता है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

जो पत्र माननीय मन्त्री जी ने सुनाया उसमें यह कहा कि पाटिल साहब ने सरकार को लिखा कि इसकी व्यवस्था की जाय । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब राज्यपाल महोदय की यह धारणा थी कि राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये सभा हो, तो यह सरकार ने किसके दबाव से किया? राज्यपाल महोदय ने जो कहा था उसका क्या परिपालन हुआ ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जो सूचना हमारे पास है उसमें निसन्देह राज्यपाल महोदय के आदेशों का पालन हुआ और उसके अनुकूल ही सारा खर्च किया गया ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह जो जयगुरुदेव का खेमा है वह अमेरिका प्रोडक्ट है। इसलिये यह कहना कि राज्यपाल महोदय की बात थी, तो यह न कहा जाय । यदि यह अयोध्या जी के बाबा की बात होती थी कोई बात नहीं थी लेकिन जयगुरु देव का यज्ञ हो तो यह विदेशी दबाव से हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जांय । यह नहीं ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मेरी शंकाओं को मन्त्री जी ने और मजबूत कर दिया है । जो मंशा मेरे प्रश्न के पीछे थी और जो देश और प्रदेश के दिमाग में वास्तविकता थी जानने के लिये उसको मन्त्री जी ने और मजबूत कर दिया । स्पष्ट तौर से यह लगभग २ लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह आयोजक कौन थे ? सरकार ने क्या उनको बनाया था ? उनको

क्या अधिकार थे ? उसका उद्देश्य क्या था और पब्लिक को उससे क्या मिला ? जयगुरु देव जैसे व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा देश में है उसको सभी जानते हैं। पिछले दिनों कानपुर में जो उन्होंने किया था वह सबको विदित है। ऐसे जयगुरुदेव के साथ साकेत यज्ञ का आयोजन केवल राजनीतिक था। अयोध्या नगरी में कोई धार्मिक आयोजन नहीं था। केवल राजनीतिक उपलब्धि के लिये यह आयोजन किया गया था और उसमें एस० पी०, डी० एम० आदि सबको लिखा गया था और पैसा खर्च किया गया जिसका दुरुपयोग हुआ। सरकार से और चंदे से वसूला गया धन दुरुपयोग होने के बावजूद सरकार जिसको संरक्षण दे रही है जो कि स्पष्ट तौर से सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिये मन्त्री जी, विभाग तथा सत्ता पक्ष में सरकार पर जो अपने को जनवादी कहते हैं वह फ्राड है। यह मेरा आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षेप में उत्तर दे सकते थे, वह आप ने दे दिया और अपनी बातें पूछ लीं। अब आप बैठें, मैं मन्त्री जी को बुलाता हूं जिसमें वह उत्तर देंगे उन बातों का जो आपने कही हैं।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को शायद शक है या भ्रांति है कि इस रुपये में से एक भी रुपया साकेत यज्ञ के संयोजकों को दिया गया था। ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि फैजाबाद के कमिश्नर को यह राशि दी गयी। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ बैठ कर जो इंजीनियर्स थे, जो बिजली के प्रबन्धक थे, दवा-दारू का, जल का इन्तजाम करते थे, उनको उन्होंने दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

आयोजकों के नाम बता दीजिये.... (व्यवधान)

श्री अजीत सिंह सेठी--

हमारा यह नहीं कहना है कि अथारिटीज ने उनको रुपया दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

सेठी जी, आप बैठ जायं। बिना इजाजत बोल रहे हैं। आप तभी बोल सकते हैं जब आप उठें और मन्त्री जी बैठ जायं। तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मुझे इसमें कुछ कहना है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, एक चीज मुझे नयी मालूम हुई कि जयगुरु देव जी भी जनता पार्टी के नेता हैं। यह तो जाहिर है कि जयगुरुदेव जी से और जनता पार्टी से क्या मतलब ? और अगर आप ही उस यज्ञ को कराते और इतनी बड़ी संख्या में लोग आवें उसको सुनने वाले तो जो साधारण गवर्नमेंटल इन्तजाम जैसा कि गवर्नर ने लिखा है वह किया जाता कि जो स्टेट का दायित्व है बड़े-बड़े मजमों में जल का, पानी का, बिजली का इन्तजाम है उसको हम देख लेते हैं, पुलिस का इन्तजाम करते हैं। तो अगर आप भी कराते तब भी यह होता। कोई भी करावे तब भी होता है। जयगुरु देव को जनता पार्टी से मतलब क्या ? जनता पार्टी तब बनी होगी तो केन्द्र में बनी होगी, पहली मई की बात है, उसके पहले का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और ७ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३५ मिनट पर बृहस्पतिवार ७ सितम्बर, १९७८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ अगस्त, १९७८ ई०

पी० एम० यू० पी०—७५ वि० सभा—२३-१-७९—८३५ (पी० डी०)